Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

खंड ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का १८ वां दिवस [संख्या १३

गुरुवार, दिनांक १४ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, उद्योग, विकास, पंचायत, सहकारी, वित्त, खनिज, नियुक्ति, शिक्षा, आबकारी, एवं सामान्य प्रशासन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

केरिया व बीरावा क्षेत्र, तहसील सांचोर के काश्तकारों पर किया गया जुर्माना।

३३०. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)**:– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केरिया व बीरावा पटवार हलके तहसील सांचोर के गांवों में सम्वत् २०१० व २०११ में तत्कालीन तहसीलदार ने बिना इजाजत काश्त करने बाबत कुल कितना जुर्माना किया था ?

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त जुर्माना तहसीलदार ने कदीम से कब्जा होते हुए भी काश्तकारों पर कर दिया था ?

(ग) क्या यह सच है कि उस जुर्माने को कलेक्टर जालोर ने जांच कर गैर कानूनी करार कर दिया था और उसे मुआफ करने की सिफारिश राज्य सरकार को की थी ?

(घ) क्या यह भी सच है कि ऐसे जुर्माने की वसूली बन्द करने का हुक्म कलेक्टर ने जारी किया था ?

(ङ) उपरोक्त नाजायज़ जुर्माने को राइट ऑफ करने के बारे में सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है और यह मामला अब कहां पर पैंडिंग है ?

(च) उक्त जुर्माने को सरकार कब तक मुआफ कर देगी ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) १५,१७७ रुपये व १९ न० पै० का जुर्माना किया गया।

(ख) जी हां, यह सच है; परन्तु कारण यह था कि वे खातेदार नहीं थे और ऐसा न होने के कारण उन्हें इजाजत लेना आवश्यक था। इजाजत न लेने की दशा में ही उन पर जुर्माने किये गये।

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

(ग) जी हां, कमिश्नर जोधपुर को ऐसी सिफारिश की गई थी।

(घ) जी हां, मामले में अन्तिम निर्णय तक वसूली स्थगित की गई थी।

(ङ) अभी इस सम्बन्ध में मुतालिका अफसर से रिपोर्ट प्राप्त होनी है। उसकी प्राप्ति पर नियमानुसार जैसा उचित होगा निर्णय लिया जावेगा।

(च) जैसा प्रश्न के खण्ड (ङ) में उल्लेख किया गया है कि इस बारे में निश्चित रूप से माफी के लिये कुछ नहीं कहा जा सकता। निर्णय शीघ्रातिशीघ्र लिया जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि एक ही जनरल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिये इन सब काश्तकारों पर ये तमाम जुर्माने किये गये थे?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : एक ऑर्डर से किये, यह सही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : टीनेन्सी कानून की दफा ९१ के अनुसार शो काज नोटिस देना जरूरी है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इन्हीं सारी बातों को जांच करके अल्टीमेट डिसीजन लेने की कार्यवाही की जा रही है।

एक माननीय सदस्य : इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि 'नियमानुसार जैसा उचित होगा निर्णय लिया जावेगा' तो क्या इस प्रकार का निर्णय लेने पर अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के जुर्माने किये गये हैं उनके सम्बन्ध में भी उसी निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जावेगी?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इन्डिविज्युअल केस को देख कर ही कार्यवाही की जायगी। वैसे इन-जनरल तो नहीं कहा जा सकता।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : इस प्रकार का निर्णय होगा वह एक पोलिसी पर डिसीजन होगा, तो वैसी दशा में राजस्थान में दूसरी जगहों पर भी वैसे के वैसे केसेज हुए हैं तो क्या सरकार उस फैसले को सभी ऐसी जगहों पर इम्प्लीमेंट करने का विचार रखती है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसको हम एग्जामिन इसलिये कर रहे हैं कि इस जमीन का लगान भी पे किया गया है, कन्टिन्युअस भी काश्त किया है और बीच में दो साल का गैप भी रहा है। दूसरी जगह के केसेज जिनको आप रेफर कर रहे हैं न मालूम कैसे हैं। इस जमीन का पहले लगान भी पे किया है और बीच में दो साल तक लगान नहीं दिया तो कन्टिन्युटी जाहिर नहीं होती। यह एक स्पेशल टाइप का केस है जो सरकार के नोटिस में लाया गया है। इसलिये इस केस को एग्जामिन कर रहे हैं, पार्टीज से पूछ रहे हैं कि बीच के पीरियड के लिये लगान देने को तैयार हैं या नहीं। तो जनरल चीज सब केसेज के लिये नहीं कही जा सकती।

श्री रघुनाथ विश्नोई : २००९ की साल में मारवाड टीनेन्सी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट दोनों मौजूद थे। २००९ में उनकी साधारण बीघोडी दर्ज की हुई है, गैर खातेदारी दर्ज की हुई है। एक तहसीलदार की गलती से जब कि मौके की कलेक्टर की रिपोर्ट दी जा चुकी है और २००९ में बीघोडी वसूल हुई है तो वैसी दशा में २०१० और २०११ में उन काश्तकारों से पैनल्टी वसूल करना कानूनी ठीक नहीं है।

Page No.3

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
पैनल्टी का सवाल तो २००९ में भी था। २०१० और ११ में इजाजत लेने का लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कोई प्रॉविजन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

कोयले का आवण्टन

३३१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कितना और किस किस प्रकार का कोयला किस प्रकार अलॉट होता है?

(२) सन् १९६२ में किस किस माह में कितना कितना कोयला अलॉट हुआ था?

(३) इस कोयले का वितरण जिलेवार किस प्रकार हुआ है? क्या गत वर्ष कोयला उससे पहले के वर्ष की तुलना में कुछ जिलों को कम दिया गया? यदि हां, तो किन किन को?

(४) कोयले के वितरण के क्या नियम हैं और कब से लागू हैं? क्या इन नियमों में सन् १९६२ में कोई संशोधन किया गया है? यदि हां, तो क्या? कृपया इन नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) राजस्थान में पूरे वर्ष का प्रतिमाह समान कोटा निर्धारित नहीं रहा है। अतः सन् १९६२ के माहवारी कोटे की तालिका संलग्न प्रपत्र में है। इस कोटे द्वारा हार्ड, सोफ्ट, स्टीम व स्लेक कौल रेक सिस्टम एवं परमिट सिस्टम द्वारा जनता एवं लघु उद्योगों को आवश्यकतानुसार अलॉट किया जाता है।

(२) सन् १९६२ में किये गये माहवारी अलाटमेंट की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) उक्त कोयले के जिलेवार वितरण की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। पिछले वर्ष जिलेवार कोई कोटा निर्धारित नहीं था अतः किसी भी जिले को कम कोटा देने सम्बन्धी प्रश्न ही नहीं उठता। जनता तथा हलवाइयों को जन-संख्या एवं आवश्यकता के आधार पर तथा लघु उद्योगों को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उनकी आवश्यकता की जांच कर सिफारिश करने पर स्टेट कोटे और रेल्वे रूल्स को मद्देनजर रखते हुए कोटा अलॉट किया जाता है।

(४) कोयले का वितरण राजस्थान कौल कन्ट्रोल ऑर्डर (वितरण), सन् १९५२ के तहत किया जाता है। सन् ६२ में इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। ऑर्डर की प्रतिलिपि संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न ३ का उत्तर ठीक नहीं है। इसमें पूछा गया है कि 'क्या गत वर्ष कोयला उससे पहले के वर्ष की तुलना में कुछ जिलों को कम दिया गया? यदि हां, तो किन किन को?'

श्री चन्दनमल वैद : मैंने कहा न जिलेवार कोटा निर्धारित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : निर्धारित का सवाल नहीं एक्च्युअल अलॉटमेंट के फीगर्स दें।

श्री चन्दनमल वैद : एक्च्युअल अलॉटमेंट के ही फीगर्स दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस वर्ष के दिये हैं, पिछले वर्ष के नहीं दिये।

श्री अध्यक्ष : भाग ३ में भी लिस्ट दी है।

श्री भैरोंसिंह : वह लिस्ट नहीं। मैंने पूछा है, 'क्या गत वर्ष कोयला उससे पहले के वर्ष की तुलना में कुछ जिलों को कम दिया गया ? यदि हां, तो किन किन को ?' तो किन किन को कम मिला, यह बतायें। जिलेवार नहीं बांटा है तो एक एक जिले को तो अलॉट किया है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य जिस पोइन्ट पर पहुंचना चाहते हैं वह इस दृष्टि से ठीक नहीं कि कोयले का कोटा जिलेवार नहीं दिया जा सकता, किसी जिले में इन्डस्ट्रीज ज्यादा हो सकती हैं, कहीं मांग ज्यादा हो सकती है; इस दृष्टि से कोटा दिया जाता है तो यह कहना कि आज इस जिले में इतना दिया गया, दूसरे साल कम दिया गया यह कम्पेरिजन नहीं किया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह है कि जिस किसी बेसिस पर इस साल कोटा अलॉट किया तो लास्ट ईयर भी किया होगा, कोई कमी-बेशी हो तो रीजन्स मालूम करना चाहता था। वह तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि लास्ट ईयर के फीगर्स नहीं दें।

श्री अध्यक्ष : इसका कारण तो मंत्री महोदय ने बता दिया।

श्री भैरोंसिंह : वह कारण तो बाद में देखूंगा। किसी जिले में इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट नहीं हुआ और कोटा नहीं दिया तो वह रीजन्स अलग होंगे। इस समय मैं वे फीगर्स लास्ट ईयर के चाहता हूं। वे जब तक नहीं मिलेंगे मेरे क्वेश्चन करने का परपज सर्व नहीं होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले यदि ज्यादा अलॉट किया तो बाद में कम क्यों किया गया ?

श्री चन्दनमल बैद : यह क्वेश्चन के माध्यम से कैसे डिस्कस किया जा सकता है। बजट पर डिस्कशन के समय इसे डिस्कस कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन फैक्ट्स का है डिस्कशन का नहीं। डिस्कशन का मौका आयेगा तब करूंगा। इस साल के जिलेवार आंकड़े दिये हैं तो लास्ट ईयर के भी दे दें।

श्री चन्दनमल बैद : यह नहीं कहा कि जिलेवार दिये हैं, किस किस जिले को कितना दिया है, वह मैंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह : इसी तरह लास्ट ईयर का भी बता दें।

श्री चन्दनमल बैद : इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा।

श्री भैरोंसिंह : मतलब निकलेगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि जहां इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट ज्यादा हुआ है वहां दिया है, जिलेवार अलॉटमेंट नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं इस चीज को डिस्प्यूट नहीं कर रहा। मुझे फीगर्स बतादें।

श्री चन्दनमल बैद : फीगर्स का महत्व क्या हो सकता है ? लास्ट ईयर के फीगर्स और इस साल के फीगर्स मेल नहीं खा सकते।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि लास्ट ईयर किसी जिले को ज्यादा कोटा दिया गया और इस साल कम, आखिर इसका बेसिस तो कुछ रहा होगा। फीगर्स यदि मिल जाते हैं तो मैं डिफरेन्स पोइन्ट आउट कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : रूल्स के अन्दर क्वान्टिटी थोड़े ही निर्धारित की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : लास्ट ईयर जो बेसिस रहा इस वर्ष वह क्यों नहीं रहा ?

Page No.5

श्री चन्दनमल बैद : हर माह कोटा निश्चित नहीं रहता है, घटता-बढता रहता है। पिछले साल किसी जिले को हो सकता है ज्यादा कोटा दिया गया हो। वह महत्व उसका इस साल नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : लास्ट इयर कितना अलॉट किया, यह बताने में आपको क्या दिक्कत है?

श्री चन्दनमल बैद : क्वेश्चन फिर आप इसी तरह का पूछते।

श्री भैरोंसिंह : मैं दो साल का कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट चाहता हूं जो मैंने प्रश्न में मांगा है।

श्री अध्यक्ष :- माननीय मंत्री महोदय कहते हैं, हेरफेर हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : कौन कौन से जिले में, यही तो मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : फीगर्स अवेलेबल हों तो जरूर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : मैंने स्पेसिफिकली मांगा है कि किस जिले में कोयले का वितरण किस प्रकार हुआ और गत वर्ष के उससे पहले के वर्ष की तुलना में कुछ जिलों को कम दिया गया? यदि हां, तो किन किन को?

श्री चन्दनमल बैद : आपने पूछा, किस साल में दिया गया। वह मैंने बता दिया।

श्री अध्यक्ष : इस पर ज्यादा बहस नहीं होगी। फिगर्स अपने पास अवेलेबल हों तो दे सकते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : ६१ के फीगर्स अवेलेबल करवा सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अलग अलग कोटा जो निर्धारित करते हैं उसका बेसिस क्या है?

श्री चन्दनमल बैद : जहां फैक्टरीज़ ज्यादा हैं तो वहां ज्यादा और कम है वहां कम।

श्री अध्यक्ष : That he readily admits.

महारावल श्री लक्ष्मनसिंह (आसपुर) : Where is the harm if the figures are given?

श्री अध्यक्ष : Figures are available.

श्री भैरोंसिंह : Figures should be given. I simply want figures.

श्री अध्यक्ष : If figures are available these may be given,

श्री चन्दनमल बैद : Had you desired the figures specifically......

श्री अध्यक्ष : We cannot enter into a long discussion like this. He has already given a vague idea of the whole thing.

श्री भैरोंसिंह : आप लोकल रिक्वायरमेन्ट्स को किस प्रकार असेस करते हैं?

श्री अध्यक्ष : Next ! Shri Mohan Raj

फालना व रानी उद्योग बस्तियों को पतरे

३३२. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि फालना व रानी उद्योग वस्तियों का निर्माण कार्य वर्ष भर से अधूरा रुका पडा है और इसका प्रमुख कारण शैड ढकने के हेतु पतरों का उपलब्ध न होना है?

(श्री मोहन राज)

(२) क्या यह सही है कि चीफ कन्ट्रोलर ऑफ आयरन एण्ड स्टील ने अजमेर में लगी प्रदर्शनी हेतु दिये गये पतरों को फालना व रानी की उद्योग बस्तियों हेतु एलाट किया था? यदि हां, तो पतरे उद्योग बस्तियों को उपलब्ध क्यों नहीं हो सके ?

(३) क्या यह सही है कि इसके फलस्वरूप कई उद्योग लगाने वालों की मशीनरी गत १–१॥ वर्ष से व्यर्थ पडी बर्बाद हो रही है और कई उद्योग लगाने वाले इसी कारण से पुनः बम्बई और अहमदाबाद की ओर जा रहे हैं ?

उप-मंत्री उद्योग (श्री चन्दनमल बैद) : (१) जी हां।

(२) जी हां, किन्तु यह कोटा बाद में आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर ने रद्द कर दिया।

(३) ऐसी कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री मोहनराज: यह कोटा जो अलॉट किया गया था वह आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर ने किस तारीख को रद्द किया ?

श्री चन्दनमल बैद : तारीख तो मेरे पास नहीं है। इसके बाद हमें एक वेगन चद्दरों का Small Industries Corporation को मिला है जिसमें १५ टन फालना और १० टन रानी को अलॉट कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

तालाब और एनीकट से लघु सिंचाई के लिए ऋण

३३३. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि हाल ही में तालाब और एनीकट के द्वारा लघु सिंचाई के लिये ऋण के रूप में धन राशि देने की व्यवस्था की गई है ?

(२) यदि हां, तो गांव से सामुदायिक रूप से बोन्ड कैसे भराया जायगा? यदि प्रत्येक व्यक्ति से भराया जाता है तो वसूली कैसे होगी ? बन्धक रूप में किसकी सम्पति रखी जायगी ?

(३) क्या यह सही है कि इस प्रकार की कठिनाइयों के कारण अभी तक यह योजना कार्यान्वित नहीं हुई है ?

उप-मंत्री सामुदायिक विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) गांव से बोन्ड भराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे तालाब पंचायत समिति या पंचायत के होंगे। पंचायत समिति के द्वारा अनुदान के रूप में रकम दी जायगी।

(३) जी नहीं। कठिनाई अवश्य है किन्तु योजना कार्यान्वित नहीं हुई है, ऐसी भी बात नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अब तक किस पंचायत समिति ने लोन लिया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कई पंचायत समितियों ने लोन लिया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : दूसरे भाग का जो जवाब दिया, पंचायत समितियों को दिया जाता है, क्या उनसे लिखा पढी नहीं करवाई जाती।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायतों को अनुदान के रूप में दिया जाता है।

Page No.7

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत : पंचायत समितियों के पास फिर ऋण चुकाने के क्या साधन हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : टैक्सेज वे लगा सकते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत : लघु सिचाई के लिये पंचायत समिति को ऋण देते हैं। कुए वगैरह खुदवाने के लिये भी देते हैं क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : लघु-सिचाई योजना के लिये ऋण देते हैं ।

मुख्य एवं सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : इसके जवाब में कुछ कन्फयूजन हुआ है; वह इस मायने में कि जो नयी योजना लागू की है जिसमें लघु सिचाई के लिये धन राशि कर्ज के रूप में देने के बारे में है। ऋण के रूप में देने के बारे में जो रिप्लाई है उसमें पंचायत समिति के जरिये से फन्ड्स दिये जाते हैं वह इससे कनेक्टेड है। यह ठीक है कि इस प्रकार की एक योजना बनाई है जिसमें कुओं के लिये या ट्यूब-वेलों के लिये जिस प्रकार से तकावी देते थे उसी प्रकार कुछ व्यक्तियों को छोटी-सिचाई के लिये जो साथ मिल कर के सिचाई करना चाहते हैं उनको लोन दिया जा सके, शायद यह प्रश्न उसी से संबंधित है। उस संबंध में हो सकता है अभी प्रगति नहीं हुई हो। लेकिन इसका जवाब अलग से माननीय सदस्य चाहें तो वह दिया जा सकता है । पंचायतों और पंचायत समितियों द्वारा लघु-सिचाई के लिये जो खर्च किया जाता है उसके बारे में यह जवाब दिया गया है । लेकिन जो माननीय सदस्य का भावार्थ है उस योजना के अन्तर्गत कर्जा दिया जाने का, उसके बारे में क्या मेथेड एडॉप्ट होगा, यह रिप्लाई उसका नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : पहले ग्रान्ट के रूप में ऋण दिया जाता था अब लोन के रूप में दिया जाने लग गया है इसलिये कोई पंचायत समिति स्वीकार नहीं कर रही है। इससे छोटे तालाब और कुए बन नहीं पाते इसलिये हमारे यहां के लोगों का सिंचाई का काम ठप्प हो रहा है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह कारण तो नहीं, इसमें पंचायत समिति के जरिये जो रुपया दिया जाता है किसानों को कर्ज दिया जाय उनसे बौण्ड भराये जाय, यह इसमें नहीं आता । दिन प्रतिदिन ये स्थितियां हो सकती हैं जिसमें कुछ व्यक्ति मिल करके सिंचाई का काम करना चाहते हों और उसके लिये कर्जा चाहते हों, उसके लिये अलग से योजना स्वीकार की गई है वह इस रिप्लाई से कवर नहीं होती है ।

प्रश्न संख्या ३४४

श्री अध्यक्ष : श्री गणपतिलाल वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द मोदी :

लघु औद्योगिक सहकारी समितियां—तहसील नीम-का-थाना

३३५. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (थोई) : क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) नीम-का-थाना तहसील के अन्तर्गत कुल कितनी लघु औद्योगिक सहकारी समितियों का अब तक पंजीकरण हुआ है ? और कितनी कार्य कर रही हैं ? पंजीकरण में कितना खर्च हुआ है ?

Page No.8

(श्री ज्ञानचन्द मोदी)

(२) इन लघु औद्योगिक सहकारी समितियों की सरकार के पास कितने कर्ज की दरख्वास्तें आयीं हैं और वे कब से विचाराधीन हैं ?

(३) अब तक कुल कितना कर्ज किन किन समितियों को दिया गया ?

(४) यदि अब तक किसी को कर्ज नहीं दिया गया तो क्या कारण है ?

(५) क्या सरकार ने इन समितियों को कोई कच्चा माल दिया है ? यदि हां, तो किन किन समितियों को क्या क्या कच्चा माल कब दिया गया ?

(६) सरकार ऐसी समितियों को कर्ज मिलने की क्या व्यवस्था कर रही है ? अब इन समितियों को कब तक कर्ज मिल जावेगा ?

उप मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) अब तक १८ समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जिनमें से ८ समितियां कार्य कर रही हैं। पंजीकरण में कोई खर्चा नहीं लगता।

(२) सात समितियों के कर्जे के आवेदन प्राप्त हुए जिनको ऋण दिया जा चुका है। कोई विचाराधीन नहीं है।

(३) अब तक जिन समितियों को कर्जा दिया गया है वह निम्न प्रकार है :—

	रुपये
(१) किशोरपुरा खादी उत्पादन सहकारी समिति	२५,६००
(२) ढाणी खटीकान ऊन उत्पादक सहकारी समिति	३,०००
(३) श्री विश्वकर्मा कृषि उपकरण निर्माण सहकारी समिति ..	५,०००
(४) मंडोली महिला उद्योग सहकारी समिति	३५०
(५) नीम-का-थाना बुनकर सहकारी समिति ..	१,९३५
(६) अजमेरी बुनकर सहकारी समिति ..	७५०
(७) गांरेडी गांवी बुनकर सहकारी समिति ..	४१२
कुल योग	३७,०४७

(४) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जिन सात समितियों ने आवेदन-पत्र दिये उन्हें कर्जा दिया जा चुका है।

(५) जी नहीं।

(६) जिन समितियों ने ऋण आवेदन-पत्र दिये उन्हें ऋण दिलवाया जा चुका है। ऋण कब तक दिलवाने का प्रश्न नहीं उठता।

भाखरा क्षेत्र की भूमि नीलामी तथा अलाटमेंट से प्राप्त धनराशि

३३६. **श्री श्योदत्तसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान सरकार को भाखरा क्षेत्र की सरकारी भूमि की नीलामी तथा अलॉटमेन्ट द्वारा कुल कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है व अब तक कितनी हो चुकी है ?

मुख्य एवं राजस्व मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : भाखरा क्षेत्र में सरकारी भूमि की नीलामी तथा अलॉटमेन्ट द्वारा कुल १०,१८,००,००० रु० प्राप्त होने का अनुमान है व अब तक ३,२४,७४,५९५ रु० की धन राशि प्राप्त हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जुझारसिंह।

Page No.9

सुकेत से सलावद (त. रामगंज मंडी) तक-लिक रोड एवं पुलिये का निर्माण ।

३३७. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the **Panchayat Minister** be pleased to state:—

(1) How much amount was received at village contribution and how much amount was advanced by Panchayat Samiti, Chechat, for the construction of a LINK ROAD and a Bridge from a village SUKET to SALAWAD in Tehsil Ram Ganj Mandi and when ?

(2) What agencies were entrusted to look after and complete this work?

(3) Is it a fact that Local Panchayat was not taken into confidence and the work given away on contract and that it has not been completed as yet ?

(4) What steps the Government propose to take to complete the work or recover the money advanced to the contractor ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) ग्राम सुकेत से सलावद तक लिंक रोड एवं पुलिया बनाने के लिये पंचायत समिति, चेचट द्वारा क्रमशः १०,०००) एवं २,०००) रुपये की धन-राशि चुकाई गई थी। उपरोक्त निर्माण कार्यों में से केवल लिंक रोड के लिये १,१००) (ग्यारह सौ) रुपये का जन-सहयोग प्राप्त हुआ।

(२) यह कार्य स्थानीय विकास समिति को सौंपा गया था।

(३) निर्माण का काम पंचायत को नहीं बल्कि विकास समिति को सौंपा गया जिसमें ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया। इस समिति को पंचायत का भी सहयोग था। निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

(४) निर्माण काम जितना ठेकेदार ने किया उसकी सहायक अभियन्ता द्वारा जांच कराई गई है। ठेकेदार को काम अपूर्ण रखने के सम्बन्ध में नोटिस दिया जाकर काम पूर्ण कराने अथवा एडवान्स में से बकाया रकम वापिस वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री जुझारसिंह: क्या यह सही है कि यह रुपया दो इन्स्टालमेन्ट्स में दिया गया है और दूसरी इन्स्टालमेन्ट इस शर्त पर देते हैं कि जब पहली इन्स्टालमेन्ट का प्रोपर यूज किया गया हो ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री जुझारसिंह : कौनसी जानकारी ? पहले वाले हिस्से की या बाद के हिस्से की मेरे प्रश्न के।

जो रुपया पंचायत समिति के मार्फत खर्च कराया गया है उसमें पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव को भी शामिल किया गया था या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: पहले से ही विकास समिति बनी हुई थी। उसमें पंचायत का भी सहयोग था।

श्री जुझारसिंह : जो काम गांवों में कराया जाता है उसमें ऐसे विकास के कामों में जनता के प्रतिनिधि का सहयोग लेना जरूरी है। पर मेरी इन्फॉर्मेशन है कि यह काम उनसे नहीं करवाया जाकर तहसील के मार्फत करवाया गया और इसका एक ठेकेदार को ठेका दिया गया जो कि इस तरह के कामों के लिये वाजिब नहीं है ?

Page No.10

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो ठीक है । इसकी जांच करवाई जावेगी कि इस तरह से यह काम क्यों करवाया गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

राजस्थान में सेल्स टैक्स से सन् १९६३–६४ से अनुमानित आय ।

३३८. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ अप्रेल, सन् १९६२ से लेकर अब तक राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सेल्स टैक्स के अन्तर्गत सरकार को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए किस किस तारीख से किस किस आर्टिकल पर सेल्स टैक्स लगाया गया, सेल्स टैक्स बढाया गया, सेल्स टैक्स कम किया गया तथा सेल्स टैक्स बिलकुल समाप्त कर दिया गया ?

(ख) उपरोक्त आज्ञाओं से ६२-६३ म प्रत्येक मद से कितनी कितनी अनुमानित आय होगी तथा टैक्स कम करने अथवा बिलकुल समाप्त करने से आय में अनुमानित कितनी कमी होगी ? कृपया इसका एक विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (क) राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, १९५४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने १-४-१९६२ के पश्चात्:—

(१) जिन वस्तुओं पर बिक्री—कर की दर बढ़ाई है वह सूची 'क' में अंकित हैं।

(२) जिन वस्तुओं पर बिक्री कर की दर कम की है वह सूची 'ख' में अंकित हैं।

(३) जिन वस्तुओं को कर—मुक्त किया है वह सूची 'ग' में अंकित हैं ।

(४) जिन वस्तुओं को अधिनियम की धारा विशेष के अंतर्गत कर-देय घोषित किया अथवा जो कर-मुक्त थीं उनको कर-देय घोषित किया । वह सूची 'घ' में अंकित है। इन सूचियों को सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) विभाग अलग २ वस्तुओं की अनुमानित आय निर्धारित नहीं करता है । अतः इच्छित आंकडे उपलब्ध करना संभव नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जिस समय टैक्स प्रपोज किया जाता है उस समय उन एस्टीमेट्स के प्रपोजल्स लाये जाते हैं, क्या यह सही है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : वे एस्टीमेट इसके कितने हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल: वे बजट-एस्टीमेट्स में आ गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसमें ऐसे आइटम्स भी हैं जो बजट-एस्टीमेट्स में शामिल नहीं थे, बाद में लगाये हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : उनके एसटीमेट्स क्या हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : करीब ७० लाख ।

श्री भैरोंसिंह : अलग अलग डिटेल दीजियेगा ।

Page No.11

श्री बालकृष्ण कौल : मैं नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : जैसा क्वश्चन मैंने पूछा है उस हिसाब से तो मैंने डिटेल मांगी है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज करूंगा कि जिन जिन अनुमानों पर टैक्स लगाया गया है उनकी डिटेल, उनके फिगर मेरे पास इस समय नहीं हैं। पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उनसे ७० लाख की आमदनी होगी।

श्री भैरोंसिंह: मैं डिटेल जानना चाहता हूं। बजट पास होने के बाद में जो सेल्स टैक्स लगाया गया है उनके एस्टीमेट्स क्या क्या हैं ? इसके बिना तो आपने भी क्या लगाये होंगे ? एस्टीमेट्स तो आपने बनाये ही होंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : बाद में, थोडी देर बाद में आप देख लीजियेगा फिर।

श्री भैरोंसिंह : दूसरा क्वेश्चन है टैक्सेज बजट प्रपोजल्स के बाद में लगाये हैं। आपने गवर्नमेन्ट की तरफ से अपने भाषण में बताया है कि List of goods, which were exempted from levy of tax, live stock, excluding sheep, camel and goat. तो क्या सरकार यह कह सकती है कि बजट भाषण में इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि लाइव-स्टाक पर टैक्स नहीं लिया जावेगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं। फिर दे देता हूं कि जिस वक्त आश्वासन दिया था वह यह था कि इनको छोडकर और कैटल पर नहीं लगावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : सत्तर लाख के आपने एस्टीमेटड टैक्स लगाये हैं, क्या उनके बारे में लास्ट बजट पेश करते हुए संकेत किया था ?

श्री बालकृष्ण कौल : सरकार ने इस सदन से आज्ञा ली हुई थी कि अगर जरूरत पड़ी तो मैक्जिमम यहां तक लगा सकते हैं। इसलिये उस आज्ञा के अनुसार सरकार ने टैक्स लगाये।

श्री भैरोंसिंह : किस मैक्जिमम तक सरकार ने सदन से आज्ञा प्राप्त कर ली थी ?

श्री बालकृष्ण कौल: दस परसेन्ट तक।

श्री भैरोंसिंह : वह दस परसेन्ट कुल कितना होता है ?

श्री बालकृष्ण कौल : करीब सत्तर लाख बताया।

श्री भैरोंसिंह : दस परसेन्ट किस का ?

श्री अध्यक्ष : दस परसेन्ट तक सेल्स टैक्स लगा सकते हैं चीजों की कीमतों पर।

श्री भैरोंसिंह : यह हाउस से आपने स्वीकृति ले ली थी कि दस परसेन्ट तक टैक्स लगा सकते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : वह तो कानून में ही दर्ज है।

श्री भैरोंसिंह : कानून में कुछ भी होगा। आप यह कह रहे हैं कि हाउस से एप्रूवल ले लिया था। यह मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसका उत्तर दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य यह नहीं समझ रहे हैं ....

श्री भैरोंसिंह : आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, ज्यादा समझ रहे हैं, मैं कम हूं। आप तो सीधा जवाब बता दें।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, यह आपको डाइरेक्शन दे रहे हैं या मुझ को ?

Page No.12

(श्री बालकृष्ण कौल)
मैं अर्ज कर दूं कि जिस वक्त सेल्स टैक्स एक्ट बनाया था सरकार को इजाजत दी हुई है, सदन ने दी है कि १० परसेन्ट तक जिस पर चाहें सरकार टैक्स लगा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी जो बताया कि बजट के समय एप्रूवल सदन का ले लिया था कि दस परसेन्ट टैक्स बढाया जा सकता है। आपने एप्रूवल ली थी ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह सवाल ही नहीं उठता। उस वक्त एप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : तो यह समझा जावे कि जो एस्टीमेट्स बताये थे सदन में तो उस वक्त सरकार के ध्यान में नहीं था कि आगे ऐसे टैक्स लगाने पडेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : इसके माने तो यही हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : इसमें जनरल सेल्स टैक्स बुक में ४ परसेन्ट से ५ परसेन्ट कर दी। यह किस आधार से कर दी ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह किस पर किस आधार पर कहा ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : आपके सेल्स टैक्स एक्ट में जनरल सेल्स टैक्स ४ परसेन्ट लगा और आपने इसमें भी चार से छः करने का लिखा है। जब कि पांच से छः होना चाहिये था। मूल एक्ट में चार ही था और चार से छः कर रहे हैं आप, और गत वर्ष पांच आपने वसूल किया है। यह किस कानून के आधार पर लिया है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इसका नोटिस लेना चाहता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपने चार से किया है या पांच से ? आपने जनता से पांच परसेन्ट की रेट से लिया है यह कैसे, यह बतलावें आप कृपा करके।

श्री बालकृष्ण कौल : पांच परसेन्ट से वसूल किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो फिर यह कैसे ?

श्री भैरोंसिंह : आपने लिस्ट दी है चार की ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाले। आप (श्री बालकृष्ण कौल) इसको देखलें और सदन को जानकारी दे दें कि वस्तुस्थिति क्या है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह जानकारी आपके मार्फत आनी चाहिये साहब।

बागात में कार्य करने वाले हालियों की तनख्वा है— अलवर

३३९. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर के कुछ बागात सन् १९६१ में कृषि विभाग से राजस्व विभाग में ट्रान्सफर कर दिये गये थे ?

Page No.13

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(२) क्या यह सही है कि इन बागात में काम करने वाले हाली (प्लोमैन) भी राजस्व विभाग को ही ट्रान्सफर हो गये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इन हालियों की तनख्वाहें गत नवम्बर महीने से नहीं मिली है।

(४) यदि हां, तो क्यों ? अब सरकार उनकी अदायगी किस तारीख तक कर देगी ?

मुख्य एवं राजस्व मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) :(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनका पेमेन्ट कब किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : २ फरवरी, ६२ को ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न पूछने के बाद ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ।

अलवर कोआरेटिव बैंक में डाइरेक्टरों का चुनाव

३४०. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि अलवर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक में डाइरेक्टरों के चुनाव गत १२–१–६३ को संपन्न हुए हैं ?

(२) इस चुनाव के लिये मीटिंग का अजेण्डा किस तारीख को निकाला गया था ?

(३) क्या यह सही है कि चुनाव होने से केवल दो दिन पहले अर्थात् १०–१–६३ को बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को स्पेशल मीटिंग करके ४३ सदस्यों को व्यक्तिगत सदस्यों के तौर पर भरती किया गया ?

(४) क्या यह सही है कि इस स्पेशल मीटिंग बुलाने और ४३ सदस्यों को भरती करने के आदेश कलेक्टर को सहकारी विभाग के मंत्रालय से जारी किये गये थे ?

(५) क्या यह सही है कि बैंक की जनरल मीटिंग में किन्हीं सदस्यों द्वारा यह एतराज उठाया गया था कि मीटिंग का नोटिस निकलने के बाद भरती किये गये सदस्य वोट नहीं दे सकते लेकिन कलेक्टर साहब ने जो चेयरमैन थे, यह एतराज अस्वीकार कर दिया ?

(६) व्यक्तिगत सदस्यों की ओर से इस बैंक के डाइरेक्टरों के चुनाव में कौन २ उम्मीदवार थे ? प्रत्येक उम्मीदवार को कितने कितने वोट आये और कौनसा उम्मीदवार कितने वोटों से विजयी घोषित हुआ ?

सहकारी उप-मंत्री (श्री भीमसिंह): (१) जी हां, अलवर सैन्ट्रल कोऑपरेटिव संचालक मण्डल के तीन रिक्त स्थानों के लिये चुनाव दिनांक १२–१–६३ को जो साधारण सभा का जलसा हुआ उसमें हुआ था ।

(२) इस मीटिंग का नोटिस दिनांक २८–१२–६२ को बैंक द्वारा निकाला गया था।

(३) यह सही है कि दिनांक १०–१–६३ को बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें ४३ व्यक्तियों की सदस्यता स्वीकृत की गई थी ।

Page No.14

(श्री भीमसिंह)

(४) जी नहीं।

(५) यह सही है कि किन्हीं सदस्यों ने बैंक की जनरल मीटिंग में दिनांक १०–१–६३ को भरती किये गये सदस्यों द्वारा वोट दिये जाने के संबंध में एतराज उठाया था किन्तु बहुमत से इनको वोट दिये जाने का अधिकार दे दिया गया और इस बहुमत के निर्णय के आधार पर ही कलेक्टर महोदय ने, जो कि चेयरमैन थे इस एतराज को अस्वीकार किया।

(६) व्यक्तिगत सदस्यों की ओर से बैंक के डाइरेक्टरों के चुनाव के लिये श्री शोभाराम व श्री बृजबिहारीलाल के नाम प्रस्तावित हुए थे। श्री शोभाराम को ११७ व श्री बृजबिहारीलाल को ७३ मत प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री शोभाराम ४४ मतों से विजयी हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने प्रश्न संख्या ४ का उत्तर दिया है कि सरकार ने कलेक्टर को कोई आदेश नहीं दिये। क्या यह सही है कि सेक्रेटरी कोऑपरेशन डिपार्ट-मन्ट की ओर से एक पत्र कलेक्टर को यह लिखा गया कि हमें ४३ आदमियों ने इस प्रकार से रिप्रेजेन्टेशन किया है कि उनको मैनेजर ने लिस्ट में भरती नहीं किया और इसलिये गवर्नमेन्ट यह आदेश देती है कि उनको भरती कर लिया जावे और पत्र आपके सेक्रेटरी ने कलेक्टर को लिखा है और उसके रिमाइण्डर के तौर पर इसी के कन्टीन्यूएशन में असिस्टेन्ट सेक्रेटरी ने दूसरा पत्र भी इस प्रकार का लिखा है। यह सही है या गलत है?

श्री भीमसिंह : आपका प्रश्न है कि क्या यह सही है कि इस स्पेशल मीटिंग बुलाने और ४३ सदस्यों के भरती करने के आदेश कलेक्टर को सहकारी विभाग के मंत्रालय से जारी किये थे, उसके लिये मैंने 'जी नहीं' अर्ज किया। क्योंकि यह जो मीटिंग हुई यह २९–१२–६२ को बैंक के पांच सदस्यों के संचालक मंडल के पांच डाइरेक्टरों ने दरख्वास्त दी थी २६–१२–६२ को साढे दस बजे। मेम्बरों ने अर्जियां पेश की थीं उनको स्वीकार नहीं किया गया। इसलिये पांच डाइरेक्टरों के सबमिट करने पर मीटिंग कॉल की गई और उन्होंने १०–१–६३ को इन आदमियों का तय किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने ४३ मेम्बरों को भरती कर लिया जाये, मीटिंग बुलाये बगैर – मैं उसको वापिस लेता हूं—और मीटिंग बुलाये ४३ मेम्बरों को भरती कर लिया जाये ऐसा–सेक्रेटरी का लेटर कलेक्टर को इश्यू किया गया?

श्री भीमसिंह : बगैर मीटिंग बुलाकर भरती कर लिया जाये ऐसा तो, ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन मेम्बरों को भरती कर लिया जाये, ऐसा लटर इश्यू किया गया या नहीं?

श्री भीमसिंह : यह इश्यू किया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर आप उस लैटर को पढ़कर सुना दें।

श्री भीमसिंह : मैं बताता हूं। आपका रिलेवेन्ट पोर्शन है:

"In case action to have the members enrolled is being taken, it is suggested that this may be done in time, so as to enable them to exercise their rights

Page No.15

(श्री भीमसिंह)
in the forthcoming meeting to be held on the 12 January"

तो मीटिंग तो पहले ही डाइरेक्टर्स की एप्लीकेशन्स के ऊपर शिड्यूल्ड थी। उन्होंने अपनी दरख्वास्त को जो २६ तारीख के लिये थी उसमें यह था :

> "दिनांक २६–१२–६२ को बैंक के संचालक मंडल के ५ सदस्यों ने लिखित रूप में यह मांग की कि बैंक के मैनेजर द्वारा दिनांक २६–१२–६२ को दिन के साढे दस बजे बहुत से व्यक्तियों के सदस्यता के लिये प्रार्थना-पत्रों को लेने से इन्कार कर देने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार करने के लिये संचालक मंडल की एक बैठक दिनांक १०–१–६३ से पूर्व बुलाई जावे। इस प्रार्थना-पत्र पर निम्नलिखित डाइरेक्टर्स के हस्ताक्षर थे : श्री प्रभुदयाल, श्री बाबू लाल अग्रवाल, श्री त्रिलोकीनाथ भार्गव, श्री राजेश्वर लाल भार्गव, और श्री कपूरचन्द। अतः तारीख १०–१–६३ को संचालक मंडल की बैठक बुलवाई गई और उसमें काफी विचार होकर उन ४३ व्यक्तियों को सदस्य बना लिया गया। इस मीटिंग के लिये कहीं से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए। २–१–६३ को सहायक सचिव सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जो पत्र जिलाधीश महोदय को लिखा गया था उसमें तो केवल यह सुझाव दिया गया था कि यदि सदस्यों की भर्ती किये जाने की कार्यवाही की जा रही हो तो इसको समय पर कर लिया जावे ताकि वे १२–१–६३ को होने वाले साधारण सभा की मीटिंग में मत दे सकें।

तो गवर्नमेंट ने तो यह सजेशन दिया कि मीटिंग को पोस्टपोन नहीं करके अगर मीटिंग बुलाई है तो टाइम पर होनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि पत्र को लिखने से पहले गवर्नमेन्ट ने एक लेटर रजिस्ट्रार को लिखा कि यह जो मीटिंग १२-१-६३ को फिक्स की गई है इसको पोस्टपोन कर दिया जाये।

श्री भीमसिह: पोस्टपोन करने के बारे में कोई लेटर लिखा हो, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह बतायें कि चिट्ठी ऐसी लिखी या नहीं ? फाइल आपके पास मौजूद है, फिर क्यों नहीं बताते ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): अभी जो सेक्रेट्रियेट से पत्र लिखा गया उसका एक्सट्रैक्ट माननीय सदस्य को बताया गया कि जिसके अन्दर स्पष्ट तौर से कहा गया कि जब कि हमारे सामने इस प्रकार की बात आई कि उस मीटिंग में कुछ मेम्बर्स को तो एनरोल करने के लिये रखा जा रहा ह और कुछ के नाम नहीं हो रहे हैं तो गवर्नमेंट ने यह कहा है कि: "I am further directed to say that in case action to have the members enrolled is being taken, it is suggested thet this may be done in time, so as to enabla them to exercise their rights in the forth-coming meeting to be held on the 12th"

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास उस जनरल मीटिंग

Page No.16

(श्री रामानन्द अग्रवाव)

की मिनिट्स हैं जिसमें कलेक्टर ने साफा तौर पर उस मीटिंग में यानी बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग में यह कहा है जिसका रिलेवेन्ट पोर्शन पढकर सुनाता हूं :

"अध्यक्ष ने बताया कि मैनेजर के खिलाफ जांच और वह प्रार्थना-पत्र जिनके ऊपर कहा जाता है कि मैनेजर ने इन्कार कर दिया वह अलग प्रश्न है । उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने यह शिकायत की कि २६ तारीख को उनके प्रार्थना-पत्र नहीं लिये गये । राज्य सरकार ने आशा की थी और सरकार द्वारा ४३ प्रार्थना-पत्र इस आदेश के साथ भेजे गये हैं कि उन्हें मेम्बर बनाया जाये ।"

ये मिनिट्स हैं जिसमें कि कलेक्टर, जो कि चेयरमैन है, का लिखा हुआ है । तो ये तीन पत्र इश्यू हुए हैं उनमें से यह कौन से पत्र का रेफरेन्स दे रहे हैं, मैं नहीं कह सकता; लेकिन जो कलेक्टर ने सूचना दी है मीटिंग में उससे साफ जाहिर है कि गवर्नमेन्ट के आर्डर्स क्लियर-कट यह हैं कि ४३ सदस्यों को भरती किया जाये । अब आगे, अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो आदेश दिये, ये कौन से पावर्स के तहत इस प्रकार का डाइरैक्शन देने का अधिकार था ? कोऑपरेटिव एक्ट की कौनसी धारा और रूल्स के तहत ये आदेश दिये हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो ये आर्डर्स दिये गये हैं, लटेस्ट है इस माने में कि : "In continuation to the letter referred to above" के बाद में जिसका आपने जिक्र किया था मह उसके बाद में भेजे गये और उस को भेजने में गवर्नमेन्ट ने कौनसी धारा और किसके अन्तर्गत दिये गये यह नहीं कह सकता, लेकिन गवर्नमेन्ट के सामने अगर कोई यह कहे कि उनके नाम को कन्सीडर करके जो कि कॉम्पीटेन्ट बाडी है जिसमें कन्सीडर हो सकता है किसी वजह से कन्सीडर नहीं करना चाहते हैं; यह कहा जाये कि वह काम्पीटेन्ट बाडी उनके नाम को कन्सीडर करके कोई फैसला करना चाहे करे तो मैं समझता हू कि कोई गैर-वाजिब बात नहीं है कि हम कुछ कह सकें ।

श्री अध्यक्ष : Next question there would not be any debate on this.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूण प्रश्न है जिसमें कि गवर्नमेन्ट ने कोऑपरेटिव मूवमेन्ट में, जो ऑटोनोमस बाडी है, उसमें अनड्यू, इल्लीगल इण्टरफियेरेन्स किया है, उसमें मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उन्होंने टेलीफोन पर रजिस्ट्रार को यह नहीं कहा कि इस मीटिंग को जो कि १२-१-६३ को होने वाली थी उसको पोस्टपोन कर दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष : Shri Ram Kishan. Next question.

श्री हरिराम—(तिजारा):

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है . . .

श्री अध्यक्ष : Next question

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । इसको साइड ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष: बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिये तो बहुत समय दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: तीनों लेटर्स तो पढ़कर सुना दिये जायें।

श्री अध्यक्ष: All the facts are before the House.

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह पता नहीं, विभाग ही सांभर की नमक है जो इसे संभालता है वही नमक हो जाता है।

श्री हरीराम चौहान (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, ४१ के बजाय ७१ आदमी थे ....

श्री अध्यक्ष: Order please! माननीय सदस्य अब नहीं बोलें, दूसरा प्रश्न पूछा जा चुका है। श्री रामकिशन!

नीम-का-थाना पंचायत समिति द्वारा ग्राम सिरोही में शिविर

३४१. **श्री रामकिशन (वैर):** क्या मंत्री पंचायत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नीम-का-थाना पंचायत समिति सीकर जिला में कोई शिविर ग्राम सिरोही में इस पंचायत समिति की ओर से माह अगस्त, १९६१ के आस पास लगा था?

(२) अगर हां, तो इस शिविर में कुल कितना व्यय हुआ?

(३) क्या इस व्यय को करने के लिये कोई टैन्डर मांगे गये? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(४) क्या यह कानून नहीं है कि ४०) रु० से अधिक व्यय केवल टैन्डर द्वारा ही हो सकता है? अगर हां, तो इस उलंघन के लिये सरकार ने पंचायत समिति, नीम-का-थाना, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

(५) क्या इस खर्च की जांच सरकार करायेगी?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी हां, माह जून, १९६१ में।

(२) ६१८१.५७ न० पै०

(३) जी हां। केवल ८३५)रु० का व्यय बिना टेन्डर मांगे किया गया।

(४) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् फाइनेन्स बजट व एकाउण्ट्स रूल्स के अनुसार १००)रु० से अधिक का खर्चा टैन्डर द्वारा किया जाना चाहिये। ८३५)रु० के खर्चे का औचित्य का पता विस्तृत आडिट के समय लग सकेगा।

(५) खर्चे की जांच ऑडिट होगा तब हो जायेगी।

श्री रामकिशन : पहले यह कहा है कि विकास अधिकारी ने बिना टैन्डर लिये खर्चा किया, तो सरकार को कार्यवाही करने में क्या आपत्ति है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: वह तो पूरा ऑडिट होगा उस समय पता लग जायेगा कि यह खर्चा वाजिब किया। जल्दी में टैन्डर नहीं मांगे गये।

श्री रामकिशन: जब स्पष्ट नियमानुसार १००)रु० से ज्यादा का खर्चा हो तो टैन्डर लेना चाहिये; तो फिर नियमों की अवहेलना क्यों की गयी? शिविर की तारीख तो

(श्री रामकिशन)
महीने–दो महीने पहले तय हो गयी होगी तो यह जल्दी वाली बात कहां से आ गयी ? यह बहुत बडी इर्रेगुलेरिटी है और बार बार हो रही है।

श्री अध्यक्ष : वह तो बता दिया।

श्री रामकिशन : कहां बता दिया ? जवाब कुछ नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : ऑडिट रिपोर्ट के बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामकिशन: तीन वर्ष से ऑडिट नहीं हो रहा है क्या ? ऐसे मामले तो दबाने चाहियें। इसमें आपकी ओर से कोई व्यवस्था होनी चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : दबाइये नहीं, जल्दी ऑडिट करवा लिया जाये।

Next Shri Manaik Chand Surana

पंचायत समिति नोखा द्वारा लगाये गये भूमि–कर

३४२. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या योजना एवं विकास व पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को पंचायत समिति नोखा द्वारा तारीख २८–१०–५६ को लगाये गये ५ नये पैसे प्रति रुपया भूमि-कर के विरुद्ध राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ की धारा ८५ में कोई निगरानी फरवरी, १९६० में श्री सागरनाथ आदि की द्वारा पेश की गई थी ?

(२) यदि हां, तो उक्त निगरानी की सुनवाई कब की जायेगी और पिछले दो वर्षों में सुनवाई न करने का क्या कारण है ?

(३) क्या सुनवाई की तारीख की इत्तला निगरानीदार को दी जाती है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री योजना एवं विकास व पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं, कोई निगरानी फरवरी, सन् १९६० में पेश नहीं हुई। अलबत्ता एक प्रार्थना-पत्र निगरानी की दरख्वास्त के साथ अप्रेल, १९६२ में प्राप्त हुआ।

(२) उक्त प्रार्थना-पत्र कलैक्टर, बीकानेर के पास जांच के लिये भेजा गया। कलैक्टर की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।

(३) निगरानी पर किसी पार्टी के विरुद्ध निर्णय देने के पहले निगरानीदार को सुनवाई का मौका दिया जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या निगरानी की रजिस्ट्री नहीं आई जब कि उनके पास उसकी रसीद भी मौजूद है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सरकार को प्राप्त नहीं हुई। सरकार को १ अप्रेल, १९६२ को ही प्राप्त हुई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: एक अप्रेल, १९६२ को जो प्राप्त हुई उसके बाद कलैक्टर को रिमाइण्डर भी भेजा कि रिपोर्ट जल्दी भेज दो।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन कलैक्टर और विकास अधिकारी ने भी गवर्नमेन्ट को इसके संबंध में लिखा था और विधि विभाग से राय लेकर इसको रेगुलेराइज कर दिया गया है केवल सेंक्शन के लिये है जो हो जायेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा: गवर्नमेंन्ट ने भूमि-कर के लिये किस तारीख को सेंक्शन दी है पंचायत समिति को ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह मैं जानकारी करके आपको बता दूंगा। इस समय मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

विन्धियन लाइम–स्टोन की लीजेज

३४३. **श्री तेजाराम गहलोत :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६२ में सरकार द्वारा स्वीकृत विन्धियन लाइम स्टोन की लीज़ेज़ के आदेश की एक एक कापी सदन की मेज पर रखें।

(२) प्रश्न के भाग नम्बर १ में स्वीकृत पार्टीज ने किन-किन तारीखों को लीज़ एग्रीमन्ट पर दस्तखत किये व उतरोक्त लीज़ेज़ का डिमार्केशन किन-किन तारीखों को किया गया व लीज़ पीरियड कब से शुरू हुआ ?

(३) प्रश्न के भाग नम्बर १ में स्वीकृत लीज़ेज़ का एग्रीमेंन्ट राज्य सरकार की स्वीकृति आदेश के अनुसार किस तारीख तक हो जाना चाहिये था ? किस तारीख तक एग्रीमेंन्ट साइन हो जाना चाहिये था ? क्या यह काम राज्य सरकार के आदेशानुसार हो गया ?

(४) राज्य सरकार ने क्या विन्धियन लाइम–स्टोन एरिया का सर्वे करवाया ? अगर हां, तो कब व पूरे एरिया को कितनी लीज़ेज़ में बांटा है ?

(५) प्रश्न के भाग नम्बर ४ में बताई गई लीजेज को देने का नोटीफिकेशन किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खनिज एवं मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) सन् १९६२ में सरकार द्वारा तीन लीज़ेज़ स्वीकृत हुए, उनकी कापी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सिर्फ मैसर्स केशवसिंह शिवजीसिंह ने लीज़ एग्रीमेंन्ट पर तारीख ३–१०–६२ को दस्तखत किये व डिमार्केशन तारीख ५–४–६२ को किया और लीज़ पीरियड ता० १–६–६२ से शुरू हुआ, बाकी दो लीज़ेज़ के एग्रीमेंन्ट करने के लिये राज्य सरकार ने रोक दिये।

(३) एग्रीमेंन्ट १ महीने के अन्दर साइन हो जाना चाहिये था मगर श्री गुलाबसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट के आर्डर के विरुद्ध में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पार्टी को जो भी जजमेंन्ट होगा वह उसका पालन करेगा। इसलिये राज्य सरकार ने एग्रीमेंन्ट में उपरोक्त क्लॉज डालने के लिये तारीख ३०–८–६२ को आर्डर जारी किया कि एक महीने के अन्दर एग्रीमेंन्ट हो जाना चाहिये; इसलिये तारीख ३–१०–६२ को एग्रीमेंन्ट साइन हुआ।

(४) जी हां। यह सर्वे किया जा रहा है। अभी ड्रिलिंग भी किया जा रहा है और आगे भी किया जायगा। यह सब रिजर्व एरिया में किया जा रहा है। इसलिये लीज़ेज़ में बांटने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत: प्रश्न नम्बर २ में जिन दो लीज़ेज के एग्रीमेंन्ट को आपने रोक रखा है उनको किन कारणों से रोका है और किन नियमों के अधीन रोका है ?

Page No.20

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिन लीज़ेज का एग्रीमेंन्ट नं० २ में हुआ शायद आपका मतलब चौहान और उनसे है ?

श्री तेजाराम गहलोत : जी हां । प्रश्न नं० २ में जो आपने बताया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे इस वजह से रोके गये थे कि इनकी पूरी जानकारी सरकार कर रही है कि वे लोग कितने रुपये लीज़ के देना चाहते हैं, और इसके बाद सरकार स्वयं उस एरिया के अन्दर वर्क करने की बात पर विचार कर रही है कि उसमें वह वर्क कर सकती है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिस वक्त लीज़ सेंक्शन की थी उस वक्त विचार सरकार का नहीं था ?

श्री तेजाराम गहलोत : क्या सरकार बिना सोचे समझे पार्टी को लीज़ देने को तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मंजूर करने के बाद ख्याल आया कि गवर्नमेन्ट चलाने की बात करे तो ज्यादा लाभदायक हो सकता है, इसको भी एक्जामिन कर लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : इस ख्याल के अन्दर एक को लीज ग्रांट कर दी और दो को नहीं की तो आप तीनों पर लागू रख सकते थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके पहले वह लीज दी जा चुकी थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : वह एरिया कितना है जो कि स्वीकृत किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १० स्क्वायर माइल्स ।

श्री भैरोंसिंह : क्या एग्रीमेंट करने से पहले शिवजीसिंह केशवसिंह ने, जिसको कि लीज़ दी है, उसने काम करना शुरू कर दिया है था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : शायद १-६-६२ से उन्होंने कार्य शुरू किया जैसा कि इसमें बताया गया है और जिस वक्त से काम शुरू किया है उस वक्त से लीज़ के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, नहीं; सवाल यह है कि जब कि एग्रीमेन्ट नहीं हुआ तो वर्क करना कैसे शुरू कर दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब इसके बारे में इफेक्टिव स्टैप्स ले लिये जाते हैं और चूंकि प्राइमरी काम चालू करता है तो उस वक्त से जिस वक्त से काम करता है उससे चार्ज करने की कार्यवाही की जाती है।

श्री भैरोंसिंह: पैनल्टी इस बात के लिये प्रेस्क्राइब नहीं की गई थी कि उनकी लीज़ को कैंसल करें जैसा कि और बातों में करते हैं कि बिना लीज़ के एग्रीमेन्ट पर दस्तखत किये ही अगर वे काम शुरू कर देते हैं तो उनको कैंसल कर देते हैं । तो इस व्यक्ति के साथ रियायत क्यों की गई है कि बिना एग्रीमेंन्ट पर दस्तखत किये वर्क शुरू कर देता है और वर्क का इन्वेस्टीगेशन किया फिर लीज कन्टीन्यू क्यों की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके अन्दर लीज़ देने के बाद लीज़ एग्रीमेंन्ट एक्जीक्यूट करते हैं तब लाइसेंस देते हैं। उसके पहले अगर वे काम चालू करते हैं तो जिस वक्त से वह काम करते है उस दिन से चार्ज किया जाता है । इस प्रकार के आर्डर कर दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिह: लीज़ एक्जीक्यूट होने से पहले वर्क क्यों शुरू किया ? उसके ऊपर पैनल्टी इम्पोज क्यों नहीं की गई ? क्या इस बात के लिये वह लीज़ कैंसल नहीं हो सकता था ? बिना ग्राथोरिटी वर्क ग्राउट की गई है उसके ऊपर लीज़ कैंसल क्यों न की जाय, जैसा कि ग्रौर किसी के के साथ जनरली होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: लीज के पहले उन्होंने काम इल्लीगली शुरू किया यह प्रश्न में कहां है ?

श्री भैरोंसिह: ग्रापने ग्रभी यह कहा कि उन्होंने काम शुरू किया है उस दिन से चार्ज करने वाले हैं जब कि एग्रीमैन्ट ३–१०–६२ से हुग्रा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: १–६–६२ को काम शुरू किया गया ग्रौर ३०–८–६२ को एक्जीक्यूट कर लिया ग्रौर वह लीज ३–१०–६२ को एक्जीक्यूट हो गया।

श्री भैरोंसिह: मेरा क्वेश्चन यह है कि ३–१०–६२ को एक्जीक्यूट होता है उससे पहले काम शुरू नहीं कर सकता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यह इफेक्टिवली तय हो जाता है ग्रौर एग्रीमैन्ट ड्राफ्ट होने में वक्त लगता है तो जब से काम शुरू किया गया है तब से वह चार्ज किया जाता है।

श्री भैरोंसिह: ग्रापका एग्रीमैन्ट जो है उसकी क्लाज ५ में है कि जब तक एग्रीमैन्ट एक्जीक्यूट नहीं हो तब तक वह वर्क चालू नहीं कर सकता ग्रौर आप यह कह रहे हैं कि जब से वह वर्क चालू करेगा तब से चार्ज किया जायगा तो फिर यह क्लाज में लिखा क्यों है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: ग्राम तौर से इफेक्टिवली जब से बात हो जाती है उससे पूर्व ही काम शुरू कर देते हैं तो ड्यूटी चार्ज की जा सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्या विशेष तौर पर इनको किसी पत्र के द्वारा १–६–६२ को स्वीकृति दे दी थी, किसी सेक्रेटरी ने पत्र द्वारा या डाइरेक्टर ग्राफ माइन्स एण्ड ज्योलोजी ने, या किसी प्रकार की सूचना देदी थी कि तुम काम चालू कर सकते हो।

श्री तेजाराम गहलोत: क्या उनकी तरफ से शुरू करने की मांग ग्राई थी ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया: जब से लीज के बारे में तय हुआ उसके पहले काम करने के बारे में गवर्नमेंट के सामने कुछ कम्प्लेन्ट आई थी उसके ऊपर जानकारी की गई है। पहले काम किया है तो उसके बारे में कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिह: सरकार ने लीज एग्रीमेंट ३-१०-६२ को एक्जीक्यूट किया था...

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी आश्वासन दे चुके हैं कि अगर उन्होंने कानून के विरुद्ध समय से पूर्व काम चालू किया है तो जांच करने के बाद कार्यवाही करेंगे। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): गवर्नमेंट की पालिसी क्या है यह क्लियर नहीं है।

श्री भैरोंसिह: जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं उनसे स्पष्ट है कि लीज एक्जीक्यूट होने से पहले काम शुरू कर दिया है और एग्रीमेंट में इस प्रकार का प्रोविजन है कि एग्रीमेंट एक्जीक्यूट होने से पहले काम शुरू नहीं कर सकते हैं।

Page No.22

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : लीज के रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का सरकार को अधिकार है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का प्रश्न नहीं आता है। लीज ग्रान्ट करने के लिए आर्डर दिये उसके बाद लीज एग्रीमेंट एक्जीक्यूट होता है उस डेट से वह लीज मानी जाती है और उसके पहले से अनआथोराइज्ड तरीके से जो वर्क करता है वह अनुचित है। उसकी जांच करा रहे हैं और उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इसके सिवाय और मैं क्या कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : Next Shri Kumaranand. Government cannot say more than this at this stage.

नेक्स्ट।

राजस्थान सेवा (सेवा संबन्धी शर्तों का संरक्षण) नियमावली, १९६३

३४४. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : Would the Chief Minister be pleased to reply:—

(1) Has the Government of Rajasthan any power to make rules as the Rajasthan Service (Protection of Service Conditions) Rules, 1957 ?

(2) Has the Government of Rajasthan received any direction from the Central Government to make such rules under Section 117 of the States Re-organisation Act, 1956 ?

(3) Did the Government of Rajasthan take previous approval to make rules as the Rajasthan Service (Protection of Service Conditions) Rules, 1957, from the Central Government as desired by Section 115 (7) of States Re-organisation Act, 1956 ?

नियुक्ति एवं मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : अंग्रेजी में प्रश्न आया था इसलिए अंग्रेजी में ही उत्तर दूं क्या ?

(१) जी हां।

(२) भारत सरकार की तरफ से इस संबंध में डाईरेक्टिव्ज आये थे और उनके अनुसार रूल्स बनाये गये।

(३) क्योंकि रूल्स भारत सरकार के आदेश के अनुसार बनाये थे इसलिए प्रश्न खडा नहीं होता।

श्री कुमारानन्द : जब अजमेर मेरवाडा का मर्जर राजस्थान में हुआ और उसकी वजह से कर्मचारियों की सर्विसेज की कन्डीशन्स पर इफेक्ट हुआ था और इसके कारण वर्तमान वित्त मंत्री महोदय को भूख हडताल करनी पडी थी तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी सर्विसेज की कन्डीशन्स में कुछ हेर फेर हुआ है क्या ?

आपने ऐसा कुछ किया है क्या ?

क्योंकि स्टेट रिआर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन ११५, ११६ और ११७ के मुताबिक सर्विस कंडीशन्स में कुछ हेर फेर हुआ है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : रूल्स के डिटेल्स उसके बाद वर्क आउट होते रहे और उसके अंदर कोई इस प्रकार की बात नहीं थी

श्री कुमारानन्द : एक बात मैं साफ कह देना चाहता हूं कि सब-इन्सपेक्टर जिसे अजमेर मेरवाडा के अमलगेमेट होने के बाद हैड कांस्टेबल बनाया गया था उस पर चार्ज लगाया कि उसने पुलिस यूनियन बनाया और सरकार के खिलाफ काम किया इसलिये उसको हैड कांस्टेबल बनाया गया। उसने हाई कोर्ट

Page No.23

(श्री कुमारानन्द)
में अपील किया और वहां पर वह जीत गया और स्टेट गवर्नमेन्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसके बारे में मैं क्या कहूं जब कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेश है।

श्री कुमारानन्द : क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह तो आपको खुद को मालूम है कि अपील की है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट सुप्रीम कोर्ट में बाद में गई है जब कि उसने हाई कोर्ट में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अर्जी दे दी, जब गवर्नमेन्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर एक्शन नहीं लिया, इसके बावजूद भी कि होम मिनिस्टर ने कह दिया था कि तुरन्त एक्शन ले रहे हैं, जब सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अर्जी दी। इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश की ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मुझे केस का पता नहीं है। आपने रूल्स के बारे में पूछा था इसलिये रूल्स के बारे में मैंने उत्तर दिया। किसी इन्डिविज्युअल केस के बारे में पूछा जाता तो वैसा उत्तर दिया जाता।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : क्या रूल्स में यह प्रावधान रखा गया है कि अजमेर मेरवाडा के एम्पलोईज की जो कंडीशन्स आफ सर्विस वहां पर थीं उनसे किसी प्रकार भी इन्फीरियर स्टेट्स यहां नहीं रखा जायगा ?

श्री अध्यक्ष : रूल्स देख लीजिये।

(विराम)

Next Shri Moti Lal Choudhary.

श्री कुमारानन्द : इसमें यह है :

"The Central Government may before or after the appointed date give such directions to any State Government as may appear to it to be necessary for the purpose of giving effect to the foregoing.... the State Govt. shall comply with such directions."

मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से बिना पर्मिशन लिये ही हजारों लोगों को सर्विस कंडीशन में नुकसान पहुंचाया, यह मेरे कहने का मतलब है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : बहस के समय कह दें।

प्रश्न संख्या ३४५

श्री मोतीलाल चौधरी।

(अनुपस्थित)

आबकारी स्क्वेड द्वारा अनियमितताएं—नीम-का-थाना

३४६. **श्री स्वरूपनारायण पुरोहित** (सीकर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(१) क्या सीकर जिले के नीम-के-थाने ग्राम में स्थित प्रसिद्ध मोदी घराने के यहां आबकारी स्क्वेड द्वारा कुछ अनियमितताएं एवं अनाधिकार चेष्टाएं की गई थीं ?

(२) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री स्वरूपनारायण पुरोहित)

(३) यदि नहीं, तो इसके क्या विशेष कारण थे और उससे क्या परिणाम निकले ?

आबकारी एवं कर मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

(३) दिनांक २९-८-६२ को नीम-का-थाना, मावंडा अजीतगढ, चौमू, जोबनेर और आसलपुरा स्थानों पर सेल्स टैक्स की चोरी होने की कॉन्फीडेन्शियल इत्तला मिली उसके आधार पर रेड कर हिसाब किताब पकडे गये और काफी मात्रा की रकम जो सैल्स टैक्स की चोरी की थी, वह उन हिसाब किताब की जांच से निकाली गई । केवल नीम-का-थाना व मावंडा के व्यापारियों से अतिरिक्त मांग २,५२,९९३. ८६ न० पै० की निकाली गई, जिसमें से ४८,२७७. ९९ न० पै० की रकम जमा भी हो चुकी है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कितनी एप्लीकेशन्स नीम-के-थाने की आपके पास आई थी ?

श्री बालकृष्ण कौल : दो चार आई हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या चारों जगह इस तरह से रेड (Raid) करके सर्चेज की गई ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि रेड पार्टीवालों ने उनके घर में घुस कर औरतों तक को हैरेस किया और वे उनको रात तक हैरेस करते रहे ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह बात बिल्कुल गलत है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपसे कहता हूं कि इसकी इन्क्वायरी की गई है क्या और आपके पास रिपोर्ट आई है ?

श्री बालकृष्ण कौल: मैं अर्ज कर रहा हूं कि इन्क्वायरी के बाद नतीजे पर आया हूं कि यह बात गलत है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने यहां का यहां असत्य कहा है 'नहीं साहब' । मैंने यह पूछा था, मेरे प्रश्न के साथ साथ यह था कि वहां इस तरह की सर्चेज हुई थीं, उनकी इन्क्वायरी हुई तो आपने कहा 'हुई' । फिर पूछा, कोई खबर मिली थी, तो कहा, 'जी नहीं' । फिर कह रहें हैं इन्क्वायरी के बेसिस पर कहा, सही है । क्या आप इन्क्वायरी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख सकते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी नहीं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको रिपोर्ट रखनी पडेगी, यह मेरे अधिकार का सवाल है । यह एक एक मेम्बर के अधिकार का सवाल है, रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी जाय । नहीं दिखाने का आपको अधिकार नहीं है । इसके बिना पर आप जवाब दे रहे हैं । मुझे अधिकार है रिपोर्ट मांगने का और वह सदन की मेज पर रखी जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं कहना चाहता हूं, इसमें ...

श्री अध्यक्ष : श्री सुराणा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : I am in possession of the House Sir. वित्त मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाहूंगा कि जिन जिन व्यक्तियों और जिन जिन फर्म्स ने सैल्स टैक्स की चोरियां कीं उन व्यक्तियों और फर्म्स के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री बालकृष्ण कौल : उनका एसेसमेन्ट हो रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जितने रुपयों की चोरी पकडी गई उसके बारे में क्या आपने माईनिंग विभाग को सूचना दे दी कि उन्होंने इतना माल बेचा है क्योंकि माईनिंग विभाग के रायल्टी का सवाल है ? आपने यह इत्तला माईनिंग विभाग को दी या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : जब तक हमारा एसेसमेन्ट नहीं हो जाता तब तक इत्तला नहीं देते। एसेसमेन्ट होने के बाद इत्तला देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो लोग इस तरह की चोरी करते हैं और जिनको लीज दिये हुए हैं क्या उनके लीज् कैंसल करने की ओर सरकार कदम उठायेंगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानंद अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने बतलाया कि चोरी के तथ्य आपके सामने आ गये, क्या सरकार का ऐसा नियम है कि दूसरे सरकारी विभाग को भी सूचना दें कि चोरों से सावधान रहें ?

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नीम-के-थाने में इतनी चोरियां हो रही हैं इसलिये सरकार का धर्म है कि दूसरे विभागों को सूचित कर दें कि इस प्रकार की चोरियां नहीं हों।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ३४७, श्री अब्दुल जब्बार।

राजस्थान में जानवरों पर टैक्स

३४७. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा) : क्या आबकारी व कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में बकरा, बकरी, भैंस और ऊंट पर टैक्स कब से लगाया गया है ?

(२) उक्त टैक्स से गत तीन वर्षों में राज्य को कितनी आय हुई है, और अनुमानिक आय क्या थी ?

(३) कमी या बढोतरी के क्या कारण हैं ?

आबकारी एवं कर मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) राजस्थान में बकरे, बकरी व ऊंटों पर बिक्री-कर १-४-५५ से व खरीद-कर दिनांक २६-३-६२ से लागू है। भैंस १-४-१९५५ से अब तक कर-मुक्त है।

(२) अलग २ चीजों के टैक्स का एक्च्युअल हिसाब अलग नहीं रखा जाता, इसलिये आंकडे नहीं बताये जा सकते।

(३) सवाल नहीं उठता।

श्री अब्दुल जब्बार : टोटल फिगर्स ही बता दीजिये। अनुमानित आय का टोटल बता दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : जब अलहदा अलहदा आंकडे नहीं रखे जाते तो टोटल बताना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास इस तरह के आंकडे होने चाहिये। आप टैक्सेशन का प्लानिंग कैसे करते हैं ? You cannot always do on 'hit-and-go' basis.

Page No.26

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपने जो रिमार्क्स किये हैं उसका रेस्पोन्स होना चाहिये। रेस्पोन्स किये बिना ऐसे ही बैठ जाते हैं सदन में।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य को रेस्पोन्स की बात हो रही है, मेरे रेस्पोन्स की फिक्र मत करिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा रेस्पोन्स हो रहा है या नहीं, लेकिन जो हमारी चेयर की तरफ़ से कहा गया है उसका रेस्पोन्स तो होना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : चेयर काफी मजबूत है, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह तो है ही। इसलिये तो ध्यान दिलाया है, हमारा अधिकार है।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): आपने फरमाया एस्टीमेट्स होने चाहियें और वे होते हैं, आपसे एक्च्युअल फिगर्स नहीं पूछे हैं। एस्टीमेट्स के बिना स्टेटिस्टिक्स कैसे रखते हैं। एस्टीमेट क्या था और एक्च्युअल क्या रहा इसके स्टेटिस्टिक्स होने चाहियें।

श्री बालकृष्ण कौल : यह जो आपने एस्टीमेट्स और स्टेटिस्टिक्स की बात कही, अभी तक इस डिपार्टमेन्ट के पास स्टेटिस्टिक्स रखने का खास अमला नहीं है लेकिन शुरू किया है। लेकिन अंदाज ही नहीं रख सकते यह नहीं माना जा सकता। अब तक इस साल में १५ लाख की उम्मीद है।

श्री भैरोंसिह : उम्मीद थी या है?

श्री बालकृष्ण कौल : है, अभी तक समय बाकी है।

श्री माणिकचंद सुराणा (कोलायत) : गत ३ वर्षों का अनुमान पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक वर्ष का आपको मिल गया, यही गनीमत है।

नेक्स्ट।

(१२:०० मध्याह्न)

भोपालसागर शुगर मिल्स द्वारा गन्ने की खरीद

३४८. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भोपाल सागर शुगर मिल के लिये प्रति सीजन कितना मन गन्ना पर्याप्त होता है?

(२) उदयपुर, बडी सादडी, मावली, कपासन, भीलवाडा, मांडल, चंदेरिया, चितौडगढ, गंगाशहर में हर सीजन पर भोपाल सागर शुगर मिल कितना गन्ना खरीदता है?

(३) जावरा और दलोदा मिल राजस्थान में कहां कहां से गन्ना खरीदते हैं?

(४) नीमच, जावद रोड, निम्बाहेडा और शंभुपुरा के कांटों पर इस वर्ष भोपाल सागर शुगर मिल कितना गन्ना खरीदेगा?

(५) राजस्थान में सन् ६१ में जावरा शुगर मिल ने कहां कहां का गन्ना खरीदा है?

उप मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल बैद) : (१) भोपाल सागर शुगर मिल को प्रति सीजन लगभग ४० लाख मन गन्ना पर्याप्त होता है।

(२) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) इन मिलों को प्रति सीजन जो एरिया राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित

(श्री चन्दनमल बैद)
किया जाता है, उसी क्षेत्र से ये गन्ना खरीदते हैं। इस सीजन में इन मिलों को प्रतापगढ सब-डिवीजन तथा घाटोल तहसील आवंटित किया गया है।

(४) मिल के कथनानुसार जितना भी गन्ना इन कांटों पर उपलब्ध हो सकेगा वह खरीद लेंगे।

(५) १९६१ में इस मिल को केवल प्रतापगढ सब-डिवीजन तथा घाटोल तहसील ही अलॉट किए गए थे अत: आशा की जाती है कि इस मिल ने इसी क्षेत्र का गन्ना खरीदा होगा।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अब्दुल जब्बार : यह प्रश्न ४ में है कि कितना गन्ना खरीदेगा ? सवाल यह है कि जितना गन्ना अवेलेबल है, वह खरीदेगा ?

श्री चन्दनमल बैद : जितना अवेलेबल है, खरीद सकते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : अवेलेबल सब है, खरीदते नहीं हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मिल खरीद लेगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यह अन्दाजा है कि जो क्षेत्र दे रखे हैं उसमें कितने गन्ने का प्राडक्शन होता है ?

श्री चंदनमल बैद : इसका एस्टीमेट नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : यह किस आधार पर कहा कि इतनी केपेसिटी है ? केपेसिटी उससे ज्यादा होती है या कम होती है उसका अन्दाजा नहीं है तो किस आधार पर एरिया का डिस्ट्रिब्यूशन होता है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : इसको इस आधार पर किया जाता है कि सुगरकेन कल्टीवेशन उस जोन में होता है उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। उसके बाद एरिया डिसाइड किया जाता है।

श्री विजयसिंह झाला : दरअसल इसकी रिपोर्ट नहीं है कि ज्यादा प्राडक्शन होता है या कम होता है क्योंकि बहुत सा गन्ना नहीं लिया जाता है और वह ऐसे ही बहुत दिनों तक खडा रहता है। गन्ना ज्यादा होता है या कम होता है, यह उस रिपोर्ट के आधार पर बता सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इस साल बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष : इस कानून के अन्तर्गत यह आवंटन किया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के रूल्स के अन्तर्गत बैगन्स अलॉट करने के लिए जोन्स का डिवीजन पहले मांगते हैं कि किस जोन से किस फैक्ट्री को सप्लाई किया जायगा। गवर्नमेन्ट ने असेस करके गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया को कॉम्यूनिकेट कर दिया कि अमुक फैक्ट्री को अमुक स्टेशन देना चाहिए। उसके हिसाब से तय करते हैं। यह ऑल इंडिया पैटर्न है, हमेशा डिसाइड करते हैं तो प्राडक्शन वगैरह का ख्याल करते हुए करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कानूनन आधार क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : कानूनन आधार की इसमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन्स नहीं हैं। हम अलॉटमेंट करते हैं, सिर्फ इसके लिए कि अमुक स्टेशन से अमुक फैक्ट्री ले सकेगी और रेल्वे

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
वैगन्स उस फैक्ट्री को अलॉट करते हैं। किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि उस एरिया में किसको बेचे, किसको नहीं। गन्ना ऑपरेशन का रिजल्ट होता है कि एक फैक्ट्री एक एरिया में ऑपरेट करती है।

श्री अब्दुल जब्बार : जैसा मुख्य मंत्री जी ने फर्माया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे वैगन्स अलॉट करने के सम्बन्ध में डिवीजन करते हैं। क्या यह सही है कि राजस्थान में १९६१ में जावरा शूगर मिल को भीलवाडा जोन से गन्ना उठाने के लिए बाध्य किया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इस साल नहीं है। एक साल काफी हुआ था।

श्री अब्दुल जब्बार : प्रश्न पांच में कहा गया है कि १९६१ में इस मिल को केवल प्रतापगढ सब-डिवीजन तथा घाटोल तहसील ही अलॉट किए गए थे . . .

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न . . .

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

सांभर साल्ट का कोटा, भरतपुर

३४९. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-
क्या भरतपुर में सांभर सॉल्ट का कोटा उद्योग विभाग की ओर से दिया जाता है ? यदि हां, तो इसकी क्या व्यवस्था है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दन मल बैद) : जी हां। सांभर साल्ट का कोटा जोनल स्कीम के अन्तर्गत राजस्थान के दूसरे जिलों की भांति भरतपुर को भी दिया जाता है। गत वर्ष भी (१९६२) भरतपुर को २५६ गाडी सांभर लेक का नमक दिया गया था। जोनल स्कीम हर साल साल्ट कमिश्नर भारत सरकार से जारी होती है और वे ही इसका कोटा निर्धारित करते हैं। जोनल स्कीम उद्योग विभाग में प्राप्त होने पर उसमें निर्धारित किये गये कोटा के अनुसार सब जिलों में वितरण किया जाता है। साधारणतया यह कोटा ४ भागों में हर तीन मास की अवधि में लाटरी के द्वारा वितरण किया जाता है। प्रत्येक तीन मास के कोटे का वितरण करने की सूचना जनरल मैनेजर, हिन्दुस्तान साल्ट, सांभर के द्वारा समस्त सम्बन्धित जिला उद्योग अधिकारियों को भेजी जाती है और वे जिला उद्योग अधिकारी निर्धारित की हुई तारीख पर उतने कोटा का लाटरी में सफलता प्राप्त किये नमक के व्यापारियों के नाम की सूची जनरल मैनेजर, हिन्दुस्तान साल्ट, सांभर को भेज देते हैं जहां से कि उनको इन्डेन्ट भरने पर सम्बन्धित जिले के लिये कोटा मिलता है। यही व्यवस्था भरतपुर के लिये भी लागू है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : क्या यह सही है कि जो कि कई कई तहसीलों के व्यापारी होते हैं, उनकी आवश्यकतानुसार कोटा नहीं दिया जाकर एक तरह से जूए के तौर पर लाटरी खुलवाई जाती है और उससे अनेक व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलता है।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, बडा इम्पॉर्टेन्ट प्रश्न है . . .

श्री अध्यक्ष : जानकारी दे चुके हैं कि लाटरी निकाली जाती है।

Page No.29

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रश्न पूछें बहस न करें।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : क्या इस लाटरी सिस्टम से अनैतिकता को बढ़ावा नहीं मिलता? क्या इससे नमक की चोरी को बढ़ावा नहीं मिलता?

श्री अध्यक्ष : (This is a question of opinion.

(विराम)

Shri Gyanchand Modi

नीम-का-थाना में कालेज

३५०. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (थोई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना की जनता दो लाख रुपये नीम-का-थाना में कालेज खोलने को दे रही है?

(२) यदि हां, तो फिर सरकार को कालेज खोलने में क्या कठिनाई है?

(३) क्या यह भी सत्य है कि नीम-के-थाने के आस पास करीब ११ हायर सैकण्डरी व हाई स्कूल्स हैं?

उप मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(२) कोई प्रश्न ही नहीं उठता है?

(३) करीब ९ हाई व हायर सैकण्डरी स्कूल्स नीम-के-थाने के आस पास २० मील के क्षेत्र में हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : शिक्षा मंत्री को इस सम्बन्ध में कोई दरख्वास्त पेश की गई कि दो लाख रुपया देना चाहती हैं और कालेज बनाना चाहते हैं, क्या यह सही है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बातचीत हुई। विभागीय स्तर पर नहीं हुई है, आपसी बातचीत हुई है। विभागीय स्तर पर कोई कागज नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : विभागीय स्तर का प्रश्न नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री को जानकारी है तो क्या वह जानकारी सरकार को नहीं है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह जानकारी सरकार को है। आपसी बातचीत हुई, उसकी मैंने जानकारी की है। उसका जवाब नहीं आया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब कि एक मंत्री को कोई दरख्वास्त पेश की जाय और उसमें कहा जाय कि दो लाख रुपये खर्च करना चाहते हैं तो फिर जानकारी का प्रश्न नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दरख्वास्त पेश नहीं की है। बातचीत हुई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दरख्वास्त पेश हुई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इन्कार करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उप-शिक्षा मंत्री हैं, दरख्वास्त शिक्षा मंत्री को पेश हुई है।

Page No.30

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं निवेदन कर रहा हूं कि बातचीत हुई है दरख्वास्त पेश नहीं हुई है।

श्री मानिक चन्द सुराणा : आप कैसे कहते हैं, मैंने पेश कराई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दरख्वास्त पेश कराई है तो वह ट्रान्जिट में होगी।

श्री मानिक चन्द सुराणा : मैंने पेश करवाई है, रूबरू पेश करवाई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have more than once denied it. It has not been received.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपका कहना है कि शिक्षा मंत्री को पेश की की गई है· · · ·

श्री मानिक चन्द सुराणा : शिक्षा मंत्री को पेश की गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षा मंत्री को पेश की नहीं गई होगी, आफिस में दी होगी।

श्री मानिक चन्द सुराणा : शिक्षा मंत्री को पूछकर आये हैं। मैंने खुद पेश कराई है।

श्री भैरोंसिंह : शिक्षा मंत्री बतायें आप असत्य बोलते नहीं हैं।

शिक्षा मंत्री, (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : नीम-के-थाने के लोग मुझसे मिले थे, बातचीत हुई थी। मुझे ख्याल है, एक चिट्ठी आई थी। इतना ही मुझे ख्याल है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : चिट्ठी आई है, दरख्वास्त नहीं है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : असत्य क्यों बोला गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : असत्य नहीं है, चिट्ठी आई है, डा० साहब के नाम से आई है। दरख्वास्त नहीं आई है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : चिट्ठी और दरख्वास्त में आप क्या फर्क समझते हैं ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आप वकालत करते हैं, आप जानते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : सदन को पूरी जानकारी नहीं देते हैं, आप पूरी जानकारी नहीं करते हैं और · · ·

श्री निरंजन नाथ आचार्य : दरख्वास्त विभागीय स्तर पर होती है और चिट्ठी व्यक्ति को दी जाती है, यह आप और हम जानते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : आपके हाथ से इशारा करने से काम नहीं चलेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके, नाक, कान और आंख मटकाने से काम नहीं चलता है।

श्री भैरोंसिंह : शिक्षा मंत्री को कुछ कहना है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चिट्ठी मंत्री के पास कई किस्म कई तरह की आती हैं–प्राईवेट भी आती हैं, सार्वजनिक रूप में भी आती हैं और अर्द्ध सरकारी और सरकारी रूप में भी आती हैं।

श्री अध्यक्ष : यह कैसे आई थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आम तौर पर सरकारी चिट्ठी आती हैं वे सेक्रेटरी के नाम पर आती हैं। मेरे पास चिट्ठी भेजी

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)
जाती हैं वे चिट्ठी सार्वजनिक रूप से आ सकती हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : चिट्ठी के साथ दरख्वास्त भी संलग्न है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: यह सरकारी चिट्ठी आई थी या अर्द्ध सरकारी चिट्ठी, इसे मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने परिभाषा बताई है वह बहुत खतरनाक है। कोई माननीय सदस्य मंत्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से, लिखित रूप से पेश करते हैं। इस तरह की सार्वजनिक चीज के संबंध में कहना कि यह व्यक्तिगत आई है, आपके नाम से आई है, और क्योंकि सेक्रेटरी के नाम से नहीं आई है उस पर कार्यवाही न करें गैर सरकारी मान कर यह उचित नहीं होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय– मैं यह नहीं कहता। मैंने व्याख्या बताई है। मैंने नहीं कहा है कि उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने कहा, कई तरह की चिट्ठियां आती हैं, उनकी मैंने मेरे मत के अनुसार यह व्याख्या बताई है।

श्री अध्यक्ष : आपकी व्याख्या खतरनाक है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मंत्री के नाम एक चिट्ठी है...

श्री अध्यक्ष : एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक मामले के लिए कोई चिट्ठी लिखे तो आप उसे सार्वजनिक चीज बना देना चाहते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर चिट्ठी आई है तो वह ट्रान्जिट में होगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह चिट्ठी हरिभाऊ जी के नाम लिखी गई या शिक्षा मंत्री के नाम लिखी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह मैं देखकर बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह पहले ही फरमा देते।

(विराम)

श्री महेन्द्र सिंह।

स्टोन-पाउडर फैक्ट्री को ऋण नीम-का-थाना।

३५१. कुं० श्री महेन्द्र सिंह (दीगोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि नीम-के-थाने की स्टोन-पाउडर फैक्टरी को सरकार द्वारा लोन दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(२) यह लोन किस समय तक अदा हो जाना चाहिये था व अब तक क्यों नहीं हुआ ?

उप-मंत्री उद्योग, (श्री चन्दन मल बैद):
(१) जी नहीं।
(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या लोन नहीं दिया गया ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा, 'जी नहीं,'।

श्री रामकिशन (बैर) : क्या इस नाम से नहीं दूसरे नाम से दिया है ?

Page No.32

श्री चन्दनमल बैद : सैंकड़ों पार्टियों को फोन देते हैं, सबके नाम पूछ लें तो कैसे बता सकता हूं।

श्री रामकिशन : स्टोन पाउडर फैक्ट्री का नाम रह गया।

श्री चन्दनमल बैद : स्टोन-पाउडर फैक्ट्री के लिए किस किस फर्म को दिया गया, यह मुझे याद नहीं है।

श्री रामकिशन : याद तो सब है, बताने में असुविधा हो रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ३५२ प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दें। यह गरीबों की रोटी रोजी का प्रश्न है। इसको लेना आवश्यक है।

(प्रश्न-समय में न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट ५ देखयें)।

(१२-१० म.प.)

आय-व्ययक १९६३-६४ पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : कृपया आप जल्दी ही समाप्त करें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : (रतनगढ़) आप कहो तो बाद में बोल लेवूं।

श्री अध्यक्ष : आप पहले ही बोल लेवें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, बजट की बाबत काल ही आपने अर्ज करी ही कि बजट अटपटो है ईमें बहुत सी कमियां हैं। ई संबंध में आपने दो बातां और बताऊं बजट राखती समय अर्थ मंत्रीजी दो मार्च ने बजट पर भाषण दियो हो, बो भाषण इसी भाषा में प्रस्तुत कर्यो गयो है कि बीं ने हरेक आदमी समझ सके नई सारो को सारो फारसी भाषा में बजट भाषण राख्यो गयो है, जिके ने समझणे वास्ते मैं समझूं हूं विधायक लोगां ने कई मुल्ला मौलवियां की शरण लेणी पड़ी जिके पर भी बजट भाषण समझ में आयो नहीं। अध्यक्ष महोदय। कम से कम ऐसी भाषा में ·········

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : आप तो बोल रहे हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कैरयो हूं बीं नै सुणने की अर्थ मंत्रीजी की सामर्थ्य नहीं। अगर सामर्थ्य होती तो बे सदन में जरूर बैठता। भाषण तो हिन्दी या राजस्थानी भाषा में ही होणू चाये हो। मैं राजस्थानी में बोलूं हूं हिन्दी को विरोधी नहीं हूं। अंग्रेजी फारसी जिकीं ने एक दो प्रतिशत आदमी राजस्थान में समझे है, में भाषण प्रस्तुत कियो गयो। ओ भाषण अरबी भाषा में राखणे को कारण एकमात्र ओई है कि सदन का सदस्य व राजस्थान का लोग समझे नई। अर्थ मंत्री जी अपणी कमजोरियां ने छिपाणे के वास्ते ई भाषा को प्रयोग कर्यो है अर्थ मंत्रीजी सारी बातां गोलमटोल में कई है वास्तविक बात कैणे की आं में हिम्मत नहीं। ई के सिवाय एक बात और बताऊं, अर्थ मंत्रीजी राजस्थान बजट संदेश (बजट स्टडी) सन् ६३-६४ बजट का आंकड़ा इकट्ठा करके हाउस के सामने राख्या है। आ बजट सन्देश की किताब भी अंग्रेजी भाषा में राखी है जिकी में कोई व्यक्ति राजस्थान को आसानी सूं समझ सकै नई। भाषण अरबी में राख्यो और

Page No.33

(श्री मोहनलाल सारस्वत)
बजट स्टडी अंग्रेजी में राखी। मैं समझूं हूं, अर्थ मंत्रीजी अंग्रेजी खुद भी कम जाणे है पर तत्थ्यां ने छिपाणे के वास्ते ये दोनूं काम करया गया है राजस्थान में अंग्रेजी भाषा नें भोत कम लोग समझें है इस तरह स्यूं अंग्रेजी भाषा में बजट सन्देश राखणू शर्मनाक बात है काल मेरे खड़यो हुते ही अर्थ मंत्रीजी हाउस छोड़कर चल्या गया, और आज भी हाउस छोडकर चल्या गया अर्थ मंत्रीजी, सच्ची बात सुणनूं चावें नई।

एक माननीय सदस्य : (वित्त मंत्री की ओर संकेत करके) आप पधार गये हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अब पधारे हैं भाषण प्रारम्भ होते ही बाहर चल्या गया हां।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन् को इज्जत देने के लिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : ई तरह स्यूं हाउस छोड़कर सदस्यों नें इज्जत देता रैवोगा तो कैसे काम चलेगो। अर्थ मंत्रीजी महोदय को स्थान अत्यन्त महत्व को है बैं ई तरह स्यूं हाउस छोड़ कर जाता रैवें और मजाक करता रैवें, आ बात अत्यन्त आपत्तिजनक है मैं अर्थ मंत्रीजी नें चेतावनी देवूं हूं कि आप थोड़ो बुद्धि से काम लेवो किसी भी सदस्य के भाषण देती वक्त आपनें हाउस में बैठणो चाईजें हाउस सर्वांग है और वीं में चुन्योड़ा व्यक्ति लाख लाख आदमियां का वोट लेकर आया है बां को अपमान करणो एक लाख आदमियों को अपमान करणो है मैं भी एक लाख आदमियां का वोट लेकर सदन में आयो हूं आपकी तरह से ऊपर से नेहरूजी के हस्ते नहीं आयो हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष मैं यह चाहूंगा कि इस प्रकार बीच में जवाहरलालजी ने हरू और दूसरों के नाम लेना उचित नहीं जो हाउस में नहीं हो उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : जो वास्तविक बात है वा तो कैणो ही चाहीजें।

श्री अध्यक्ष : वास्तविक बातें तो और ही घणी हैं, आप जल्दी समाप्त करें। १५ मिनट तो आपको दे चुके हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मनें काफी बोलणो है।

श्री अध्यक्ष: Order Please ! Order !! आप समय व्यर्थ में न गंवायें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : पिछले वर्ष आप द्वारा जो बजट राख्यो गयो हो, वो एक करोड़ ठाईस लाख घाटे को हो या घाटे की रकम टक्सां द्वारा पूर्ति [illegible]णे को प्रावधान आप करयो हो ई प्रावधान के अनुसार आपने एक करोड़ ठाईस लाख का टैक्स सन् ६२-६३ में लगाणा चहीजें हा। ई के विपरीत सन् ६२-६३ में टैक्सों के द्वारा एक करोड़ सत्त[illegible] लाख रुपया जनता से वसूल करया गया, अबकी बार बजट में च्यार करोड़ को प्रावधान राख्यो गयो है पिछली बार एक करोड़ ठाईस लाख की बजाय एक करोड़ सत्त[illegible] लाख रुपया वसूल करया गया ई माय [illegible]ड सू ही सन् ६३-६४ में टैक्स वसूल करया जावेगा तो ६ करोड़ रुपिया को टैक्स जनता से वसूल करयो जावेगो।

ई ६ करोड़ के बढ़ायोड़ टैक्स को असर सीधो गरीब जनता पर पड़गो ई बजट में जो टैक्स लगाया गया है वे सारा का सारा गरीब जनता स्यूं वसूल होवेगा सिर्फ दो आइटम इस्या है जिकां को असर बड़ें लोगां पर पड़े है

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

एक एडवेर्टाइजमेंट और दूसरो है लग्जरी (श्रंगार प्रसाधन) आं दोन टैक्सों सू ज्यादा सू ज्यादा बीस लाख की आमदनी होवेगी और आमदनी भोत थोडे बडे आदमियां पर पड़ेगी अर्थ मंत्रीजी, आपने मालूम होणो चाईजे आज देश में मध्यम श्रेणी के लोगां की हालत अत्यन्त नाजुक है आं लोगां को भरण पोषण होणो बड़ो मुश्किल है बे लोग रात दिन मेहनत करणे पर भी अपणो गुजर नहीं चला सकै मंहगाई के कारण पेट भरणै भी मुश्किल हो रयो है ई तरह का भारी टैक्स गरीवां पर लगाणे स्यूं बां नै और भी मुसीबतां को सामनो करणो पड़ेगो। राजस्थान में एक करोड़ आदमी ई ढंग का है जिकां कै पास साधारण कृषि की भूमि है जिकी स्यूं बा को गुजर होणू मुश्किल पडे है तथा पचास लाख आदमी मास्टर, पटवारी क्लर्क, चपड़ासी तथा मजदूर हैं, जिकां की दैनिक आमदनी रोजाना को खर्च चलाणै लायक नहीं है आं डेढ करोड आदमियां सूं आप औ सारो को सारो टैक्स वसूल करोगा आं टैक्सां स्यूं वां लोगां की हालत अत्यन्त दयनीय हो ज्यावेगी। जिको टैक्स आप द्वारा लगायो जा रयो है, वीं टैक्स स्यूं गरीब ज्यादा गरीब हो ज्यावेगो और अमीर ज्यादा अमीर हो ज्यावेगो ई आमदनी स्यूं किसी गरीब को भलो आप द्वारा होवेगो नहीं। बढ़योड़ टैक्सां की आमदनी सारी की सारी आप डेवलपमेंट के नाम पर खर्च करोगा, बीं डेवलपमेंट को थोड़ो सो नमूनों आपके सामने राखू हूं। आप आज डेवलपमेंट के नाम पर जगह जगह ब्लांक खोल राख्या है बां ब्लोकों में पांच पांच सौ च्यार च्यार सौ महीने का आई. ए. एस. और आर. ए. एस. विकास अधिकारी, (बी. डी. ओ.) नियुक्त है आं टैक्सां की आमदनी स्यूं बांकी तनखा चूकैगी, बांका क्वार्टर बणैगा, बां के वास्ते जीपां खरीदी जावेंगी, जीपां में पैट्रोल खर्च होवेगो तथा अणहोता टी. ए., डी. ए. का बिल बणैगा, बे झूठी बीमारियां को बहानों करके दवाइयां का बिल बण ज्यावेगा। आपके सामने आ भी बात राखणू चावूं हूं कि अमीर को बेटो ही आई. ए. एस. और आर. ए. एस. बण सकै है, जिकै आदमी की पांच सौ रुपया माहवार आमदनी होवे वीं को बेटो ही आई. ए. एस. तथा आर. ए. एस. की परीक्षा पास करके उच्च अधिकारी बी. डी. ओ. कलक्टर सेक्रेटरी वण सकै है आप रात दिन समाजवाद को नारो लगाकर समाजवादी सरकार को निर्माण करणो चावों हो। आ है थारी समाजवादी सरकार की रूप रेखा। जिकै स्यूं गरीब कै अधिक गरीबी आज्यावे और अमीर अधिक अमीर हो ज्यावै मैं गवर्नमेन्ट होस्टल में रेवूं हूं। बजट के मसले पर आपकी कांग्रेस पार्टी की अनेक मीटिंगां हुई। मेम्बर लोग हरेक मीटिंगां में तथा सदन में दिल खोलकर विरोध करै है आपकी पार्टी का सदस्य मांग करै है, जनता मांग करै है, पर आप राजमद में एक भी सुणो नई हो बहुमत कै बल पर औ अनुचित टैक्स लगाणो चावो हो जिको लगाकर रैवोगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हुकुम दो मिनट, अब कै तो पैली बार ही बोल रयो हूं। ऊपर बतायोड़े ढंग से जिको अनुचित बजट बणाकर अर्थ मंत्री जी पेश करयो है, वीं में संशोधन करके गरीबां पर सैं टैक्सां को बोझ हलको करणू चाये, यदि बां में संशोधन करने की सामर्थ्य नहीं है तो बे म्हारे कनै एक घंटा कै वास्ते गवर्नमेन्ट होस्टल जठै म्हे रैवां हां आज्यावै सारो को सारो बजट बणाय देवांगा अगर बां नै गवर्नमेन्ट

Page No.35

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

होस्टल आणं में असुविधा होवें तो अठै ई बात कर लेवे जिकै सूं बजट ढंग को बण ज्यावें और रोलो भी समाप्त हो ज्यावें बजट बणाती वक्त भू-राजस्व को बजट अर्थ मंत्रीजी अकेला ही नहीं बणायो, बै अकेला ही गुनहगार नहीं है बल्कि ई राज रै मुख्य मंत्रीजी कै पास ही राजस्व मंत्री को चार्ज है राजस्व पर कर लगां तां तथा अन्न पर सेल टैक्स लगातां मुख्य मंत्रीजी की भी राय ली गई है ई कारण स्यूं मुख्य मंत्री जी की भी जिम्मेवारी टैक्स लगाणं में है मैं मुख्य मंत्रीजी स्यूं अर्ज करूं हूं कि बै ई ढंग के अनुचित टैक्सां सूं जनता नै बचावें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी को ध्यान काल की मीटिंग जो गवर्नमेन्ट होस्टल में बांकी अध्यक्षता में भारत के कृषि मंत्री श्री पाटिल साहब करी ही बीं में पाटिल साहब बतायो हो कि भारत की सत्तर प्रतिशत जनता कृषि प्रधान है, ई वास्ते जिकै काम सूं कृषकों को भलो हो सके बो ही काम राज और जनता नै करणूं चाहीजे बां आ भी बात बताई ही कि विदेशां में कृषकां को इत्तो जोर है कि कोई भी काम व्यापार सम्बन्धी कृषकां की राय के बिना हो सकै नई वठै पाटिल साहब चीणी बेचण नै गया हां तो पैले राज्य अधिकारियां सूं बात नहीं करके कृषक लोगों सूं बात करणी पड़ी मैं समझूं हूं मुख्य मंत्रीजी भी पाटिल साहब कै सुझावां की कद्र करैगा, और कृषक व गरीब जनता पर जिका टैक्स लगाया गया है, बां नै वापस लेवेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी ने आ बात कैणू चावूं हूं कि बै आठ बरस स्यूं राजस्थान का मुख्य मंत्री है, और बां कनै ही राजस्व मंत्री को चार्ज होणं कै कारण बांको किसानां सूं सीधो सम्पर्क है ई देश का किसान रीड़ की हड्डी है अगर रीड़ की हड्डी ही कमजोर हो गई तो शरीर चालणू मुश्किल है किसान व मध्यम वर्ग की जनता पर ही आपरो राज चालै है बां के वोटां सूं ही आज आप मंत्री बण्या बैठ्या हो। बां लोगां पर आप लोगां नै अन्याय करणू चाये नई अर्थ मंत्रीजी सूं बात करके जिको आप च्यार करोड़ को टैक्स लगावो हो बो वापस ले लेणो चाहीजे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी और अर्थ मंत्री जी स्यूं निवेदन करणू चावूं हूं कि टैक्स लगाती वक्त अगर बै जन साधारण को ध्यान राखता और अनुचित खर्च में कटोती करता तो आज ऐ टैक्स लगाणे की नौबत नई आती। म्हारो पडोसी प्रान्त पंजाब जिकै में तीन-हजार उच्च अधिकारियां की कटौती करी गई है और काफी मंत्रियां की भी कटौती करी गई है, बां स्यूं अगर ये शिक्षा लेवता तो आज ऐ टैक्स नई लागता। म्हारी सरकार भी कटौती को दिखावो करयो है पर बा कटौती चपडासियां तथा चतुर्थ सरेणीं के कर्मचारियां की करी है कोई भी उच्च अधिकारी नई हटायो गयो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपस्यूं निवेदन करणू चावूं हूं कि राजस्थान सरकार की सर्विस क्लास में भ्रष्टाचार, अनुशासन हीनता तथा अकर्मण्यता ई ढंग स्यूं फैल गई है कि न वा मंत्रियों की मानै, न चुनेडे प्रतिनिधियां की मानैं। बै तो आपकी मनमानी ही करै है यदि आप मनै आध घन्टे को समय और देवो तो सारे डिपार्टमेन्ट की हालत आपकै सामने राखूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी नै ओ चैलेंज करूं हूं कि बै कोई सो इस्यो डिपार्टमेन्ट बतावै जिकै में भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता फैल्योडी न हो। अब मैं आपके स मनै राजस्थान के सचिवालय को थोडे सो चित्रण करूं हूं ई सचिवालय में सचिवां,

(श्री मोहनलाल सारस्वत)
उप सचिवां, सेक्सन अधिकारियां की फोज की फोज इकटी कर राखी है ये लोग दिन की १२ बजे सचिवालय में पहुंचे है जबकि ओफिस को टाइम ११ बजे को है एक घंटा इधर उधर [की गप्प-शपां में लगा देवे । बाद में भोजन को काम चल्लु हो जावे जीन ब लोग और ही कुछ कंवे है ।

एक माननीय सदस्य: लंच ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : लंच फंच की बोलियां तो समझूं ही कांई हांई लंच में पूरा दो घंटा लाग जावे । बाद में घंटा आध घंटा मीटिंगां में बैठ जावे बात की बात में घडी में ५ बज जावें और सचिवालय की फौज घर जाणं वास्ते तैयार हो जावे बडी मुश्किल स्यूं साधारण आदमी सचिवालय तक जावे और जाणं पर भी बैठंका साहब लोग टाई बूंट लगायेडा बीं की बात सुणं नहीं । बीं में बानें बांस आवें ।

रतनगढ में इन्डिस्ट्रीयल ट्रेनिंग इनस्युच्यूट नाम की एक संस्था ई वर्ष खोलने की मंजूरी भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार दी है ईं संस्था की मंजूरी होणं मांय राजस्थान रे मुख्य मन्त्रीजी तथा शिक्षा मंत्रीजी पूरी दिलचस्पी दिखाई राजस्थान री सिपारिस पर भारत सरकार रां मंत्रियां श्रीमालीजी तथा नन्दा साहब एक दिन मांय ही मंजूरी देय दी मंजूरी लेकं जद म्हे जयपुर आया और मुख्य मंत्रीजी ने आदेश जारी करनरी प्रार्थना करी तो वह बोल्या के आप लोग ई डिपार्टमेन्ट के सचिव एस. पी. सिंह भंडारी स्यूं मिल ल्यो । शिक्षा मंत्रीजी श्री हरिभाऊजी उपाध्याय जो साधु आदमी है, स्यूं भंडारी जी ने म्हे फोन करवायो भंडारीजी कनं म्हारे अठं का श्री चम्पा लाल जी उपाध्याय सार्वजिनक कार्यकर्त्ता जो एक मान्योडा वकील भी है अपण साथ ई संस्था का वणावं मांय २ लाख रुपीया तथा जमीन देवण वालं दानदाता ने लेकर मिल बानं गया तो भंडारीजी वां स्यूं बात नहीं करी बल्कि बांको गेट-आउट कहकर अपमान करयो । बां लोगां पर बहुत बुरो असर ई बात को पड्यों जीयां तीयां करकं मुख्य मंत्रीजी स्यूं मिलाकर बानें सन्तोष करवायो । ओ हाल है आपरे सचिवालय को । जठ सचिव लोग राजस्थान का मंत्रियां नं भारत सरकार के मंत्रियां नं राजस्थान विधान सभा क विधायकानं व सार्वजनिक कार्यकर्त्ता दानदाता व नव जनता नं कुछ भी नहीं समझं अपनी सनक के अनुसार मनमानी करं ।

श्री गंगानगर जिला में जेतासर पंचायत है बीं पंचायत के सरपंच ने वठंकं कलेक्टर सस्पेंड कर दियो । सरपंच मंत्रीजी कनं आकर अपणं दुःखडो रोयों । मंत्रीजी बीं की दरख्वास्त पर १५ दिन मांय तत्सम्बन्धी रिपोर्ट के साथ मांग्या आज बीं बात नं डेढ साल के करीव होवण लाग्यों है, कागज मंत्रीजी कनं पूग्या नहीं अब सुणन में आयो है वं कागज मंत्रीजी कनं हुक्म देण वास्तं पडा है सरपंच रोजीना मंत्रीजी, उप मंत्रीजी तथा विधायकां कन चक्कर काट । आ हालत है मंत्रीजी क हुक्म की तामील होण की तथा इन्साफ की।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट साहब ।

बीकानेर डिविजन में कोई पूरो (फल फलेजड) मंत्री है नहीं उप मंत्रियां की बात चाल नहीं रात दिन दुखिया लोग उपमंत्रियां के बार बार चक्कर काट कं वापिस चल्या जावं ।

Page No.37

(श्री मोहनलाल सारस्वत्)

काल सदन में म्हारे एक कांग्रेसी सदस्य कह्यो हो कि विरोधी विधायक हाउस में सरकार के खिलाफ बोल्या । चेम्बरां में मंत्रियां क बार बार चक्कर लगाकर आपणा अपरण काम निकलवावे । म्हारो कहणों है कि कांग्रेसी विधायक सरकार में बैठया मंत्रियां के पहरो लगादे म्हारो काम जकी सरकार बणसी बीं नं करणों पडगों । हर एक जगह को काम करणं की मंत्रियां की डियूटी है काम जो करे है वीं को किसी पर कोई एहसान नहीं है, ओ तो सरकार को पहलो कर्त्तव्य है अगर व म्हारो कह्योडो काम नहीं करेगा तो म्हे काम कराणो जाणा हां बीकानेर डिविजन में म्हान पूछ कं बडसी ।

म्हारे क्षेत्र में बीकानेर से दिल्ली तक हाई वे सडक बणोडी है आ सडक राजस्थान बणन स्यूं पहले बणी ही । आज तांई ई सडक की मरम्मत नहीं करवाई गई गोडे गोडे सुदां खाडा ई सडक पर पड रहा है कोई गाडी सडक पर चाल सक नहीं यदि चालं तो दो एक बार चालण स्यूं टायर खतम हो जावे सडक पर लाखों रूपीया लाग्यो जका फिजूल जारया है राज्य सरकार जनता री भलाई के वास्त टैक्स लगावं है ई ढंग की महत्वपूर्ण सडक की आदुरदशा राज पर एक तरह को कलंक है ई सडक पर अध्यक्ष महोदय, आप तथा मुख्य मंत्रीजी थोडा दिन पहलां जाक आया हो वीं सडक की तो मरम्मत जल्दी स्यूं जल्दी करवाणी चाहिजे म्हार जिला का दोनों उप-मंत्री रात दिन ई रोड पर फिरे है वे दोनों सरदारशहर का रैणहारा है आ सडक भी सरदारशहर हो के जावे है वान सो मालूम है पर व तो होया अणहोया बराबर हं

बजट स्टडी में भू-राजस्व से आय ८५ लाख दिखाई है और खर्चा ८५ लाख ६५ हजार दिखायो है ईसी तरह स्यूं जंगलात में आय ९० लाख रूपीया दिखायी है खर्चा ८४ लाख ७३ हजार दिखायो है ओ है आपकी आय तथा खर्च का बडा बडा आंकडा ।

डाईरेक्ट डिमाण्ड ओन रेवन्यू में १ करोड ५५ लाख व सिविल एडमिस्ट्रेशन में ४ करोडों ७६ लाख के खर्च को व्योरो दियो गयो है वीं खर्च में स्यूं कटोती दोनु मदां में २२ लाख की दिखाई है आं कटोती दिखावो मात्र है ई तं बडे प्रान्त में जकी सर्विसेज पर करोडों रूपीया को खर्च होवे है वीं में स्यूं सिर्फ २२ लाख की कटौती दिखावो मात्र है और सरकार जनता के साथ धोखा धडी करी है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक मिनिट

अनेक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष: एक मिनिट और

श्री मोहनलाल सारस्वत: करां का आंकडा आसाम न छोडकर सब प्रांन्ता स्यूं म्हारा उचां है आसाम की जमीन में चाय आदि बहुत बडी कीमती पैदावार होवं है जकी को कोई प्रान्त मुकाबलो कर सकं नहीं आं सब बांता ने देखाता राजस्थान को बजट असंतुलित है कोई टैक्स लगाणो उचित नहीं है मैं समझू हूं अर्थ मंत्रीजी आं सब बातां पर ध्यान देवगा और राजस्थान में जको टैक्स सन् ६३-६४ में लगावं है वे वापस लेय लेवेंगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

Page No.38

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

नोट :—उपरोक्त भाषण जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा नये रूप से तैयार करके भेजा गया है वही आदेशानुसार मुद्रित करवाया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष‥

(व्यवधान व शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : श्री जगनसिंह

श्री मोहनलाल सारस्वत : बीकानेर के वास्ते कहनो चाहूं। आज ही टाइम मिल्यो है। ज्यादा समय नहीं लूला।

श्री अध्यक्ष : Order please।

आपने समय लिया, आप समय का ठीक तरह उपयोग करते तो और समय मिलता।

श्री मोहनलाल सारस्वत : ठीक तरह उपयोग किया है।

श्री अध्यक्ष : Order please!

श्री जगनसिंह (दातारामगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इधर उधर के आंकडों में न पड कर केवल सीधी दो बातें कहना चहता हूं और वे दो बातें यह कहना चाहूंगा कि, इस लेवलिंग अप बजट के अवसर पर, पैसा योजनाबद्ध विकास के लिये उनसे लेना चाहिये जिनका सरकार ने काम किया है। मैं यह नहीं कहता कि उनसे लेना चाहिये जिनके पास पैसा अधिक है या पैसे वाले हैं। बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि पैसा का भार उस पर पडना चाहिये जिसको ११ वर्ष की योजनाओं से लाभ हुआ है और उन्होंने लाभ उठाया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की कथनी और करनी में एकता होनी चाहिये। जब तक सरकार की कथनी और करनी में एकता नहीं होगी विश्वास नहीं जमेगा और जब तक विश्वास नहीं जमेगा कभी भी कोई भी समाज का वर्ग दृढ रूप से आगे नहीं बढ सकता। इसलिये बहुत आवश्यक है कि जो भी सरकार कदम उठाये उस कदम को सरकार पूरा करे। आज यदि समाज की हालत देखी जाय तो समाज हिन्दुस्तान में बिलकुल दो वर्गों में बटा हुआ नजर आता है। एक वह वर्ग जो शोषक वर्ग है और दूसरा वह वर्ग जो अपने मसल्स से, अपने परिश्रम से कार्य करता है। इस वर्ग में काश्तकार और मजदूर आते हैं जो देश की आबादी ८० प्रतिशत हैं। इस देस को मजबूती देने में उनका बडा भारी योग है। जिसने "एमरजन्सी" के वक्त भी दिखा दिया है कि देश के लिए जो उसका रीयल धन है, वास्तविक धन है वह सब कुछ देश के लिए अर्पण करने के लिये तैयार है। चीनियों को चेतावनी दी और लद्दाख में एक इंच भूमि भी नहीं लेने दी। एक तरफ इस प्रकार का ८० प्रतिशत देश का वर्ग है जो परिश्रम करता है और दूसरी तरफ २० प्रतिशत ऐसा वर्ग है जो मिडिल मेन के रूप में है, पूंजी पति के रूप में है जो समाज का शोषण करते हैं। राज्य कर्मचारी एक दल के रूप में बन गया है। मैं यह कह सकता हूं कि ८० प्रतिशत प्रगतिशील वर्ग है जो हिन्दुस्तान का मालिक है और एक तरफ २० प्रतिशत अप्रगतिशील है जो शोषण में विश्वास करते हैं, जिनका जीवन-यापन का तरीका शोषण पर आधारित है। इसलिये जब समाज में यह हालत है, बाहर जाकर देखें तो यह हालत है कि काश्तकार में असंतोष है, मजदूरों में असंतोष है, दुकानदारों में

(श्री जगनसिंह)

असंतोष है और बडे बडे पूंजीपतियों में भी संतोष नहीं है और राज्य कर्मचारियों में भी संतोष नहीं है। ऐसी स्थिति में जब संतोष नहीं है, डिस्कन्टेन्टमेन्ट हो और इस प्रकार हो कि अपने भविष्य के बारे में सोच विचार कर मजबूत कदम नहीं उठा सकते हों, यह स्थिति आगे बढाने की नहीं, यह स्थिति फ्रेंच रिवोल्यूशन और रसियन रिवोल्युशन की सी हो सकती है।

यह स्थिति इसलिये हुई कि नारा लगाया समाजवाद का और नारा लगाया है उन ८० प्रतिशत जनता के लिये। इन पंचवर्षीय योजनाओं को देखें तो आमदनी नहीं बढी ८० प्रतिशत की, उनका स्टेन्डर्ड नहीं बढा, उनकी परकेपिटा इनकम नहीं बढी, उनकी पर्चेजिंग पॉवर नहीं बढ़ी। ये किस बात के प्रमाण हैं। यह इस बात के प्रमाण हैं कि मंहगाई ज्यों की त्यों खड़ी है और जीवन-यापन की चीजें उपलब्ध नहीं हो पातीं। ८० प्रतिशत को योजनाओं से लाभ नहीं हुआ। इसलिये असंतोष है कि जिस आदमी के नाम पर समाजवाद का नारा लगाया और उसके लिए कोई कदम नहीं उठाये जाते इस कारण से असंतोष है और दूसरी तरफ वह २० प्रतिशत वर्ग है जो शोषण में विश्वास करता है जिनका जीवन-यापन का तरीका ही शोषण पर आधारित है। वह इसलिये असंतोष में हैं कि भविष्य के बारे में कदम नहीं उठा सकते दृढता से क्योंकि समाजवाद का नारा लगा दिया, शोषण की प्रवृति खतरे में है इसलिये डिस्कन्टेन्टेड हैं। कोई पूंजीपति पूंजी लगाने में समर्थ नहीं हो सकता क्योंकि वह निश्चय नहीं कर पाया है कि समाजवाद का नारा लगा दिया कल क्या होने वाला है क्या स्थिति है और उसकी लगी हुई पूंजी का क्या परिणाम निकलने वाला है? इसलिये उसके भी दिमाग में डिसकन्टेन्टमेन्ट है।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस डिसकन्टेन्टमेन्ट के बारे में हमारा जो समाजवाद का नारा है, वह नारा ही न रह जाय बल्कि उसको सक्रिय रूप से और सही तरीके से पूरा करना है तो हमें इसको एग्जामिन करना होगा इन पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश के उन ८० प्रतिशत जनता को लाभ मिला या नहीं, इससे उनकी इनकम बढ़ी या नहीं, उनका विकास क्यों नहीं हुआ; ये बातें देखने की हैं।

एमर्जेन्सी के वक्त में जब कि इस हम इन ११ वर्ष की योजनाओं पर दृष्टिपात करते हैं तो इन योजनाओं के बाद भी हम इनकी इनकम नहीं बढा सके तो हमें यह देखना है इस मौके पर सोच समझ कर, 'रिएलाइज' करके कि आगे दृढता के साथ कदम किस प्रकार से बढाया जा सकता है। इस मौके का फायदा उठाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इन पंचवर्षीय योजनाओं के बनते वक्त कोई कमी अवश्य रही है जिससे हम ८० प्रतिशत जनता को फायदा नहीं दे सके हैं। वह ८० प्रतिशत जनता जो खेती करने वाली है, काश्तकार है, मजदूर हैं, जो समाज की रीड की हड्डी है लाभ नहीं हुआ। खेतीहर जमीन जिस पर काश्तकार खेती करता है आज जिस धरती पर हिन्दुस्तान का इतिहास लिखा गया है, वेद लिखे गये हैं जहां से धर्म का उद्‌भव हुआ है वह इसलिये कि यह खेती प्रधान देश है

(श्री जगनसिंह)

इस वजह से। हमारी इन पंचवर्षीय योजनाओं में इस खेती का कम ख्याल रखा गया है। ज्यादा ध्यान शहरों, और उन में रहने वाले और उद्योगपतियों की ओर दिया गया है। आज हम देखते हैं कि देश के उद्योगपतियों की जेबों में यह धन गया है इस धन का उपयोग नगरों के विस्तार में हुआ है। आज आप किसी भी नगर में चले जाइये बाहर बनी हुई बस्तियों में चले जाइये, आपको तरह तरह के डिजाइन के मकान और उनके भीतर जाकर वहां की ब्यूटी का टेस्ट देखिये ये तमाम इन राज्य कर्मचारियों के जरिये धन को लूट खसोट कर कुछ व्यक्तियों की जेबों में चला आया है और नगर के विस्तार में वह उपयोग में आता है। यह नगरों का विस्तार समाजवाद का संकेत नहीं हो सकता यह तो पूंजीवादी प्रणाली का सबूत है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर पंचवर्षीय योजनाओं में खेत और गांवों की ओर ध्यान रखा गया होता तो निश्चित तौर से आमदनी बढी हुई होती और आज हमें इस प्रकार के टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

आज जब एमर्जेन्सी के वक्त काश्तकार अपने प्राणों को हथेली पर रख कर लडाई के अन्दर कूद सकते हैं महिलायें अपने सुहाग लुटा सकती हैं काश्तकार अपने जवान लडकों को भेज सकते हैं चंद पैसे के टुकड़ों के लिये वे विरोध करेंगे यह उचित नहीं। आज उनके खेत खाली हैं उनके पास साधन नहीं चारों तरफ से उस पर भार पड़ा हुआ है, थका जाता है, निराश हो जाता है, वह कहता है कि मेरे लिये समाजवाद का जो नारा लगाया गया लेकिन इन पचवर्षीय योजनाओं में मेरा कोई ध्यान नहीं, मेरी आमदनी नहीं बढी, मेरे खेती के उत्पादन के साधन नहीं बढे, मेरे को जमीन नहीं मिली। जो बड़ी बड़ी योजनायें या बांध बने हैं मुझे वहां से पानी आने तक नहर जिधर से गुजरती पहले जहां पानी मिलेगा उस जमीन से, हटा दिया जायगा और उस वर्ग को जिसने आज तक खेती नहीं की जो राज्य शासन में जगह जगह पर जमे हुए हैं जो शासन बीस प्रतिशत लोगों के हाथ में है, अतः वह वर्ग आज काश्तकारों को उस जमीन से हटाकर उन बीस प्रतिशत लोगों को वहां की जमीन दी जा रही है जिन्होंने कभी अपने हाथ से खेती नहीं की।

यह निश्चित बात है कि आपने बहुत कुछ किया, बड़े बड़े बांध बनवाये सिंचाई के लिये पानी को रोका है, ताकि वसुन्धरा पर पानी फैलाया जा सके जब तक पानी फैलेगा तब तक गरीब काश्तकार जिसकी पुश्तैनी से जमीन रही है उसको वहां से दूर भगा दिया जायगा और उसके स्थान पर वे आ जायेंगे जो मजदूरों से खेती करवाना चाहते हैं जिसका ध्येय शोषण का रहा है खेतीहर मजदूरों को जो सुखी देखना नहीं चाहते उनके हाथ में वह जमीन जाने वाली है। यह हमारी अर्थनीति है। हम जो यह "एग्रेरियन प्रॉबलम" है उसको हल नहीं कर पाये। पंचवर्षीय योजनाओं के ११ वर्ष बाद में भी इन एग्रेरियन प्रोबलेम्स को हल नहीं कर पाये यही सब से बडा डिफेक्ट है इन पंच वर्षीय योजनाओं का। आज संकटकालीन समय है आज हमें इसमें सुधार लाना चाहिये।

मैं अब इससे आगे बढना चाहता हूं अगर इस डिफेक्ट को सुधारा नहीं गया तो जमीन पर जो अन्न पैदा करते हैं अपना खून और पसीना बहाकर उस आदमी को जमीन नहीं

(श्री जगनसिंह)

दी गई तो यह हमारी एमरजेन्सी केवल नाम मात्र की एमरजेन्सी रह जायगी और हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। समाजवाद केवल नारा मात्र रह जायगा। उस समय नतीजा बहुत मुमकिन है बुरा भुगतना पड़े। क्योंकि जब समाज में असन्तोष फैलता है तब जनतन्त्र भी डिक्टेटरशिप का रूप धारण कर लेता है। जनतन्त्र जब खत्म होता है डिक्टेटरशिप उसकी जगह लेता है और कोई तरीका नहीं जो शासन व्यवस्था को चला सके। हमारी योजनाओं का ध्यान मुख्य तौर पर खेती पर होना चाहिये। यह बहुत ठीक है कि हम देश का औद्योगीकरण भी करना चाहते हैं हमारे यहां की ८५ प्रतिशत जनता खेती पर अपना निर्वाह करती है और शेष जो जनता है वह कुछ राज्य सेवा में और कुछ कल कारखानों में काम करती है। अगर ८० प्रतिशत जनता की समस्या का हल हो जाता तो आज यह स्थिति नजर नहीं आती। यह समस्या जब हल नहीं हो पायी है तो कहीं डिफेक्ट है यह समझ कर चलना चाहिये। इमरजेंसी का जो यह समय आया है वह इसलिये आया है कि हम अपनी कमजोरी जो आजतक रही है उसको दूर नहीं कर पाये। इसीलिये मैंने कहा कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में कमी रही है और वह यह कि हम एग्रेरियन प्रोब्लम्स् हैं उनको हल नहीं कर पाये हैं। इसी संदर्भ में मैं राज्य की भूमि संबंधी नीति पर आता हूं। हम सुधारों की बातें करते हैं राजस्थान की भूमि संबंधी नीति है वह नितान्त गलत और अप्रगतिशील है, किसी प्रकार भी प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता।

राजस्थान में सामन्तवाद की समाप्ति हुई, लेकिन आज भी हम देखते हैं राजस्थान सरकार उन्हीं सामन्ती तत्वों को उन नहरी इलाकों में बसाने में लगी हुई है। जैसे भूमिहीन में यही वर्ग है दूसरा कोई है ही नहीं। उनको जो मुआवजा दिया गया उसके औचित्य और अनौचित्य के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जमीन का जिस समय मआवजा दिया गया है तो उनको लैंन्डलेस टीनेन्ट की परिभाषा में शामिल कर लेना चाहिये था। राजस्थान सरकार ने यह नहीं सोचा जो जमीन हम दे रहे हैं वह क्या गरीब किसान को दे रहे हैं या सामन्तवादी लोगों को दे रहे हैं। आज एक गरीब जो दिल्ली की सड़कों पर रोड़ी कूटता है जिसके बाल बच्चे भूखे और नंगे सड़कों पर सोते हैं जिनको पूरा खाने को नहीं मिलता। कौन मां-बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चे को अच्छे कपड़े और शिक्षा देना नहीं चाहेगा। लेकिन आज जो गरीब हैं उसकी हालत बड़ी दर्दनाक है। आज उनके बाजुओं में बल है जो २४ घन्टे में २३ घन्टे काम कर सकता है और अपनी जिन्दगी चला सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आज इस राजस्थान सरकार को यह मालूम नहीं है कि राजस्थान के भूमिहीन काश्तकार किन-किन हालातों में और कहां-कहां काम करते हैं। आज राजस्थान सरकार को यह मालूम नहीं है कि कितनी जमीन उसके पास उपलब्ध है और कितनी संख्या कितने नम्बर ऐसे काश्तकारों का है जो भूमिहीन हैं और कौन-कौन से ऐसे इलाके हैं जहां भूमि पर ज्यादा प्रेशर है और कहां-कहां की भूमि में किस-किस योजना से ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है। आपने तो इस सारी समस्या का एक हल जान लिया है, चलो भेज दो किसी को वहां और नहर पर जमीन दे दो। कभी यह नहीं सोचा कि सरकार के जनरल रूल्स हैं अलॉटमेंट के तो उनमें

(श्री जगनसिंह)

इन भूमिहीन किसानों के और इन जागीरदारों के अलाटमेंट में कोई अन्तर भी है या नहीं। मैं ऐसे बहुत से केसेज जानता हूं जिनके पास यहाँ भी काश्त करने को जमीन है और वहां नेहरी एरिया में भी जिनके पास जमीन है। अपनी इन जमीनों पर वे लैंडलैस टीनेन्टों से काश्त करवाते हैं और अपने बच्चों के नाम से, पत्नियों के नाम से और कर्मचारियों के नाम से जो राज्य सर्विस में हैं एक-एक, दो-दो मुरब्बा जमीन लेकर वहां बैठे हैं। पन्द्रह-पन्द्रह और सोलह-सोलह मुरब्बा तक कई व्यक्तियों के पास जमीनें हैं। उनके पास यहां भी खुदकाश्त की जमीन है और वहां भी कीमती जमीन में उनका अधिकार है जिस जमीन को बेचकर भी आप नहर बनाना चाहते हैं। ये लोग वहां भी लैंडलैस टीनेन्ट से काम लेना चाहते हैं और यहां भी उनसे लेते हैं। हमने सामन्तवाद को खत्म नहीं किया। ग्रामों में सामन्तवाद ज्यों का त्यों बैठा है, हो सकता है आपने उनसे लैन्ड रेवेन्यू कलैक्ट करने के अधिकार छीन लिए हों और वह आप कलैक्ट करने लगे हों पर जमीन पर वह सामन्तवाद आज भी ज्यों का त्यों बैठा है। आपने उसे जमीन पर से आज भी नहीं हटाया है और जमीन पर उस आदमी को भी नहीं आने दिया जो सामन्तवाद से शोषित और पीडित था, जो भूमिहीन था। इसलिए कि राज्य सरकार की नीति बिलकुल साफ नहीं है और वह काश्तकारों के हित में नहीं है। बेशक टीनेन्सी लॉज बने हैं, पर उसके रूल्स रेगुलेशन्स ऐसे हैं कि काश्तकार कभी भी जमीन प्राप्त उनके मातहत नहीं कर सकता। इकोनोमिक होल्डिंग वह प्राप्त करना चाहे तो वह नहीं कर सकता क्योंकि जमीन पर तो आज भी सामन्तवाद कुंडली लगाकर बैठा है।

मैं काश्तकार हूं। जानता हूं इसे। काशतकार चाहे जितनी जमीन जागीरदारों के जमाने में काश्त कर सकता था, पर आज उसे वह नहीं मिल सकती, चाहे वह कितना ही पैसा दे। आज उसको १५ एकड से ज्यादा जमीन नहीं मिल सकती। पर इस सरकार को क्या मालूम कि १५ एकड इकानोमिक होल्डिंग कौनसे स्थान पर हो सकती है। I am sorry, १५ एकड कह गया १५ बीघा के बजाय। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कैनाल बनेगी, पानी आवेगा, मरुभूमि में। मरुभूमि लह लहा उठेगी, भूमि वहां की हरीभरी होगी। काश्तकार धनी होगा। काश्तकार इसका सपना लेता था कि पीढियों की दरिद्रता का अन्त आवेगा, सदियों की मेहनत का फल अब मिलेगा पर राजस्थान कैनाल के कमाण्ड एरिया पर से काश्तकारों के खातेदारी अधिकार छीन लिये गये। जो सदियों से उस भूमि पर सर्दी-गर्मी की ठिठुरती रातें और कडकडाती लूओं से झुलस कर भी किसी तरह अपना जीवनयापन कर रहा था, निरन्तर सदियों से कठोर परिश्रम करके अपना जीवन-यापन उस भूमि के सहारे करता आ रहा था वहां से काश्तकार को उस भूमि से हटाकर वहां का अधिकार इस राजस्थान सरकार ने अपने हाथ में ले लिया कमान्ड एरिया के नाम पर और आज उन किसानों की हालत वही है जो बहुत से डिसप्लेस्ड लोगों की सन् ४७ में हुई थी। उसका वह सपना चूर-चूर हो गया। सरकार ने बिना सोचे समझे जो सुलूक नहीं करना चाहिये था वह सुलूक उनके साथ किया। कमान्ड एरिया में जितनी जमीन आती थी उस पर उसने कब्जा कर लिया। राज सरकार है, उसको रोकने वाला कौन ? किसान आज मूक है, उसके हृदय दुःखी है, जबान नहीं है, महसूस कर सकता है पर बोल नहीं सकता। आज वह मूक और बधिर की तरह अपने को

(श्री जगनसिंह)

लुटता देख रहा है, अपने को बर्बाद होता देखकर भी चुप है। लोग समझते हैं वह कभी बोलेगा भी कि नहीं। या यों ही सदियों से जैसे पीडित होता रहा आगे भी होता रहेगा ? पर मैं मानता हूं, मेरी निश्चित धारणा है वह कभी बोलेगा, और निश्चित रूप से बोलेगा और जब वह बोलेगा तो इतना भयंकर बोलेगा कि वह ८० परसेन्ट गरीब किसान इन बीस परसेन्टों की अच्छी तरह से खबर ले लेगा। उस दिन फिर वे बीस परसेन्ट इन कुर्सियों पर नजर नहीं आवेंगे, वह ८० परसेन्ट मूक इन कुर्सियों पर आकर जम जावेगा। वह दिन देखना चाहते हैं।

इसलिये मैं और कहूंगा कि आप उनको उनका हक दीजिये। आप कहते हैं अलॉट करते समय हम उसको जिसको वहां से पहले हटा दिया है उसको अलॉट करेंगे। करेंगे आप अलॉट ? कौन करेगा ? सरकारी मशीनरी। और सरकारी मशीनरी जिस तरह से चलती है और अपना काम करती है वह हम जानते हैं, वह काश्तकार भी जानता है या वह मशीनरी खुद जानती है, या वह काश्तकार जानता है जिसका रोजाना का उसके कामों से उस मशीनरी से वास्ता पडता है, उसको अनुभव है। अलॉटमैन्ट के वक्त उस काश्तकार को, जिसको वहां से हटाया है, कहीं जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई नहीं कह सकता। पर वह भी कितना आप अलॉट करेंगे ? आप तो कहते हैं कि हम केवल ५० परसेन्ट अलॉट करेंगे और ५० परसेन्ट को ऑक्शन करेंगे। वाह रे, क्या कहना तेरे समाजवाद का। खेती करने वाला इन्सान तो वहां से डिसपजेस किया गया। अब आप उस को ऑक्शन करेंगे ? और लेगा कौन ? वह आदमी लेगा जिसके पास पैसा है। पैसा किसके पास है ? जिसने इन पिछली योजनाओं का फायदा उठाया है। फायदा किसने उठाया है, जो बडे बडे नगरों में बैठे हैं, जो सरकारी मशीनरी पर कब्जा किये बैठे हैं। इसलिये वह आदमी लेगा। जिसके पास परिश्रम है खुद का वह किसान नहीं लेगा, पर वह लेगा जिसने शोषण किया है ८० परसेन्ट का, जो अपने परिश्रम से अन्न पैदा नहीं कर सकता जमीन में से, वह आदमी लेगा। पर वह भी खेती किससे करवाएगा ? खेती वह करावेगा लैंडलैस टीनेन्ट से। तो हमारे समाजवाद में यह प्रोवीजन कहां रख दिया कि भूमि बिकेगी और लेगा वह जिसके पास पैसा होगा और वह पैसा ८० परसेन्ट के शोषण से उसके पास आवेगा और वह फौज खडी रखेगा उन लैंड लैस टीनेन्ट की जो दूसरों के लिये उनके लिये काम करेगा। यह है आपके समाजवाद की परिभाषा। पूंजीवादी तरीके की उत्पन्न प्रणाली से आर्थिक विषमता को मिटाने की व्यवस्था ही समाजवाद है और उस समाजवाद में तीन बातें आवश्यक होती हैं। एक बात यह है कि समाजवादी सरकार मानव के प्रत्येक क्षेत्र में अपना दखल रहती है। यानि सहकारी भावना का प्रत्येक क्षेत्र में दखल रहता हो, प्रत्येक नागरिक के पतन और उत्थान की जिम्मेदारी राज पर हो। बेकारी को कम करने, बेकार को काम देने की जिम्मेदारी राज पर हो। बूढा हो, बच्चा हो, अपंग हो, अपाहिज हो उनका पालन करना इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। पहली बात यह है।

दूसरी बात यह है कि जितने भी उत्पादन के साधन हों उनके राष्ट्रीयकरण की शक्ति सरकार के हाथ में हो; हमने अभी तक ऐसी शक्ति हमारी आय को बढाने के लिये नहीं बनाई है। यह कितनी बनाई है यह अच्छी तरह से राजस्थान में हम देख सकते हैं, दूसरे इलाकों में देख सकते हैं। हम समाजवाद की बात बहुत करते हैं।

(श्री जगनसिंह)

तीसरी बात यह है कि जो उपरोक्त दो बातों में से निकलती है कि समाजवाद को एग्जीक्यूट करने के लिये हम दक्ष और ईमानदार सर्विसेज की आवश्यकता है। जिन सर्विसेज के लिये आज के युग में डेमोक्रेसी रूल आफ लॉ होना चाहिये वहां उनके लिये वह रूल आफ परसन्स बनी हुई है। ऐसी स्थिति में समाजवाद पनप नहीं सकता। समाजवाद वहीं पनप सकता है जहां दक्ष और चतुर इन्सान कहा जा सकता हो और जिनका ऊंचा कैरेक्टर हो जो उसूल पर चलता हो वह सर्विसेज में हो। पर जहां रूल आफ लॉ से डेमोक्रेसी हट जाती है वहां डेमोक्रेसी खतरनाक से खतरनाक गवर्नमेन्ट से भी बुरी हो जाती है। इस सिलसिले में मुझे एक कनफ्यूशस, (चीनी) दार्शनिक का उदाहरण याद आ रहा है वह मैं निवेदन कर दूं। कनफ्यूशस अपने कुछ शिष्यों के साथ घूमता हुआ जंगल में आ रहा था। वहां उसने देखा कि एक बुढिया रो रही थी। कनफ्यूशस ने पूछा "क्यों रो रही हो?"

"इस स्थान पर मेरे पति के पिता को टाइगर खा गया था। और इसी स्थान पर मेरे पति को टाइगर खा गया था और आज इसी स्थान पर मेरे बच्चे को टाइगर खा गया।" बुढिया ने उत्तर दिया।

कनफ्यूशस ने कहा : "इस स्थान को फिर छोड क्यों नहीं देती ?"

उसने जबाब दिया : "Government nere is less oppress.ve" यानी यहां की सरकार कम आततायी है। तब अपने शिष्य को सम्बोधन किया दार्शनिक ने और कहा : "Look here, children, an oppressive Governm nt is more t rrible han tigers."

तो मैं यह कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जब डेमोक्रेसी रूल आफ लॉ से हट जाती है तो टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। मैं अधिक इसकी तह में जाना नहीं चाहता। मैंने बचपन से लेकर आज तक समाजवाद का और डेमोक्रेसी का अध्ययन किया है। पर साथ ही मैं एक काश्तकार होने के नाते कह सकता हूं कि डेमोक्रेसी रूल आफ लॉ से जब हट जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन में कई खामियां आ जाती हैं जो काश्तकार के रूप में मैं रोजाना महसूस करता हूं। मेरे साथी काश्तकार रोजाना महसूस करते हैं। पर चूंकि उनके पास जुबान नहीं है, इसलिये वे बयान नहीं कर सकते, आप लोग उनको महसूस नहीं कर सकते। आप शहरों में रहते हैं, चारों ओर आदमी ही आदमी नजर आते हैं जिनको किसान की तकलीफ का अनुभव नहीं है और जिनको इस प्रकार सरकार से कम तकलीफें हैं रहन-सहन आदि की कुछ ठीक सहूलियतें हैं और जहां ये राज्य कर्मचारी बसते हैं। पर रीयल पापूलेशन गांव में बसती है। इन शहरों में तो ये लोग २० परसेन्ट के लगभग ही हैं। गांवों के लोगों के पास जुबान नहीं है। वे अपना रोष प्रकट करना जानते हैं, रोष प्रकट करने के तरीके भी हैं, पर रोष प्रकट करने के तरीके भी इस डेमोक्रेटिव डीसेन्ट्रेलाइजेशन ने खत्म कर दिये। यह डिसेन्ट्रेलाइजेशन स्कीम या चुनाव के तरीके जिन्हें हम एडल्ट फ्रेन्चाइज कह सकते हैं ठीक है, पर केवल एडल्ट फ्रेन्चाइज हमारी इन आर्थिक समस्याओं का हल नहीं कर सकते और यह एडल्ट फ्रेन्चाइज के रूप में डेमोक्रेटिव डीसेन्ट्रेलाइजेशन एक डिमोन्स्ट्रेशन मात्र है।

(१.४० म० प०)

(श्री जगनसिंह)

उसमें रखा क्या है जब कि सरकारी मशीनरी का इन गांवों से ताल्लुक नहीं है जिनका स्वार्थ भिन्न है, जो शोषण में विश्वास रखते हैं, जिनका शोषण पर ही आश्रित धंधा है उनके स्वार्थ उन गांवों में बसने वाले, श्रम पर बसने वाले लोगों से भिन्न हैं उनके साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए उनकी कठिनाइयों को यह नौकरशाही कभी महसूस नहीं कर सकती और इसीलिए वह उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार नहीं कर सकते। यह आज का काश्तकार महसूस करता है और जगह-जगह चुनाव लडता है लेकिन चुनाव लडने के बाद अधिकारों की बात आती है तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैंने बहुत समय ले लिया, मैं केवल दो-तीन मिनट ही लूंगा। कहना तो बहुत चाहता था लेकिन कटशोर्ट करते हुए यह कह देना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ से हटकर जब व्यक्तिगत शासन का रूप धारण कर लेती है तो ऐसे ही आसार नजर आते हैं जैसे कि अभी कोऑपरेटिव की बातें आई, लेबर की बातें आई जिनका तोड मरोड कर जवाब दिया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं और इतना ही कह देना चाहता हूं कि हमको इस डेमोक्रेसी और समाजवाद में इस जनता का विश्वास प्राप्त करना है तो हम जो कहते हैं वह करना होगा।

सबसे बडा दुख जो आज गांव के लोगों को हो सकता है वह यह है कि ा चवर्षीय योजनायें उनकी इनकम को बढाने में सफल नहीं हुई हैं। यह शासन प्रणाली जो डेमोक्रेट क ढंग की है लेकिन यह नौकरशाही जिनका कि ग्रामीणों से कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करती और नौकरशाही वटवृक्ष की तरह से बढती जा रही है। अगर इसकी कांट-छांट नहीं की गयी और इसको ठीक नहीं किया गया तो यह मानव जीवन को हरने वाली कारबनडाइऑक्साइड हवा होगी। इसको ठीक करना चाहिए। हमारा तमाम धन शहरों के विस्तार पर खर्च हो रहा है, हमारा योजनाओं में कोई हाथ नहीं रहा। मैंने अभी हमारी भूमि संबंधी नीति बताई कि जहां पानी लाया जाता है वहां से उनको हटाया जाता है। हमारे बच्चे रिटन टैस्ट में पास हो जाते हैं लेकिन जबानी टैस्ट में वे नहीं आ सकते, वे वापिस आ जाते हैं। जहां फौज में जाते हैं वहां भी रिक्रूटिंग ऑफिसर रिश्वत मांगते हैं। अभी सीकर में रिक्रूटिंग ऑफिसर ने रिश्वत ली है और इसकी इन्क्वायरी डी० एस० पी० के पास पडी है आप चाहें तो पता कर सकते हैं . . . . .

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सख्त एतराज करता हूं। कोई रिक्रूटिंग ऑफिसर यहां मौजूद नहीं है और किसी के बारे में स्वीपिंग रिमार्क कर देना कि रिश्वत मांगता है उचित बात नहीं है और यह सदन में गलतफहमी पैदा करने वाली बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से पहले भी कई बार निवेदन किया जा चुका है कि व्यक्तिगत आरोप जिनका यहां निराकरण नहीं हो सकता नहीं लगाये जायें। इस प्रकार की बातें मंत्री को बिना नोटिस दिये नहीं कही जायें।

श्री जगनसिंह : मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है . . . .

Page No.46

श्री अध्यक्ष : एक ही बात है ।

श्री जगर्नासिह : इसके लिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया है . . .

श्री अध्यक्ष : यह और भी गलती है ।

श्री जगर्नासिंह : इसकी तो इन्क्वायरी डी० स० पी० के पास पडी है ।

श्री अध्यक्ष : तो आप उसकी सूचना पहले सदन को देते और बिना नोटिस के आप आरोप लगा देते हैं यह उचित नहीं है ।

श्री जगर्नासिह : अगर इससे किसी तरह की ठेस पहुंची है तो मुझे वापिस लेने में कोई बात नहीं है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बढते हुए वटवृक्ष में कांटछांट करनी चाहिए और इसको ठीक बनाना चाहिए ।

दो शब्द और कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

वित्त मंत्री महोदय ने एमर्जेन्सी के समय में यह बजट पेश किया है । आपने साथ साथ यह भी कहा है कि एमर्जेन्सी के समय टोटल वार होती है और आदमी कारखानों में लडते हैं, खेतों में लडते हैं, फरन्ट पर लडते हैं और मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह हाथ उन २० परसेन्ट का नहीं है ८० परसेन्ट का है । इस हाथ पर बहुत बुरा असर पडने वाला है और आपने निश्चित् रूप से एमर्जेन्सी की साया में बजट पेश किया है, यह भार उन गरीबों पर पडेगा जो देने के लायक नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं । भू-राजस्व किसी भी तरह से साइन्टिफिक नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है । राजस्थान हमारा एक सेमी-डेजर्ट इलाका है और उसकी हालत भी पिछले दिनों घटी है, बढी नहीं है । अगर राजस्व कर लिया जाता है जब कि उसकी आमदनी के जरिये नहीं बढे तो वह कैसे रहेगा ? आपको इसमें चार-पांच वर्ष बाद अमेन्डमेन्ट करना पडेगा और इसलिये करना पडेगा कि शहर में तो ३,००० रुपये की आमदनी के ऊपर तो आप कोई टैक्स नहीं लेते और इधर जिनकी आमदनी ५०० रुपये साल की भी नहीं है उनसे टैक्स लेना चाहते हैं, उनके ऊपर सवाया या ड्योढा कर देना चाहते हैं । हम मानते हैं कि वह कंधा बहुत मजबूत है इसमें कोई शक नहीं । वह कंधा और वह हाथ, जो नेफा और लद्दाख में लडता है, वह कंधा और हाथ जो फैक्टरी में लडता है, वह कंधा और हाथ जो खेतों में हल की चूंटी पर रहता है निश्चित रूप से उसके साथ सद्व्यवहार होना चाहिये नहीं तो वह हाथ बदल जायेगा तो दूसरी ओर ही उठेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह ।

श्री गंगासिंह (जायल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, १९५२ से आज तक जो बजट सदन में पेश हुए हैं वे दो सिद्धान्तों पर आधारित रहे हैं । एक सिद्धान्त यह है कि सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है और दूसरे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो । अगर हम इन दस वर्षों के बजटों के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो सोशियेलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी और कल्याणकारी राज्य की डेफिनीशन होनी चाहिये उस डेफीनीशन से यह बजट बहुत दूर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का एक

(श्री गंगासिंह)

सिद्धान्त होता है और उस सिद्धान्त के आधार पर कोई बजट इस असेम्बली में या पालियामेन्ट में पेश होता है, अगर हम उन सिद्धान्तों के रूप पर इसको आधारशील मानकर हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर में सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या चीज है तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की असली डेफीनीशन होनी चाहिये वह इस बजट से दूर है। इस नतीजे पर पहुंचने पर मैं यह कह सकूंगा कि अगर कांग्रेस द्वारा जो प्रतिपादित सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के बजट पेश हुए हैं अगर वह बजट असली तौर पर गवर्नमेन्ट द्वारा सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के बजट समझे जायें तो आपको उसकी डेफीनीशन को बदलना पडेगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सिद्धान्त इन बजटों में प्रतिपादित हुए हैं उनसे जनता का कोई फायदा नहीं हुआ है और जो जनता पर असर पडा है वह आखिरी इन दिनों में प्रतीत होता है। इस साल जो बजट पेश हुआ है उसके मूलभूत सिद्धान्तों पर हम जाते हैं तो यह बजट न तो कैपीटलिस्टिक बजट है, न सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का बजट है। यह बजट एक कन्फ्यूजन का बजट है जिसकी आधारशिला पर हम कुछ नहीं कह सकते कि किस तरह से इस प्रान्त का नक्शा बनता जा रहा है। मैं इस बजट के ऊपर यह कहना उचित समझूंगा कि बजट की आधारशिला जिस तरह से फेमिली बजट की आधारशिला होती है वही होती है। हम यह जानते हैं कि हमारी फेमिली के अन्दर इतनी आय होती है उनका व्यय किस तरह से होता है, उसी तरह से किसी प्रान्त और देश का बजट स्थापित होता है। जो जो फेमिली के अन्दर आय होती है उन आयों में किस तरह से बढौतरी की जाय, उनका खर्चा किस तरह से किया जाय, उसी तरह से प्रान्त या देश का बजट निर्भर करता है। अगर इस बजट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बजट के अन्दर कौन कौन से आइटम्स होने चाहिये। इसमें एक टैक्स और दूसरे नॉन-टैक्स होते हैं और दूसरी तरफ होता है खर्चा। पहले सरकार यह देखती है कि नॉन-टैक्स से उनकी आय किस तरह से होती है और जब नॉन-टैक्स से आय इतनी कम होती है कि खर्चा पूरा नहीं होता है तो टैक्सेज लागू किये जाते हैं।

टैक्सेशन के भी कुछ मूल सिद्धान्त होते हैं और उनके आधार पर टैक्सेज लिये जाते हैं न कि मनमाने तौर पर। अगर आप अर्थ-शास्त्र को पढते हैं और उसके सिद्धान्तों को मानते हैं तो टैक्सेशन के प्रपोजल्स उसके आधार पर क्या होने चाहिये— इस दृष्टिकोण से इसको देखना पडेगा। बेसिस ऑफ टैक्सेज, यानी टैक्सेशन की जो आधारशिला होती है उस तरह से देखें कि ये सिद्धान्त पूरा पडते हैं या नहीं, तो इसका नतीजा यह होत है कि अर्थशास्त्र के जो मूल सिद्धान्त हैं उनके आधार पर टैक्सेशन के प्रपोजल्स रखे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस समय जो मौलिक सिद्धान्त देखे जाते हैं वह यह है कि जिन पर टैक्सेशन का भार पडता है वे टैक्सेज देने के काबिल हैं या नहीं, टैक्सेशन जिनसे लिया जायगा उन पर भार ज्यादा नहीं पडेगा जिससे कि सारा काम-काज डिस्टर्ब हो जायगा। टैक्सेशन उनसे ही लिया जाता है जिनको कि राज्य से कुछ सुविधा मिलती है। इन सिद्धान्तों के आधार पर आप हमारे इस बजट के टैक्सेशन प्रपोजल्स को देखें तो आपको यह मालूम

(श्री गंगासिंह)

होगा कि अभी तक जो टैक्सेज लगाये जा रहे हैं इस बजट के अन्दर वे दो तरह के लगाये गये हैं—यानी कुछ टैक्शसेन नये हैं और कुछ पुराने टैक्सेज हैं जिनका कुछ पर्सेन्टेज बढाया गया है। मगर जो पर्सेन्टेज बढाया गया है उसकी आधारशिला यह होनी चाहिये कि जो टैक्सेज फिलहाल लिये जा रहे हैं उनको बढाने से कहीं ऐसा तो नहीं होता कि सारे प्रान्त की इकानोमी डिस्टर्ब हो और जो टैक्स पेई हैं उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ पडे। मगर इस बजट में आप देखेंगे कि टैक्सेशन जो आपने बढाये हैं वे इतने ज्यादा हैं कि राजस्थान की जनता इस बोझ को सह नहीं सकती। फिर भी जो पर्सेन्टेज ब . हैं उससे उनका भार दुगुना हो गया है। इस तरह से जो युटिलिटी इन टैक्सेज की होनी चाहिए तो दूसरी तरफ घाटे के प्रपोजल्स आ जायेंगे। मैं यह समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि ऐसे टैक्सेज कि जिन टैक्सेज के भार से जनता दब जाय उन टैक्सेज को देना किसी भी। इकॉनॉमिक मशीनरी के आधार पर नहीं रहता है

' एक दूसरी तरह के टैक्सेज हैं, वे नए टैक्सेज हैं। वे नये टैक्सेज ऐसे होने चाहिए जिनका भार किसी पर ज्यादा नहीं पडे और जो टैक्स पेई हैं उनको यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनसे जो टैक्स लिया जा रहा है वह टैक्स बहुत ज्यादा है। वह टैक्स उनकी जो बचत हैं उसका कुछ अंश ही हो, इससे ज्यादा नहीं हो, इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए आपका जो पहला टैक्स है वह स्टाम्प ड्यूटी का है, उसके आधार पर कुछ कहना चाहूंगा। अपने कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर यह गारंटी की गई है कि हर आदमी को न्याय मिलेगा और न्याय के लिए अदालत की शरण लेनी पडेगी, तो हर आदमी को, जिसको कि कुछ तकलीफ हो, जिसके कि कुछ राइट्स लिये जायं, उस समय वह आदमी न्यायालय की शरण लेता है। न्याय की शरण लेने के कुछ प्रोसीजर होते हैं उन प्रोसीजर्स के आधार पर न्यायालय में जाते हैं और राज्य सरकार चूंकि वह न्याय देती है और न्याय के लिए कुछ मशीनरी रखती है, इसलिए कुछ टैक्स लेती है। मैं यह कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि न्याय देने के लिए जो आप टैक्स ले रहे हैं वह इस हद तक नहीं पहुंचे कि जो न्याय लेना चाहता है वह टैक्स नहीं दे सके और उसको न्याय की जो सुविधा है वह नहीं मिल सके। हमारी कोर्ट फीस और स्टाम्प ड्यूटी की जो आधारशिल है वह अगर मानी जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो न्याय लेना चाहता है जो न्याय लेने की ओर अग्रसर है वह न्याय की शरण नहीं ले सकता, क्योंकि आपके टैक्स इतने बढ गये हैं कि न तो वह स्टाम्प ड्यूटी दे सकता है और न कोर्ट फीस ही दे सकता है। स्टाम्प ड्यूटी का बोझ इतना होते हुए भी यह बढोतरी की गई है, यह, अध्यक्ष महोदय, कान्स्टीट्यूशन में जो न्याय के लिए गारंटी की गई है उसके खिलाफ है अगर इस तरह से बढोतरी होती गई तो न्यायालय की शरण लेने में बाधाऐं आयेंगी तो कॉंस्टीट्यूशन की जो गारन्टी है वह खत्म हो जायेगी मैं यह समझता हूं कि अदालत में इतने बडे २ टैक्स लिये जाते हैं और इधर क्या हो रहा है कि न्याय मंहगा होता जा रहा है। न्याय देर से मिलता है। अदालत में केसेज ३-४ साल तक पेंडिंग पडे रहते हैं। हाई कोर्ट में २,२।। वर्ष में रिट्स की पेशियां होती हैं उधर न्याय मंहगा हो रहा है, क्योंकि रिटों की कोर्ट फीस बढ रही है। यह सारी एक भावना प्रकट करती है कि इस सरकार को

(श्री गंगासिंह)

हमें कोई न्याय नही देना है। इस नतीजे पर पहुंच कर मैं निवेदन करूंगा कि जो स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस हम पर लगाई गई है उसको बढोतरी देते गये तो एक दिन वह आयेगा कि मुश्किल हो जायेगा गरीबों के लिए कि वह अदालत की शरण लें, और उन पर जो भी कुठाराघात किया जायगा उसको वे सहन करेंगे।

मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि जहां एक ओर न्यायालय बढ रहे हैं वहां दूसरी ओर क्लाइन्टों की सुविधा के लिए भी ध्यान देना आवश्यक है। यह देखा गया है कि किसी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज की कोर्ट में क्लाइन्ट्स के खडे रहने के लिए शैड तक भी नहीं है। मैं उदाहरण के लिए अपने ही न्यायालय का उदाहरण दूंगा। नागौर के अन्दर जो सिविल कोर्ट है उसकी छोटी सी बिल्डिंग है वहां पर क्लाइन्ट्स को बैठने तक के लिए शैड नहीं है जिससे कि सारे लोग धूप में, बरसात में खडे रहते हैं। इस प्रकार की सुविधाओं की ओर ध्यान देना पडेगा।

दूसरा टैक्स है-सेल्स टैक्स। उसको अगर आप देखें तो जो टैक्स पहले बढाये गये है उनके अगर बढोतरी करेंगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न होगा। उससे इन्कम नहीं बढ सकती है। इसके अतिरिक्त जो नये कर लगाये गये हैं उनके अन्दर एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा वह यह है कि सर्व प्रथम राजस्थान की ही हिस्ट्री में नही बल्कि देश की हिस्ट्री में शायद यह सर्व प्रथम अवसर है कि राजस्थान सरकार ने अनाज पर इतने बडे टैक्स लगाये हों। अनाज धनवान और गरीब सबके लिए आवश्यक है। मैं समझता हूं कि सार्वजनिक काम में आने वाली चीजों पर कम से कम उतना ही टैक्स लगाया जाय कि जिससे गरीबों प पडे। आप धनवान पर लगायें तो उससे उत्पीडित नहीं होगा जितना कि इस मूल सिद्धान्त की आधारशिला निवेदन करूंगा कि अनाज जो है उस पर क से कम टैक्स लगाया जाय, मगर हमारे यहां प्रणाली इस तरह की रखी गई है कि अनाज और पानी पर वे टैक्स लगायेंगे और संभवतः राजस्थान सरकार का दिमाग और तरफ भी चलता हो कि वह हवा पर भी टैक्स लगायें जो प्राकृतिक देन हैं उन पर कम से कम टैक्स लगायें। इस सिद्धान्त के आधार पर मैं यह कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि अनाज पर टैक्स लगाते हैं तो वह गैरवाजिब है।

दूसरे जो टैक्स लगाये वो जनरल टैक्सेज के नाम से लगाये जायं। मैं यह समझूंगा, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हिस्ट्री के अन्दर चाहे वह राजा महाराजाओं का राज्य हो, चाहे जागीर-प्रथा के समय का हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि लैण्ड रेवेन्यू पर ड्योढे टैक्सेज किये हों। यह सर्व प्रथम अवसर है कि जिसको हम कल्याणकारी सरकार कहते हैं उसका यह कदम है कि लैण्ड रेवेन्यू से डेढ गुना टैक्स लगाये जायं।

इस ड्योढे टैक्स का इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है, अध्यक्ष महोदय, कि जो टैक्स लगाया गया है वह जमीन पर लगाया है, अमुक एकड तक इतना टैक्स लगेगा, अमुक तक इतना परसेन्ट लगेगा और ज्यादा से ज्यादा ५० परसेन्ट लगेगा। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान की यदि आप सर्वे रिपोर्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि लैण्ड रेवेन्यू निश्चित आधार पर नहीं बनाई गई है। कहीं पर एक-तिहाई लटाई पर बंधी है, कहीं पर एक-चौथाई लटाई पर बंधी है और कहीं पर छटे हिस्से पर बंधी है।

(श्री गंगासिह)

जव एक तरह की प्रणाली लैण्ड रैवेन्यू में नहीं रही हैं तो आपके टैक्स का भार उन पर ज्यादा पडेगा जिन्होंने एक-तिहाई या एक-चौथाई से या कम बांटे से बीघोडी बंधाई हैं। इसका असर क्या होता है कि उधर तो यों ही बीघोडी ज्यादा लग गई और इधर आपका टैक्स बढ गया। पहले से ही जहां बीघोडी ज्यादा थी वहां टैक्स का भार और ज्यादा पड गया। यह डिस्क्रिमिनेशन आपका कभी हट नहीं सकता ।

इसके उपरान्त मैं यह समझता हूं कि जो खेती की जमीन है वह अभी राजस्थान के कुछ इलाकों के सिवाय कहीं भी प्राफिटेबल नहीं है। उन इलाकों को छोड दें जहां पर नहरें हैं, सिचाई के साधन हैं, बिजली है। इनके अलावा जितने भी दूसरे एरियाज हैं उनमें खेती से कोई प्राफिट नहीं हैं। खेतीहर लोग जो प्राफिट खेती से करते ह उससे इतनी ही आमदनी होती है जितना वे परिश्रम करते हैं और उससे जितनी उनको वेजेज मिलनी चाहियें वही वेजेज इस रूप में उनको मिलती हैं या जो केपिटल वे खेती में इन्वेस्ट करते हैं उसका जो इन्ट्रेस्ट उनको मिलना चाहियें उतना इन्ट्रेस्ट भी मुश्किल से मिल पाता है। इससे अधिक राजस्थान में जमीन से लाभ नहीं होता है। मुनाफा तो दूर रहा यहां पर केवल वेजेज और केपिटल का पूरा इन्ट्रेस्ट भी नहीं मिल पाता है। उन बेचारे काश्तकारों पर इस तरह से टैक्स लगाना उनके साथ अन्याय होगा, न्याय नहीं। इसके अलावा में यह भी कहूंगा कि राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां रेत ही रेत पडी है। उस पर यदि सरकार कब्जा करे तो सरकार को उस पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिये खर्चा करना पडेगा। वहां के काश्तकारों को उस जमीन से उपज नहीं होती। यह तो उनके पजेशन में किसी तरह जागीरदारों के समय में आगई। एक एक आदमी के पास २००, ३०० बीघा, जमीन होने पर भी वे उनमें से ३०-४० बीघा में मुश्किल से काश्त करते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिये कि जहां पर टीबे हैं वहां २०-३० मील के एरिया में मुशिकल से २००-३०० घरों की बस्ती मिलेगी। वहां एक एक आदमी के पास हजार हजार बीघा जमीन होने पर भी मुश्किल से ५० बीघा जमीन पर काश्त करें उसकी बीघोडी का क्या हाल है? बीघोडी वैसे ही ज्यादा पडती है और आप फिर उन पर ड्योढा भार डालेंगे तो क्या हाल होगा? मैं देखता हूं कि वहां पर एक स्टेन्डरडाइज तरीका लगान का नहीं है। जहां पर जमीन कही पर ज्यादा उपजाऊ हो, कहीं पर बिल्कुल उपजाऊ नहीं है इन मुद्दों पर नजर रखते हुए जो टैक्स चैनल्स हैं वे कदापि उचित नहीं है और मैं यह कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यही नहीं यदि कुछ इलाकों में जहां पर हो सकता है कि काश्त फायदेमन्द हो लेकिन उन इलाकों में भी यदि आप रेन्ट इतना ज्यादा कर देंगे तो उनमें भी डिमनिशिंग रिटर्न होगा। कल आपने सुना होगा जो भाषण हुआ था उसमें कहा था यदि किसी देश या प्रान्त में अधिक किसान हैं तो एग्रीकल्चर की तरक्की का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिये दूसरी बातों पर बाद में। यदि आपका एग्रीकल्चर सफल हुआ तो दूसरी इन्डस्ट्रीज तो अपने आप प्रगति करेंगी। इन मुद्दों पर ध्यान रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जो आपके टैक्स प्रपोजल्स हैं उनको रिवाइज कीजिये और जो मौलिक सिद्धान्त इकानामिक्स और अर्थ-शास्त्र के हैं उनके आधार पर रिवाइज किया जाय।

अब सवाल यह आता है, अध्यक्ष महोदय, कि जो टैक्स प्रपोजल्स रिवाइज किये जायं

(श्री गंगासिंह)

और एक्सपर्ट्स की बात मान ली जाय या टैक्स प्रपोजल्स को डिलीट किया जाय तो जो साढे चार करोड का घाटा सरकार बतला रही है उसको कैसे पूरा किया जाय ? यदि आपका ध्यान मैं नान-टैक्स रेवेन्यू की तरफ दिलाऊं तो साफ जाहिर है कि आप उन पर पूरी तरह ध्यान दें तो करोडों रुपयों का फायदा होगा । लेकिन क्योंकि सरकार अपना आधार टैक्स को लेकर चलती है इस लिये उसको नान-टैक्स रेवेन्यू का पता नहीं रहता । अपने इस प्रान्त में भी कई खनिज पदार्थ हैं जिनसे बहुत आमदनी हो सकती है। मैं मेरे क्षेत्र की कह सकता हूं। वहां पर खड्डी का अच्छा कारखाना हो सकता है । यह खड्डी केवल मकानों के काम में ही नहीं आकर दूसरे कामों के लिये रा-मेटीरियल का काम कर सकती है। यदि उस खड्डी की ओर पूरा ध्यान देते तो लाखों रुपयों का फायदा हो सकता था। आप क्या करते हैं कि ठेका देते हैं । जिनको आपने ठेके दिये हैं उन्होंने लाखों रुपये इस खड्डी से कमाये हैं तो मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार खड्डी जैसे खनिज पदार्थ से पूरा लाभ क्यों नहीं उठा सकती ।

इसके अलावा दूसरी तरफ लूण (नमक) के अच्छे से अच्छे प्लोट्स हैं उनसे भी लाखों रुपये पैदा हो सकते हैं। कुचामन का खारडा जिसका आपने मामूली पैसों में बंटवारा कर दिया, सही तौर पर उसकी ओर ध्यान देते तो उससे लाखों ही नहीं बल्कि करोडों रुपये पैदा हो सकते थे। लूण की आमदनी बढती तो चारों तरफ के आप साधन जुटा सकते थे । इन आधारभूत चीजों को देखते हुए मैं यह कहूंगा कि आप अपने खनिजों की तरफ भी पूरा ध्यान दें ।

इसके अलावा यह प्रान्त कृषि-प्रधान है । इस ओर यदि आप पूरा ध्यान दें तो करोड़ों रुपयों का फायदा दिखाई देगा । १०-१२ वर्षों से आपने कृषि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । हम गांवों में रहने वाले यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास पहले जो खेती के इम्पलीमेन्ट्स हल आदि थे उन्हीं से आज भी हल जोतते हैं । आपके टेक्निकल आफिसर्स कुछ भी सलाह नहीं दे रहे हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में दो मोडल फार्म्स बनाइये, जो स्टेट फार्म्स होने चाहियें । जमीन लीजिये उनके लिये और सिंचाई करके जिस डिस्ट्रिक्ट में जैसी सुविधाएं हैं उन पर आधारित होकर मोडल फार्म्स बनाइये और दूसरे काश्तकारों को नमूना पेश कीजिये जिससे प्रान्त में एग्रीकल्चर का डवलपमेन्ट होगा ।

इस प्रान्त की सबसे बडी खूबी है 'पशु-पालन'। हिन्दुस्तान में शायद ही कोई प्रान्त ऐसा होगा जहां इतना पशु पालन होता हो । हमारे यहां इतने अच्छे पशु हैं कि काश्तकारी को बढाने के साथ साथ पशुओं को बढावें तो निश्चित तौर से आपको जो घाटा दिखाई दे रहा है वह नहीं रहेगा ।

इसके अलावा एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है कापरेटिव सोसाइटीज, जो बिल्कुल ढंग से काम नहीं कर रही हैं। लोन दिये जाते हैं लेकिन जिस परपज के लिये दिये जाते हैं उनका पूरा युटिलाइजेशन उस परपज के लिये नहीं हो रहा है और न आपके आफिसर्स इस तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं । लोन उनको मिल जाता है जिनको दिया जाना वाजिब नहीं था । इसके अलावा जब लोन की वसूली का समय आता है तो टाइम पर वसूली नहीं होती । यदि आपकी कॉपरेटिव सोसाइटीज जिसको

Page No.52

(श्री गंगासिंह)

डवलपमेन्ट के लिये मेन थीम माना है, जिस परपज के लिये लोन देना चाहिये उस परपज के लिये नहीं देगी और समय पर वसूली नहीं करेगी और यही प्रगति चलती रही तो निश्चित तौर से मानिये कि ये कापरेटिव सोसाइटीज आपको ही डिस्टर्ब नहीं करेंगी बल्कि दूसरी चीजों को भी डिस्टर्ब करेंगी।

इसके अतिरिक्त जो बजट आपने पेश किया है वह बेलेन्स्ड बजट नहीं है। इससे हम यह देख रहे हैं कि कुछ इलाकों को बहुत ज्यादा पैसा मिल गया है और कुछ को बहुत कम मिला है। बजट में यह जरूरी होना है कि सभी प्रवृत्तियों को सुचारु रूप से चलाया जाय। जिसके लिये जैसी चीज की जरूरत हो उसको बढावा दिया जाय। एक तरह से सारे के सारे बजट में पूंजी का विभाजन कर दिया है।

मैं और कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। उनमें से एक यह है रूरल वाटर सप्लाई। राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में, जो कि बिल्कुल रेगिस्तान हैं, आप देखेंगे कि वहां तीन, चार, पांच मील से पीने का पानी आता है। वहां पर पीने के लिए पानी मिलना दुस्वार हो रहा है। इस डेमोक्रेटिक एज में कम से कम इंसान सरकार से यह मांग कर सकता है कि सरकार पीने के लिए पानी दे, पर इस बजट के प्रपोजल्स में जो पीने के पानी के प्रपोजल्स हैं, तो आप देखेंगे कि जयपुर या दूसरे शहरों में जहां पीने के पानी की कमी नहीं है, उनके लिए बराबर प्रपोजल्स हैं लेकिन हम जो रेतीले स्थानों में रहने वाले हैं, उनके लिए उतना बजट में प्रपोजल नहीं रखा है। अध्यक्ष महोदय, एक हैड, जिस हैड की जरूरत होती है, उस हैड का पैसा, जहां जरूरत होती है, वहां देना चाहिए। आज हमें इरीगेशन की जरूरत नहीं है, वह हमें न दिया जाय लेकिन जहां पीने का पानी नहीं है, जहां बहुत जगहों पर पीने के पानी की कमी है, वहां के लिए ज्यादा प्रावीजन मिलना चाहिए, जिससे पीने के पानी की कमी नहीं रहे।

इसके अतिरिक्त मैं कहूंगा कि कन्स्ट्रक्शन के सम्बन्ध में नागौर डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो बजट में प्रावीजन दिखाया गया है, उसमें से पी. डब्ल्यू. डी. ने कन्स्ट्रक्शन के लिए कुछ नहीं दिया है, सिवाय इसके कि एक छोटी सी सड़क दिखाई गई है। अगर इस सारे बैलेन्स्ड बजट को देखते हुए सारे प्रान्त की आय का विभाजन करें तो या तो रूरल वाटर सप्लाई के लिए ज्यादा पैसा मिल सकता है या सड़कों पर, परन्तु उस इलाके के लिए एक भी सड़क का प्रपोजल नहीं दिखाया गया है सिवाय एक छोटी सी सड़क के। यहां पर लगातार इस बात के लिए कोशिश हो रही है, अध्यक्ष महोदय, कि एक सड़क खूंटटा से तरणाऊ तक नागौर डिस्ट्रिक्ट में बना दी जाय। उससे आवागमन के साधन की सुविधा ही नहीं मिलेगी परन्तु आपके स्टेट एक्सचेकर को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि खूंटटा की खान है उससे बहुत ज्यादा पत्थर निकलता है। मैं समझता हूं कि जब सड़कों की ओर ध्यान दिया जाता है, उस समय यह जरूर विचार किया जाता है, अध्यक्ष महोदय, कि ऐसी सड़कों को प्राथमिकता दी जाय जिससे आवागमन के साधन के अलावा राज्य की अर्थ-व्यवस्था के अन्दर भी कुछ वृद्धि हो सके। मैं समझता हूं कि यह ऐसी सड़क है जिससे राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था

(श्री गंगासिंह)
में फर्क पड़ता है, उनको प्राथमिकता दी जाय। इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री बृज सुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, ...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन बार खड़ा हो चुका हूं, हमको समय मिलना चाहिए। यह तो नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हर एक पार्टी के लिए समय निर्धारित है, उसके अन्तर्गत सबको समय दिया जा रहा है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, अब पन्द्रह पन्द्रह मिनट का समय दिया जा रहा है जब कि कईयों को आधा २ घंटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष : अब तो दस मिनट का समय मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : हम खड़े रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठा कौन रहता है, यह बता दीजिये।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-तीन दिन से लगातार इस १९६३-६४ के बजट के ऊपर इस सदन में बहस चल रही है। जिस वक्त सदन में बजट पेश किया गया, उम्मीद तो थी कि बजट आज की परिस्थिति की भूमिका में पेश होगा, यह भी उम्मीद थी कि इस बजट में कई प्रकार के खर्चे, जो आज हम कर रहे हैं उनमें बहुत कुछ कटौती हो कर खर्च की मदों में कटौती करके इस बजट को पेश किया जायगा, और यह भी उम्मीद थी कि आज जिन मदों में हम यह महसूस करते हैं कि ज्यादा आमदनी होने की गुंजाइश है उस आमदनी के आंकड़ों को भी अच्छी तरह से गौर करके सदन के अन्दर पेश किया जायगा, और यह भी उम्मीद थी कि इन पन्द्रह सालों के अन्दर जो कुछ भी खर्च विकास कार्यों पर हमने किया है और जिससे हमारी आमदनी के स्रोत बढ़े हैं उनका भी दिग्दर्शन हमको इस बजट के अन्दर मिलेगा, और यह भी उम्मीद थी कि जिस नारे को लगा कर हम चले रहे हैं और जिस समाजवादी व्यवस्था को अपनाने का हमने उद्देश्य बनाया है उसके आधार पर, उसके अनुरूप हमारा यह बजट होगा। गत वर्ष हमने अपने वित्त मंत्रीजी के आदेश के अनुसार अपने पेट के ऊपर पट्टी बांध कर एक साल भर तक गुजारा किया लेकिन अब के ऐसा नजर आया कि जब बाहर घूमते हैं, तो एक तरफ हमारे पेट पर पट्टी बंधी हुई है और दूसरी तरफ अपने कान में ठूंचे लगाये हुए हैं और आंखें भी बन्द करके रहना पड़ रहा है क्योंकि इस व्यवस्था के कारण, जो इस बजट में दी गई हैं, जहां हम जाते हैं, उसका रेस्पोन्स हमको ऐसा मिलता है कि जिससे प्रत्येक वर्ग, जो इस राजस्थान में रह रहा है, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वह कमाने वाला हो, चाहे मुफ्त का खाने वाला हो, चाहे शोषण करने वाला हो या शोषित किया जाने वाला हो आज हर एक व्यक्ति यह कह रहा है कि यह किस प्रकार का बजट है कि जिससे किसी को फायदा नहीं है, न तो इस शोषित वर्ग का फायदा है, न कोई शोषण करने वाला कहता है कि मुझे इससे फायदा

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हुआ है। हो सकता है, इसमें कुछ गलत-फहमी हो सकती है, समझने में कुछ अन्तर हो लेकिन हमको इस सदन के अन्दर यह देखना होगा कि बजट में संकेत क्या है और किस तरह से यह बजट हमारे सामने आया है। आज हमारे यहां इमरजेन्सी है, इमरजेन्सी का इस बजट पर कितना प्रभाव हुआ है, राज्य की आमदनी पर कितना प्रभाव हुआ है, खर्च पर कितना प्रभाव हुआ है और उससे इन आंकड़ों में जितना परिवर्तन होना चाहिए, वह हुआ है या नहीं हुआ है?

सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान में एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और वह बजट स्टडी के पेज ३ पर है जिसे देख कर हर एक का माथा कुछ ठनकता है। हो सकता है हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी का नहीं ठनकता हो लेकिन अगर इसको अच्छी तरह से गौर से पढ़ेंगे तो वे भी शायद इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह ऐसी चीज है, जिस पर गौर किये जाने की जरूरत है। आप पेज तीन का मुलाहिजा करें, १९५१-५२ में हमारी टैक्स रेवेन्यू ७२.५ थी और हमारे १९६३-६४ के बजट एस्टीमेटस में वह टैक्स रेवेन्यू ५८.० प्रट है। नान-टैक्स रेवेन्यू १९५१-५२ में २७.२ थी और १९६३-६४ में वह २२.२ है। क्या वजह है, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है क्योंकि आज के दिन जब कि हम बहुत जोर से कहते हैं कि हमारी नान-टैक्स रेवेन्यू इन्क्रीज होनी चाहिए तो नान-टैक्स रेवेन्यू का परसन्टेज बढ़ने के बजाय घटता हुआ क्यों चला जा रहा है? इसका क्या कारण है? इसके ऊपर, अब तक हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आप कहें हमारी टैक्स-रेवेन्यू ५८ रह गई है। बारह साल में हम ५८ पर आये हैं लेकिन नीचे ग्रान्ट-इन-एड में १९.८ मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि नान-टैक्स आमदनी बढ़ाने के बजाय ग्रान्ट-इन-एड के ऊपर ज्यादा डिपेन्ड कर रहे हैं और उसके होने की वजह से शायद हमारा ध्यान नान-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की ओर नहीं गया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह पर्सेन्टेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा और नान-टैक्स रेवेन्यू की ओर ध्यान ज्यादा से ज्यादा दिया जायगा। मैं इस बात को निवेदन करूंगा कि नान-टैक्स रेवेन्यू का पर्सेन्टेज २२.२ तक गिरा है, यह कम से कम इस साल, अगले साल ३० प्रतिशत के करीब होगा तो हम समझेंगे कि हमने कुछ तरक्की की है।

इसके साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर निवेदन करूंगा जो आमदनी के मुद्दे हैं और उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गत वर्ष इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया था और यह कहा गया था कि इन मुद्दों पर ध्यान दीजिये और जो पॉलिसी आप बना रहे हैं वह गलत पॉलिसी है। इस सरकार की घोषणा या पॉलिसी थी, उसके बारे में गत वर्ष माननीय सदस्यों ने इस सदन में बहस की थी कि जो एक्साइज में आप नीति अपना रहे हैं, एक्साइज के अन्दर जो गारन्टी सिस्टम अपना रहे हैं, उस गारण्टी सिस्टम को अपनाने से सरकार को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि सरकार को नुकसान होने वाला है। मैं आज भी दावे के साथ कह देता हूं कि इस गारंटी सिस्टम से बहुत कम आमदनी आने वाली है।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मैमोरंडम के आंकडे के हैडूस हैं उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं । पेज १४ पर जिसमें १९६१-६२ के लेखे में ३,७८,२७,६७३ रु० थे और इसके बजट एस्टीमेट में ४,५८,७५,००० रु० रक्खे गये थे और उसके बाद गारंटी सिस्टम के रिवाईज्ड एस्टीमेट रखे हैं ४,२५,८७,००० जब कि आपका बजट ऐस्टीमेट ४ करोड ५८ लाख का था । इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ३३ लाख की कमी हुई और ४ करोड ४४ लाख का अब आप ऐस्टीमेट रख रहे हैं । यदि आप इस आकडे को ४ करोड ४४ लाख का रखते हैं तो यह आपका ४ करोड ४४ लाख रुपया नहीं रहने वाला है । क्योंकि आमदनी इससे भी कम होगी ।

एक माननीय सदस्य : आमदनी कम क्यों होने वाली है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप जल्दी न करें मैं इस पर आता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, जो सिस्टम इन्ट्रोड्यूज किया है इसमें दरों का कहीं प्रावधान नहीं है । किस किस दर पर दुकान दी जावे । जिन दुकानों को फायदा हुआ उन्होंने उनको ऑफर भेज दिया और उनकी आमदनी स्थिर रही है । किसी ने दो लाख की गारंटी दी, जहां फायदे की जगह हुई वहां तो दो लाख रुपये रह गये और जहां २ उनको मुनाफा नहीं मिला और मुनाफे की अच्छी गुंजाइश नहीं थी वे दुकानें अब जाकर गारंटी वालों ने नहीं ली और अब भी आक्शन की जाने वाली हैं । इससे मैं यह कहूंगा कि सिर्फ ३।४ की रकम आने वाली हैं पूरी रकम वसूल नहीं होगी । १०० दुकानों में से २५ प्रतिशत तो दुकान वाले थे वे तो वहीं के वहीं रह गये और ७५ प्रतिशत जिनकी गारंटी भी उनको लोगों से एक्सैप्ट नहीं कर रहे हैं । बोलियां नहीं लगा रहे हैं । मेरे पास बूंदी की कई दुकानों की रिपोर्ट आई है कि वहां पर कोई बोली नहीं लगी है । कई जगह की निश्चित तौर से जानकारी है जिसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि गारंटी सिस्टम फेल होता जा रहा है इसमें लोगों को कान्फिडेंस की भावना खत्म हो गई है और वन-मैन मोनोपोली की भावना उत्पन्न हो गई है । इसमें डिस्टिंक्शन इतना ही है कि किसी को भी दुकान दी जा सकती है । मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अगर आपने अपनी जिद को नहीं छोडा तो सरकार को नुकसान होगा ।

इस बारे में सदन में इतने माननीय सदस्य बैठे हैं उनमें थोडी बहुत अक्ल है और जब वे आपसे कुछ कहते हैं तो आपको इससे थोडा बहुत फायदा उठाना चाहिये । यदि आप उठायेंगे तो इसमें ठीक होगा । ठीक है, आप कह सकते हैं कि पानी भी बिकता है और मिट्टी भी बिकती है । इससे स्टेट को ज्यादा फायदा होगा अगर वही सिस्टम रहता तो ४ करोड ४४ लाख से ५ करोड हो सकते हैं इसमें कोई शक नहीं । . . . .

एक माननीय सदस्य : That is not possible.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हो सकता है, मेरी समझ में फेर हो या मैं नहीं समझ सका हूं । जागीर रिज्यूम की गई और पहले साल में जागीर रिज्यूम की उसकी लैंड रेवेन्यू आई, the income was received from the Jagir resumed. उसकी आमदनी कैसे कम हो जाती है ? यह मेरी समझ में...

Page No.56

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

बाहर हैं। मैं बजट मेमोरेन्डम के पेज १४ पर ६१-६२ के लेखे में जो आमदनी दिखाई गई है उसकी तरफ ध्यान दिलाता हूं। वह ४,८३,६८,३४४ थी और ६२-६३ मे जो हमने अनुमान लगाये हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाऊंगा उसमें आप देखेंगे कि ४ करोड ४१ लाख ३५ हजार अनुमान रह जाता है और फिर रिवाइज्ड में ४,६४,०८,३५० रह गई और अब की साल में ४ करोड ६० लाख रही। मैंने एक्सप्लेनेशन तलाश करने की कोशिश की कि जागीर रिज्यूम हुई उस समय आमदनी ४ करोड ८३ लाख है, तो अब ४ करोड ६० लाख कैसे रह जाती है? मैं समझ नहीं पाया कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। यहां पर जो आंकड़े दिये हैं वे जागीरें रिज्यूम हुई हैं उनकी आमदनी के आधार पर ही दिये हुए हैं और उसका आधार एक ही रहेगा। यह हो सकता है कि सैटलमेन्ट के आधार पर ये किये गये हों, मगर यह बात नजर नहीं आती है। लेकिन हाल यह है कि जागीर रिज्यूम की गई और आमदनी अब कम क्यों होती है इसमें अन्तर २३ लाख रुपयों का रह जाता है। यह क्यों?

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष, इस बजट पर नजर दौड़ाने से इसमें पता नहीं लगता कि इसमें बजट ऐस्टीमेट रखा है उसमें इस बात का भी ध्यान रखा है या नहीं कि सैन्ट्रल के टैक्स में से हमारा जो हिस्सा आने वाला है और सैन्ट्रल टैक्सेज बढ़े हैं और काफी तादाद में बढ़े हैं उसमें हमारा शेयर कितने करोड और लाख का इन्क्रीज हुआ। हमने घाटे का बजट तो दिखा दिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस अनुपात से सैन्ट्रल के टैक्सेज बढ़े हैं उस हिसाब से करोड़ों का फर्क होना चाहिये। लेकिन इस बजट में कोई चर्चा नहीं है अब तक आय का तो हिसाब लगा लिया सेल्स टैक्स, या सैन्ट्रल एक्साइज टैक्स से होने वाली आमदनी है उसका हिसाब आपने लगा लिया। बडी २ आमदनी के जरियें हैं, जो इन्कम टैक्स के हेड हैं, उसमें जुडते हैं व इसमें कहीं नहीं दिखते। आया वे लिए गये हैं या नहीं? इसी तरह से और भी छोटी मोटी बातें हैं; जैसे कि मैंने अपने पहले भाषण में बताया कि आये दिन आप इकानामी करने वाले हैं और वह इकानामी काफी हद तक सफल हुई है। एक करोड की इकानामी कर पायेंगे इससे तो ज्यादा इकोनोमी करें तो हमें फायदा है।

मुझे जो सिविल डिफेन्स, एमर्जेन्सी का असर इस बजट पर मालूम पडता है एक चीज के अलावा कहीं कुछ नहीं मालूम पडता। ७४.४४ लाख पुलिस और सिविल डिफेन्स पर ज्यादा खर्च हुआ तो ७४.४४ लाख को लास्ट ईयर में जोड दीजिये और मुनासिब लोगों की तरक्की की है, रोज मर्रा के खर्चों में, एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ की सेलेरीज हैं, इसमें जोड दीजिये तो एक डेढ करोड यह बढ जाता है। लास्ट ईयर की इन्कम और एक्सपेन्डीचर को देखते हैं तो इन्कम तो ज्यादा होनी ही चाहिये क्योंकि टैक्सेज से इन्कम हुई है, तो इस तरह यह सारा का सारा बजट बेलेंस हो जाता है। फिर कौनसी आवश्यकता पडती है कि इस आय के लिये आगे टैक्सेज का लगाना प्रपोज करें। शायद हम लोगों में समझाने का तरीका यह हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सेज लगाने से आमदनी बढ़ती है तो हमेशा के लिये टैक्सेज कायम रह जायेंगे और आइन्दा टैक्सेज लगाने की जरूरत नहीं पडेगी। आमदनी तो हो जायगी कुछ लोग थोडे दिन चिल्ला लेंगे और बैठ

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
जायेंगे पर यह भूलना नहीं चाहिये कि पब्लिक ओपीनियन किस तरफ जाती है और उसका हम पर क्या असर पडता है । हो सकता है, कुछ लोग हमारे में इसकी परवाह नहीं करते हों पर जो व्यक्ति जमीन पर चलते हैं, लोगों से सम्पर्क रखते हैं वे जानते हैं कि पब्लिक ओपिनियन क्या है· · · ·

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : सभी व्यक्ति जमीन पर चलते हैं, जमीन से ऊपर कौन चलते हैं, जरा बताने की कृपा करें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ऊपर हवाई जहाज में भी चलते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक उद्देश्य के माफिक हम आगे चलते हैं । यदि हमारा उद्देश्य यह बनता है कि आमदनी के स्त्रोतों को बढा कर आगे बढना है तो उसी तरह बढते हैं और यदि इस तरफ ध्यान चलता है कि टैक्स लगा कर आमदनी बढा लेंगे, पहले भी ऐसा करते आये हैं तो इसमें क्या हर्ज है और टैक्सेज लगा लें । तो मैं निवेदन करूंगा कि हर व्यक्ति को जरूरत के माफिक दें :

To each according to his need and from each according to his necessity. तो क्या हम उनकी जरूरतों को, जिनको जरूरत है, पूरी कर रहे हैं और क्या लोगों की केपेसिटी, जिनसे हम लेना चाहते हैं, इस प्रकार बढ गई है कि हम उनसे ले सकते हैं? आज तक हम इस बात का नारा लगाते रहे कि किसानों की हालत वदतर रही है, शोषण होता रहा है। बापू ने किसानों की बहबूदी का, ग्राम आजादी का नारा दिया हमें बताया कि जितने पूंजीवादी हिन्दुस्तान के हैं वे हमारे ट्रस्टीज हैं, उनका पैसा हमारे काम में आयेगा तो उस ट्रस्ट-मनी को वापिस ले रहे हैं या नहीं, जो इन गरीबों के लिये खर्च करना चाहते हैं वह इन गरीबों के लिये ही खर्च कर रहे हैं या नहीं या जो इन गरीबों पर खर्च करते हैं वह इन्हीं गरीबों से ले रहे हैं ?

आज राजस्थान का कोई व्यक्ति इन टैक्सेज से नहीं छूटा है । जो गरीब भील, जिसके पास एक बीघा भी जमीन नहीं, जो मजदूरी कर के दुकान पर जा कर चार आने का बाजरा खरीदता है, मक्का या जवार खरीद कर लाता है , उसको भी इस बाजरा, जवार मक्का के लिये देना पडता है, तो कोई व्यक्ति इससे बचा नहीं है । एक व्यक्ति जिसके पास एक दो बीघा जमीन है, उससे वह गुजर करता है तो उससे भी शुरू कर दिया है कि २५ प्रतिशत ज्यादा लेंगे, चाहे एक बीघा ही जमीन हो । तो, अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता अगर टैक्स लगाना था तो ५० एकड से ज्यादा जमीनें जिनके पास हैं उनका ५० प्रतिशत बढाया है तो इस ५० प्रतिशत की जगह शत प्रतिशत बढा देते, यह समाजवाद का तरीका समझ में आ सकता था। पर जिसके पास एक एकड, १० एकड जमीन है, उसको भी आप नहीं छोडना चाहते तो आप किस उद्देश्य की तरफ बढना चाहते हैं, क्या बात सोची है आपने ? यह समझ के बाहर है । हो सकता है कि यह बात औरों की समझ के बाहर हो, वित्त मंत्रीजी की समझ में आती हो तो समझायें, इसमें क्या जस्टिस है कि १० एकड पर, एक एकड पर लगान की वृद्धि करना चाहते हैं ।

राजस्थान में जो बन्दोबस्त हुए उनका नक्शा कभी आपके सामने आया है कि जयपुर

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

स्टेट में किस तरह बन्दोबस्त हुआ, कोटा में बन्दोबस्त कैसे हुआ था, मेवाड में बन्दोबस्त किस तरह से हुआ था और किसी और पुरानी स्टेट में बन्दोबस्त कैसे हुआ था, किस तरह पुरानी स्टेटों में लगान मुकर्रर हुआ था ? उनको देखेंगे तो पता चलेगा कि १६ रुपया एक बीघा पर लगान है, कहीं ६ आना है, कहीं ८ आना, कहीं १२ आना, रुपया और सवा रुपया है। १२ रुपया फी बीघा से चाही जमीन का कहीं नहीं है । जब लगान की दरें बन्दोबस्त के वक्त मुकर्रर हुई उस वक्त इस तरह का कन्सीडरेशन नहीं था कि पर्सेंटेज पर लेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपकी घंटी बजी है, इसलिये थोडे थोडे पोइन्ट आपकी और इस सदन की सेवा में रखना चाहता हूं ।

मैं सदन का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । हमने राजस्थान का विकास किया है, राजस्थान के विकास के लिये फैक्ट्रीज बन रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, बडे बडे उद्योगपतियों को हमारी तरफ से रियायतें दी गई हैं, हमारी जो एक्चुअल कोस्ट बिजली पर पडती है उससे भी कम रेट पर बिजली दे रहे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है ? एमरजेंन्सी के टाइम पर क्या आप उन रियायतों को वापिस नहीं ले सकते ? मैं इस बात को मानता हूं कि रियायतें दी जायं पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपनी जेब में से खर्च करके रियायतें दी जायं । हमारी एक्च्युअल कोस्ट से नीचे की रेट जिनसे ली जाती है वह रियायत वाजिब नहीं है ।

मैं वाइन शोप्स का जिक्र कर रहा था । एक तरफ तो गारन्टी देशी शराब के लिये है दूसरी तरफ इजाजत देते जाते हैं देशी के अलावा विदेशी शराब की दुकानें खोलने की । पहले केबिनेट ने फैसला किया था कि कोई एक्स्ट्रा दुकानें नहीं दी जायंगी । क्यों नहीं इनका ऑक्शन किया जाता ? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इन दुकानों को नीलाम नहीं किया जाता । गारन्टी सिस्टम के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी गारन्टी एक दो लाख की है, ऐसे आदमी मौजूद हैं जो कहते हैं कि हम ५० हजार और देना चाहते हैं, तो क्या बात है कि एक लाख के ऊपर ५० हजार की ओफर नहीं लेते ?

एडमिनिस्ट्रेटिव एफशियेन्सी का जिक्र किया गया कि यदि ज्यादा इकानामिक-कट करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफशियेन्सी मिट जायगी । मैं समझता हूं कि इस सदन की एस्टीमेट्स कमेटी लगातार बैठकें करती है और रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करती है, वह बडी मेहनत के बाद रिपोर्ट्स प्रस्तुत करती है । मुझे तो ऐसा लगा कि अगर बजट बनाते समय एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिशों पर गौर कर लिया जाता और एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिशों के अनुसार इकानामी की जाती तो इससे ज्यादा इकानामी हो सकती थी, हम अपने खर्च में कमी कर सकते थे ।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने बिजनेस कन्सर्न्स के लिये आज तक कोई कमेटी मुकर्रर नहीं कर पाये हैं । यह ठीक है कि इस साल के बजट में सबके अलग बजट आ रहे हैं । सरकारी उद्योगों के अलग आंकडे पेश किये हुए हैं वित्त मंत्रीजी द्वारा । पर इनको किस तरह चलाया जाना चाहिये, सदन में मैंने गत वर्ष भी कहा था कि सरकारी उद्योग हैं इनके बारे में सदन को विश्वास में लीजिये

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)
ताकि हकीकत को मालूम कर सकें कि उद्योग अच्छी तरह चल रहे हैं, आपका एड्मिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि आपके जो अधिकार हैं उनमें कोई किसी तरह की कटौती नहीं चाहते हैं।

ट्रान्सपोर्ट के लिए एक बहुत बडा प्लॉट ३॥ लाख रुपये में खरीदा गया जिसमें आपका गैराज है। इसी तरह जोधपुर में कोई घर किराये पर लिया गया जहां ये मोटरें रहती हैं। यदि इसके सम्बन्ध में कोई कमेटी होती, कोई उसका उस पर नियंत्रण होता तो मालूम होता कि यह कहां तक वाजिब है। अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट या सरकार से जमीन नहीं मिल सकती थी कि जहां ये मोटरें रह सकती थीं कि जिसके लिए ३॥ लाख रुपया खर्च किया गया। ऐसे भारी भरकम खर्चे को कम करना चाहिये। कमेटियां बनती हैं। मेरा भी नाम था कमेटी में। लेकिन साल भर हो गया है अब तक को पता ही नहीं है और एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह तो खत्म भी हो गई।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर): कहावत है, "जहां जहां पांव पडे सन्तन के तहं तहं बंटाधार।"

सुन्दर शर्मा: तो, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना यह है कि जो टैक्सेज केपेसिटी से बाहर लगाये गये हैं जिनमें सेल्स टैक्स जवार, बाजरा और सीरियल्स पर लगाये गये हैं उनकी मैं आवश्यकता नहीं मानता। इसके अलावा आप चाहते हैं तो बहुत ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिन , टैक्स लगा सकते हैं और ऐसे लोगों पर लगा सकते हैं जो उनका भार वहन कर सकते हैं। जो लैंड रेवेन्यू इन्क्रीज किया है मैं उसकी गुन्जाइश नहीं मानता। आवश्यकता ही है तो पचास एकड से अधिक हो उनके ऊपर बढा दिया जाय, किसी को एतराज नहीं होगा।

नान-रेकरिंग एक्स्पेन्डीचर को अगले साल के लिए टाला जा सकता है, सारे महकमों में कमी की जा सकती है। इस साल इसको खत्म कर दीजिये। नान-प्रोडक्टिव एक्स्पेन्डीचर को भी खत्म कर दीजिये उससे भी काफी फर्क पडने वाला है। लेकिन हम क्यों कमी करें? हमारे पास अच्छी टेबल होनी चाहिये। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक दफ्तर में १७००) की मिटिंग-टेबल खरीदी गई।

एक माननीय सदस्य: कौन से दफ्तर में?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: यह मुझे भी नहीं मालूम रहा। शायद किसी हायर सेकेन्डरी स्कूल की है या किसी की है।

इकानामी के लिए बात कहूंगा। किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ करेंगे। आज के दिन ऐसी सडकें हैं जिनकी आज हमको कोई आवश्यकता नहीं है, उनको बन्द कर दें। जोधपुर से बिलाडा जाते हैं तो मेन रोड बनती देखी। बडा तेजी से काम हो रहा था। आज इस समय एक दूसरी को ज्वाइन करने वाली सडकों की आवश्यकता नहीं है और यदि इस प्रकार के कामों को बन्द कर दिया जाय तो कोई बाधा नहीं पडती है। एमर्जेन्सी से वैसे ही लोग पीडित हैं। दाम अलग बढते जा रहे हैं, स्टेन्डर्ड गिरता जा रहा है। ४२ रु० एक बाबू टैक्स देता था अब उसको २०० रु० और अधिक देना पडेगा। इसलिए बगैर टैक्स लगाये काम करने की आवश्यकता है।

कई माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह ।

रावल श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा) : माननीय वित्त मंत्री जी ने ६३-६४ का बजट प्रस्तुत किया है । भारी टैक्स लगाये हैं . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई: सुनाई नहीं दे रहा है ।

रावल श्री अमरसिंह जासोल : यह एक्स्प्लेनेशन दिया कि चीन का आक्रमण हो गया है और देश को धन की आवश्यकता है ।

(अश्रव्य)

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): सुनने के बाद भी क्या भला करने वाले हैं ?

रावल श्री अमरसिंह जासोल : माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इस बात का संकेत किया है कि चीनी आक्रमण के फलस्वरूप, संकटकालीन परिस्थिति होने के कारण कई एक करों को बढाया जाना अनिवार्य है, इस कारण ४ करोड के टैक्सों में, करों में वृद्धि की गई। माननीय वित्त मंत्री ने संकेत किया है कि इसका एक नतीजा यह होगा कि इस संकटकाल का सामना करने के लिए तन, मन, धन अर्पण करने के लिए तैयार होंगे ।

माननीय अध्यक्षजी, यह बात निर्विवाद सत्य है कि जहां किसी स्थिति का सामना करना पडता है और देश के शासन को चलाना पडता है तो कर अनिवार्य होते हैं। साथ ही कर लगाने के अन्दर एक डिस्क्रीशन की अत्यन्त आवश्यकता रहती है । समाज का कौन सा तबका किस हद तक कर बरदास्त कर सकेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए करों का निर्णय करना आवश्यक है और साथ ही यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि जो कर इतनी सख्ती से जनता से वसूल किये जाते हैं उन करों का सदुपयोग हो और कम से कम लीकेज के साथ और ज्यादा से ज्यादा किफायत के साथ सरकारी पैसे का उपयोग किया जाय । अध्यक्ष महोदय, खेद के साथ कहना पडता है कि आज के बजट में इन दोनों बातों का अभाव प्रतीत होता है ।

(२.०५ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय वित्त मंत्री ने लैंड रेवेन्यू बढाने की तजवीज पेश की और काश्तकार की आमदनी या अनाज पर २ पर्सेन्ट कर लगाने की तजवीज है उसमें यह बात बिल्कुल भूल गये कि आज राजस्थान में काश्तकार की माली हालत क्या है। कल ही मैंने पाटिल साहब का भाषण सुना । मुख्य मंत्रीजी भी उस समय मौजूद थे लेकिन खेद है कि वित्त मंत्री उस समय वहां नहीं थे । उन्होंने अपने भाषण में बताया कि भारत और खास कर राजस्थान कृषि प्रधान देश है । काश्तकार देश की इकानामी की बैकबोन है इसलिए काश्तकार को प्रोत्साहन देना और काश्तकार के जीवन को बनाये रखना, यह हर एक गवर्नमेन्ट का परम कर्तव्य होता है । इसके साथ वे जिस बात को भूलते हैं, काश्तकारों की परिस्थिति पहले से बहतर नहीं हुई है जिससे वे करों की स्थिति बरदाश्त कर सकें । काश्तकार बडी मुश्किल में है, हैंड टू माउथ है, उस परिस्थिति में रह रहा है और इस परिस्थिति में अगर काश्तकार के लैंड रेवेन्यू, राजस्व-कर में वृद्धि की जाय तो करीब करीब काश्तकार की बैकबोन को तोडते हैं। इस प्रकार जो २ पर्सेन्ट कर सीरियल्स पर या अन्न पर लगाये गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि यह सर्वथा अनुचित है। यह समझ

(रावल श्री अमरसिंह जासोल)

में नहीं आता कि इसका कौन फायदा उठावेगा, किस तरह वसूल किया जावेगा ? लेकिन एक बात है कि काश्तकारों को भी एक हद तक असुविधा पैदा हो जायगी। किस तरह से और किस जगह किस व्यक्ति से यह टैक्स वसूल किया जावेगा। काश्तकार अपना अन्न लेकर बाजार में आता है तो उससे कर लिया जावेगा या व्यापारी से यह लिया जावेगा अथवा जो खरीददार है उससे भी दुबारा वसूल किया जावेगा ?

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : There is no quorum in the House.

श्री उपाध्यक्ष : There is quorum.

श्री निरंजन नाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : We all Comprise the quorum.

रावल श्री अमरसिंह जासोल: इसके साथ ही दूसरे जो टैक्स लगाये गये हैं वे इस खेती को प्रोत्साहन देने के बजाय उसको हतोत्साहित करने वाले टैक्स हैं। डीजल ऑइल पर टैक्स लगा दिया, केरोसीन ऑइल पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स लगा दिया। जहां तक पेट्रोल पर टैक्स का सवाल है मैं इसका अपोजिशन नहीं करूंगा। परन्तु डिजल ऑइल, क्रूड ऑइल या तो जहां पर पम्प्स लगे हैं वहां मशीनों को चलाने के लिए काम में आता है, यातायात के लिए काम में आता है, मोटर वगैरह को चलाने के काम में आता है या व्यापार को तरक्की देने के लिए काम में आता है। इसके ऊपर यह कर लगाने से व्यापार में बडी क्षति होगी और यातायात में असुविधा पैदा होगी इसलिए जो ये कर लगाये हैं वे अवांछनीय हैं।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, ट्रैक्टर्स के ऊपर हमारी सरकार ने सैल्स टैक्स बढा दिया। एक तरफ तो हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खेती की पैदावार बढायी जाय और उस पैदावार को बढाने के लिए ट्रैक्टर का उपलब्ध होना अनिवार्य नहीं तो उपयोगी अवश्य है। और गंगानगर क्षेत्र में खास कर, जहां ट्रैक्टर्स बहुत काम में आते हैं और ट्रैक्टर्स के बिना खेती के अन्दर हानि होगी वहां फिर ट्रैक्टर को डिस्करेज करना और मंहगा बना देना और खेती के काम में उनका ज्यादा उपयोग न होने देना यह मैं समझता हूं, कि ग्रो मोर फूड कैम्पेन में बाधक होगा।

इस खेती की पैदावार और लैंड रेवेन्यू की कर-वृद्धि के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके द्वारा सदन के सम्मुख रखना चाहूंगा और वह यह है कि जो टैक्स नान-कल्टीवेटिंग क्लास इस समय नहीं दे रही है यानी गैर काश्तकार आदमी, जब तक उसकी आमदनी ३६०० सालाना नहीं होती है, वह किसी प्रकार का टैक्स नहीं देता है और काश्तकार ऐसा आदमी है जिसकी ५००) सालाना आमदनी हो सकती है उसको राजस्व-कर तो देना ही पडता है। यहां पर भी काश्तकार बमुकाबले दूसरे व्यक्ति के एक तरह घाटे में रहता है। ऐसी हालत में काश्तकार की जब परिस्थिति किसी हालत में सुधरी नहीं है, पर-कैपिटा सेन्ट्रल टैक्स ७) प्रतिशत भी दे रहा है उसके ऊपर ७ से अधिक २ परसेन्ट सीरियल में टैक्स लगाना जो कि काश्तकार पर ही आकर पडता है तो एक गैर काश्तकार के मुकाबले एक काश्तकार पर ९) पर कैपिटा लगान आ पडता है जिसके लिए हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं पाते हैं। यह लगान दूसरे मुल्कों के मुकाबले में पर-कैपिटा टैक्स राजस्थान का देखा जाय तो ज्यादा पडता है

Page No.62

(रावल श्री अमरसिंह जासोल)

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व-कर और सीरियल्स पर टैक्स लगाया गया है, कैरोसीन पर टैक्स लगाया गया है, डीजल ऑइल पर टैक्स लगाया गया है, ट्रैक्टर्स पर टैक्स लगाया गया है—उसको सर्वथा हटा दिया जाय ताकि राजस्थान की जो गरीब जनता है उसका जीवन कुछ सुविधामय बने।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं उन विषयों पर चर्चा करूंगा जो एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखने वाले हैं। एग्रीकल्चर का महकमा ही आप लीजिये। इसके अन्दर तीन करोड से अधिक के खर्चे का बजट है। यह हम लोग महसूस करते हैं कि जो डाइरेक्टिव और गाइडेन्स एग्रीकल्चरिस्ट्स को मिलने चाहियें और जनता को एग्रीकल्चर से जितना लाभ होना चाहियें वह इस समय नहीं हो रहा है। एक बात हम देखें कि मौजूदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का एक काम है जिसके ऊपर वे जोर देते हैं कि फर्टीलाइजर को पापुलेराइज करना है। साइल का बगैर क्लासिफिकेशन करायें, कौन से खाद की किस जमीन में आवश्यकता है—इस बात को ध्यान में न रखते हुए एक अन्दाज से फर्टीलाइजर वहां यूज करने से संभावना है कि जमीन की प्राडक्टिविटी एडवर्स हो और इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। साथ ही दूसरा कोई उपाय इस समय ऐसी तजबीज में नहीं लाये कि जिससे हम यह देखें कि थोडी से थोडी जमीन में ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने का तरीका ढूंढा हो या कार्यान्वित किया हो। इसलिए आवश्यकता है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर एक फसली एरिया है और सिंचाई के दूसरे साधन नहीं है, आवश्यकता है कि गर्मी के मौसम में इस जमीन को खेड दी जाय तो आगे की फसल अच्छी हो सकती है। हर एक पंचायत समिति के अन्दर और खास कर वह जगह जहां जमीन सख्त है, ट्रैक्टर रख दिया जाय और काश्तकारो को वह किराये पर दे दिया जावे तो टैक्टर की कीमत भी वसूल हो जायगी और लोग खुशी से किराये पर ट्रैक्टर ले जाकर गर्मी में जमीन खेडेंगे जिससे आयन्दा आने वाली साख अच्छी हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जायगा।

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय.

रावल श्री अमरसिंह जासोल : मैं बोल रहा हूं।

सिंचाई के बारे में मैं निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, जहां पानी की बहुतायत है वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जायं। जहां पर बेरे मौजूद हैं उनको गहरा करवाया जाय और उसके लिये बोरिंग मशीन उपलब्ध की जावे ताकि सिंचाई अच्छी हो सके। और ज्यादा जमीन सिंचाई के अन्दर काम में आ सकेगी। मेरी यह गुजारिश है कि जहां पर बेरे हैं, पानी मिलने की संभावना है वहां पर ट्यूब वैल्स खुदवाये जाकर लोगों के लिये सिंचाई के साधन जरूर उपलब्ध करें।

इसके साथ साथ विद्युतिकरण के लिये भी हमें ध्यान देना होगा। इसके लिये थरमल प्लान्ट लगाये जायें। दो फसली एरिया के अन्दर चीप इलैक्ट्रिक पावर मिल जाय, पम्पिग सैट लग जाय ताकि काश्तकारों की हालत अच्छी हो सके। इस बात का सन्तोष है कि हमारे बजट के अन्दर करीब दो करोड का प्रावीजन एग्रीकल्चर और रूरल वाटर सप्लाई के लिये रखा गया है। इससे कुए बोरि

(रावल श्री अमरसिंह जासोल)

करवाये जांय और जहां बेरे नहीं हैं वहां बेरे खुद वाये जायं और जहां पर बेरे हैं उनको गहरे करवाये जांय और नये ट्यूब वेल्स का प्रयोग खाली जमीन पर किया जाय। मैं आशा करता हूं कि इस फंड को सुचारु रूप से काम में लावेंगे खास तौर से मेरी अपील मुख्य मन्त्री महोदय से इस बात की है कि जो पिछडा हुआ इलाका है आज दिन तक जो नेगलेक्टेड रहा है उस पिछडे हुए इलाके के अन्दर विशेष ध्यान दें ताकि डवलपमेन्ट टोप साईडेड न होकर इवन और स्मूथ डवलपमेन्ट हो। अगर पिछडे हुए इलाके के साधन पिछडे रहे तो वहां की जनता की उन्नति नहीं हो सकेगी। इसलिये जो भी साधन उपलब्ध हों उनसे डवलपमेन्ट आफ लैन्ड किया जाय। जो पिछडा हुआ इलाका है उसका भी डवलपमेन्ट उस हद तक करिये जिस प्रकार का डवलपमेन्ट का माप दन्ड हम दूसरे इलाकों के लिये रख रहे हैं। जिससे अनुमान लगाया जा सके कि हमने किस हद तक डवलपमेन्ट किया है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिस जगह मितव्ययता की आवश्यकता है उस तरफ भी सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये। डवलपमेन्ट प्राजेक्ट्स हैं, पंचायत समितियां हैं उस ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस विकेन्द्रीकरण को, इस पंचायती राज को हुए करीब पांच वर्ष का अर्सा हो गया, जहां तक मैं समझ पाया हूं इसका मकसद था गांवों के अन्दर विलेज लीडरशिप पैदा करना। यह लीडरशिप खास तौर से पैदा न होकर जगह जगह वैमनस्यता अवश्य फैल गई है। जो फन्ड्स सहकारी समितियों को दिये जाते हैं उनका भी सदुपयोग होता हो, यह नजर नहीं आता। इस पर भी नियन्त्रण होना आवश्यक है। अनुमान यह पाया जाता है कि इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जितने भी तकावी लोन्स और अन्य प्रकार के लोन्स दिये जाते हैं वे जिस काम के लिये दिये जाते हैं उनका प्रयोग उन कामों में नहीं होता है, इसका कोई नियन्त्रण नहीं है। अनुमन देखा जाता है कि जिस काम के लिये फन्ड दिया गया है वह उस काम में न लिया जाकर दूसरे कामों में लिया जाता है जिससे पब्लिक-मनी का बडा दुरुपयोग होता है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष: Let him finish. He is still standing.

रावल श्री अमरसिंह जासोल: यह मैं समझता हूं इस के अन्दर भी जांच कमेटी होना अनिवार्य है, जो इसके बारे में रिपोर्ट करे। अगर इसके लिए राजस्थान की पांच सलेक्टेड समितियां ली जायें, बडा इन्ट्रस्टिंग डेटा आपको प्राप्त होगा, यह मैं मानता हूं। यह मेरा सुझाव है कि जांच कमेटी आवश्यक है; इसके अन्दर एक जुडिशियल आफिसर का होना आवश्यक है।

दूसरा आइटम है हमारा कापरेटिव सोसाइटीज का। यह सर्वविदित सत्य है कि हमारे यहां अभी तक कापरेटिव स्प्रिट नहीं आयी है। कोई भी ऐसी को-आपरेटिव सोसाईटी नहीं है जो सुचारु रूप से फंक्शन करती हो। इस हालत में केवल को-आपरेटिव सोसाइटीज का नम्बर बढाने की कोशिश करे। बेहतर यह होगा कि जो नम्बर इस वक्त है उन्हीं पर नियन्त्रण रखकर अच्छी

(रावल श्री अमरसिंह जासोल)
तरह से गाइड करके उन्हीं को सक्सेसफुल बनाना बहुत जरूरी है। को-आपरेटिव सोसाइटीज में ज्यादातर पैसे का मिसयूज हुआ है। इसके अन्दर फन्ड्स ज्यादा न देकर इस पर बराबर कन्ट्रोल रखना चाहिये और आज दिन तक जो उनमें बकाया पडी है उसको वसूल करना आवश्यक है। यह भी देखा गया है कि बहुत सी जगहों पर सरपंच तरह तरह के को-आपरेटिव लोन्स देते हैं चाहे उस काम में वे लायें या नहीं आज उनको वापिस वसूल करना दुश्वार हो गया है। आसोतरा के सरपंच ने को-आपरेटिव और दूसरी संस्थाओं से रुपया लेकर इस प्रकार बांट दिया जिसकी वसूली का काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय इस बात की कोशिश करें, यह क्यों वसूल नहीं हो रहा है वैसी हालत में उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाडा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज १९६३-६४ के बजट पर बहस होते हुए तीसरा दिन है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पार्टीज को जो टाइम अलॉट किया गया है उसके अनुसार पार्टी व्हिप से नाम ले लिये जायं ताकि सबको समय मिलने की गारन्टी हो जाय और उसी हिसाब से मेम्बर खडे होते रहें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं करीब करीब उसी लिस्ट के आधार पर नाम बोल रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिन्द) : दो दिन से मैंने नाम दे रखा है अभी तक बारी नहीं आयी।

श्री उपाध्यक्ष : Order, order !

श्री रविशंकर याज्ञनिक : उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस के दौरान में विरोधी पक्ष के सदस्यों ने बातें कहीं जिनको सुनने का मौका मिला। गत वर्ष भी वे लोग, जब टैक्सेज के लगने का सवाल आया, इसी तरह की बातें करते रहे। उन लोगों के भाषण का एक ही तरीका है चाहे टैक्सेज अच्छे हों या बुरे-सबकी आलोचना करना। यह उनकी आदत पड गई है कि वे उन टैक्सेज की बुराई करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी पृष्ठभूमि में यह कहूंगा कि जिस वक्त चुनाव हुए उस समय उन्होंने एक ही नारा लगाया और वह यह कि अगर वे सरकार में पहुच गये तो टैक्स नहीं लगायेंगे। इसका एक कारण था और वह यह कि उनकी पार्टी के पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, विकास का प्रोग्राम नहीं था जिसको जनता के आगे रखकर वे जनता से वोट मांगते। वे आज भी इसी तरह से प्रजा को गुमराह कर रहे हैं। जब कोई शासन विकास के काम करता है तो उसके लिये टैक्स भी लगाने पडते हैं। जब कांग्रेस सरकार इतनी बडी योजनायें भाखरा जैसे बांध बना रही है, जिसको एकदम पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसे ऐसे बांधों के बनने में चार-पांच साल लग जाते हैं, उसके बाद उससे लाभ मिलने लगता है। आखिर कुछ उन्हें काम करना होता तो वे जनता के सामने अपना प्रोग्राम रखते। जब जब टैक्सेज का सवाल आता है उनका विरोध होता है यह तो उनकी आदत में शुमार हो गया है।

किन्हीं किन्हीं सदस्यों ने तो यहां तक कह दिया कि स्कूलें न खोली जावें। यह कौनसा तरीका है ? कहा गया, जहां एक-दो ही बच्चे

Page No.65

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

हैं स्कूल में वहां उसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है आपका कहना; पर आपको हमारे यहां की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। जनता वहां की पिछडी है, वह कभी पढी नहीं। अगर वहां स्कूल नहीं खोलेंगे तो उनकी आदत नहीं पडेगी। धीरे धीरे आदत पडने पर काफी बच्चे आ जावेंगे। जहां आज दो हैं वहां दस होंगे, बीस होंगे, पचास होंगे और सौ भी हो जावेंगे। पर अगर आज दो-चार लडकों को देख कर ही बन्द कर दिया तो वे लोग अज्ञानी और निरक्षर ही पडे रहेंगे। इसमें मेरा यह मानना है कि वे शायद यह सोचते हैं कि इस तरह से जनता को अज्ञान में रक्खेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो जागृति हो जाने पर उनकी पोल पाल की बातें नहीं चलेंगी। विरोधी पक्ष वालों के जितने तरीके हैं, बेकार हैं, जनता को गुमराह करने वाले हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उनकी इन बेकार की बातों में वह नहीं आवे। यह ख्याल रक्खे सरकार कि वे बहुरुपिये हैं। अपने बहु-रुपियेपन से जनता को भुलावे में रखना चाहते हैं। मुझे एक बात याद आती है। हमारे यहां की एक कहावत है कि "मास्टर मारे नी वे भणाने नी"। अगर एक फैमिली का बडा आदमी है, वह कमावेगा नहीं तो खिलावेगा क्या घर को? तो अगर हम कुछ योजनाएं चलावेंगे नहीं तो आखिर हमारी जागृति कैसे होगी? तरक्की कैसे होगी?

आज सदियों बाद हमारा देश स्वतन्त्र हुआ है। देश की गरीबी हमें अब दूर करनी है, इसके लिये जरूरी है कि विकास की योजनाएं चलें। इसके लिये समय भी लगेगा और पैसा भी। आज संकटकाल की स्थिति में हमारी जिम्मेदारी और बढ जाती है। हमें दुगने जोर से और अधिक त्याग करके भी अपनी योजनाओं को पूरा करना है। लेकिन जब वित्त मन्त्री ने बजट रखा तो घाटे का रखा। अकसर घाटे का बजट अच्छा होता है और शुभ होता है, लेकिन मैं ने जब यह बजट देखा तो मुझे कुछ लक्षण ठीक नजर नहीं आये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : बस। आ गये रास्ते पर। इतना जल्दी ही।

श्री रविशंकर याज्ञनिक: डवलपमेन्ट के लिये त्याग और पैसे की मांग की होती तो ठीक बात होती पर बात क्या है? बात दूसरी है। हमारे यहा जो ३३८ करोड की प्लान थी उसे कम कर दिया गया है। ३० करोड की कटौती करदी गई है। इसके बाद भी अब कह रहे हैं कि टैक्स दो, तो मेरा निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह मामला क्या है? हमने लोगों को एक आश्वासन दिया था कि देश में समाज वाद लाया जावेगा। उस के लिये योजनाएं बनीं। प्रसन्नता हुई, आशा बन्धी कि इन के द्वारा देश की जनता में खुशहाली आवेगी। योजनाओं के लिये पैसा मांगते तो हम खुशी से देते, पर योजनाएं तो काट दीं, कम कर दीं। पर जो इस वक्त टैक्स वित्त मन्त्री ने प्रस्तावित किये हैं वे लगान पर, आनाज पर किये हैं। वे विकास के लिये नहीं किन्तु अधिक बढते हुए प्रशासनिक खर्च के लिए लगाये हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि हम समाजवाद को लाने के बदले साम्यवाद, पूंजीवाद ला रहे हैं।

आज से दस वर्ष पहले गरीब और अमीर के बीच जो अन्तर था वह १ और १२० था आज वह १ और ३०० हो गया है। और यही हालत रही तो और भी बढ सकता है।

(श्री रविशंकर **याज्ञनिक**)

अगर यही हमारा समाजवाद है, यही समाजवादी तरीके का टैक्स लगाने का फल है तो हम कहां जावेंगे, कहां जाकर टिकेंगे, मैं नहीं कह सकता।

टैक्स आप जरूर लगावें, मैं इनके विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन टैक्स ऐसे लगने चाहिये जिससे गरीब और अमीर के बीच की खाई दूर हो, बढे नहीं। पर आज की स्थिति में टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। जितने टैक्स से आप को जितनी रकम की आशा है, उतनी रकम तो सरकार आसानी से वैसे ही थोडा ध्यान से देखे तो अपनी फिजूल खर्चियां कम करके बचा सकती है। आप अपनी फिजूल-खर्ची, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और भाई-भतीजावाद दूर करें, मिटा दें तो मेरी मान्यता है, उपाध्यक्ष महोदय कि सिर्फ इसी से हम अपना घाटा ही नहीं पूरा कर लेंगे बल्कि चार-पांच करोड ज्यादा मिल सकता है और इससे हमने जो अपने प्लान में कटौती की है वह नहीं करनी पडेगी। खर्चे को कम करने के बारे में मेरा सुझाव है आप विकास अधिकारियों का काम तहसीलदार को सौंप दें। विकास अधिकारियों का कोई अधिक काम नहीं है, वह काम आसानी से तहसीलदार पूरा कर सकता है और इस तरह से इनकी तनख्वाहों का १५ लाख रुपया बचाया जा सकता है।

इसी तरह से गांवों में नम्बरदार—पटैल हैं, इनका काम सिर्फ पटवारी से पैसा बंटवाना और गिनना है, हालांकि पैसा भी दूसरे गिनते हैं, तो इनको कम किया जा सकता है, इससे ४० लाख का फायदा हो सकता है।

इसी तरह पंचायत समिति में एक्सटेन्शन आफिसर हैं। मैं भी प्रधान हूं, मैं जानता हूं इनका कोई काम नहीं है। सिर्फ काम है तो एस. डी. आई. पशुपालन, कृषि, सहकारिता प्रसार अधिकारी का। इसके अलावा कम कर दें तो यह भी बचत ही होगी।

इसी तरह से सेक्रेटेरियेट में सेक्रेट्री अलग होते हैं और डाइरेक्टर अलग होते हैं। जहां डाइरेक्टर है वहां सेक्रेटरी की क्या आवश्यकता है, दोनों में से एक काम कर सकता है। इनको कम कर के बचत की जा सकती है।

ग्राम सेवक आप रख रहे हैं, ठीक है, आप रख लीजिये, पर मेरी मान्यता है कि पंचायतें इतनी पिछडी हैं कि काम नहीं है उनके पास। अगर हम दो पंचायतों के पीछे भी एक ग्राम सेवक रख दें तो चल सकता है।

तो इस तरह से आपका पांच करोड का घाटा पूरा हो सकता है।

इसके अलावा हम कुछ नॉन—टैक्स रेवेन्यू बढा सकते हैं। इनमें रोडवेज है। आज इसमें २७ लाख का फायदा हुआ। इस तरह से हम सभी रोड्स को नेशनलाइज कर लेते हैं तो काफी फायदा हो सकता है और उनमें भी घोटालों को दूर कर दें तो और भी काफी बचत हो सकती है। मैं बताऊं सरूप-गन्ज से वासा पांच मील है। चार बार मोटरें आती जाती हैं। हिसाब से देखा जावे तो रोज के ८० रुपये की रेवेन्यू होनी चाहिये। इसके बदले में मैं ने मैनेजर से जिक्र किया तो कहा गया कि यह घाटे में चल रही है। मुझे बडा ताज्जुब हुआ। तो इससे मेरा अनुमान है कि एक छोटी लाइन पर साल में दस हजार का घोटाला होता है।

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

इसी तरह से आप के मैडिकल के बिल बनते हैं गवर्नमैन्ट सरवेन्ट्स के। इसमें मुझे यहां तक मालूम हुआ है कि झूठे बिल बनते हैं। बीमार होते नहीं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको हम कम कर सकते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जंगलात में बहुत घोटाले होते हैं। ठेकेदार को न देकर स्टेट लेवल पर आप काम करें। नेशनलाइज करदें तो इससे भी फायदा हो सकता है।

तो माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो अनाज पर कर लगाया, लगान पर लगाया यह तो हमारे देश की रीढ की हड्डी तोडने वाला है। कल श्री पाटिल ने बताया कि अमेरिका ने जो प्रगति की वह किस तरह से की है। उन्होंने किसानों को सबसे ज्यादा राहत दी और खेतों का विकास किया किसान का विकास किया। इंगलैन्ड ने ऐसा किया है, जर्मनी ने ऐसा किया है उसके बाद वे तरक्की पर पहुंचे हैं। यहां पर क्या होता है कि हम लगान पर सेस लगाते है, एक तरफ सेस लगाते है और दूसरी तरफ क्या होता है कि दूसरी चीजों के भाव बढते हैं कैरोसिन ऑईल पर बढते हैं अन्य किसानोंपयोगी चीजों के भाव बढते है अनाज के भाव बढते हैं। और किसान जो हैं वह दबा जाता है। तो उपाध्क्ष महोदय, इस तरह से जो हम काम करते हैं यह हमको समाजवाद की तरफ नहीं ले जाते हैं बल्कि साम्यवाद या साम्राज्यवाद की तरफ या यों कहें कि पूंजीवाद की तरफ ले जाते हैं। (समय-सूचक-घंटी) किसान जो सदियों से दबा हुआ है उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, यह नहीं लगाना चाहिये। आप इस तरह के टैक्स लगा कर यह सिद्ध करते हैं कि हम समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं। हमारी जो इकॉनामी है वह अच्छी नहीं है हमारी इकॉनामी Farmer oriented होनी चाहिए। तो उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत मैं वित्त मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यह दो लगान के ऊपर सैस है और यह जो अन्न के ऊपर कर है यह जो जजिया कर है इसको बन्द करें। आज टैक्स की जरूरत नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा फिर जो कर लगाये हैं वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास के लिये सबसे पहले आवश्यकता होती है कि हमारा प्रोडक्शन बढे, खेतों की पैदावार बढे, हमारे कल कारखानों में उत्पादन बढे, हमारे यहां विकास हो, डवलपमेन्ट के काम हों लेकिन जब इस साये में हम इस बजट को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि यह सारा का सारा बजट उल्टे तरीके से चल रहा है।

सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जहां तक इन्डस्ट्रीज के डवलपमेन्ट का सवाल है हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने कॉटेज इन्डस्ट्रीज में से केवल एक इन्डस्ट्री को एग्जेम्प्ट किया है और जो छूट दी है वह केवल मुड्डा बेचने वालों को, वह भी इस बात की छूट दी है कि उनको सेन्ट्रल सेलस टैक्स नहीं देना पडेगा, उनको सेन्ट्रल सेलस टैक्स से माफ किया है। मैं पूछता हूं कि क्या हमारे यहां राजस्थान में सिर्फ एक ही कॉटेज इन्डस्ट्री है जो मुड्डा इन्डस्ट्री है और जो आपके कॉन्स्टीट्यूएन्सी में है। क्या दूसरी जगह कॉटेज इन्डस्ट्रीज नहीं है? जहां लकडी के खिलौने बनते हैं,

Page No.68

(श्री संपत्तिलाल बोहरा)

हाथी दांत का काम होता है क्या वे कॉटेज इन्डस्ट्रीज नहीं हैं और आपने सिर्फ एग्जेम्प्शन दिया है अपनी कॉन्स्टीटयुएन्सी के लोगों को खुश करने के लिए। मैं वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या आधार है? राजस्थान में जितनी कॉटेज इन्डस्ट्रीज थी उनका आपने एग्जेम्प्शन विथड्रा किया। ये कॉटेज इन्डस्ट्रीज हमारे राजस्थान में १९ हैं, उसमें से आपने सिर्फ एक मुड्डा बनाने वाली इन्डस्ट्री को एग्जेम्प्शन दिया और वह भी केवल सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके एग्जेम्प्शन का क्या आधार है?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आप कौनसी कॉन्स्टीट्युएन्सी की बात कर रहे हैं?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : अजमेर कॉन्स्टी-ट्युएन्सी की।

श्री उपाध्यक्ष : Such interruption will only be detrimental to the people who are going to speak now.

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या फरमाया आपने?

श्री उपाध्यक्ष : अब जो बोल कर इस प्रकार से डिस्टर्ब करेंगे तो अब जो बोलेंगे उन्हीं का समय कम होगा, यह सूचनार्थ निवेदन है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उन्होंने कॉन्स्टीटयुएन्सी का नाम नहीं लिया, वह पूछा था।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आपने मुड्डा इन्डस्ट्री को एग्जेम्प्शन दिया है उसका क्या आधार है? १६ नम्बर के आइटम में मुड्डा इन्डस्ट्री कॉटेज इन्डस्ट्री में थी और उस इन्डस्ट्री में मूंज है, खस है, बैम्बू है इन सब चीजों की खरीद पर एग्जेम्प्शन था वह आपने एक हाथ से विथड्रा कर लिया उसका एक परसेन्ट टैक्स देना पडेगा और आपने एग्जेम्प्शन भी दिया सेन्ट्रल सेल्स टैक्स से और उसमें आपने क्या लिखा है: "Provided he gets an exemption certificate. और उसके लिए कोई फीस प्रेसक्राइब नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता कि, What is the need of exemption certificate, जब आपकी कोई फीस नहीं है। उसको आप भेजेंगे सेल्स टैक्स ऑफिस में, ८ आने का टिकट लगायेंगे, आफिसर के पास जायेंगे और आफिसर इन्सपैक्टर के पास इन्क्वायरी के लिए भेजेगा, इस तरह से समय की और पैसे की बरबादी होगी।

अब मैं आपको बडी इन्डस्ट्रीज का नमूना बताता हूं। आज हमारे राजस्थान में ऑइल इन्डस्ट्री का डवलपमेन्ट हो रहा है। उसके ऊपर क्या बीती है? आज भरतपुर, निम्बा-हेडा के आस-पास का क्षेत्र छोटी सादडी और बडी सादडी और कुछ ऐसे स्थान जो कि बोर्डर एरिया के पास हैं, मध्यप्रदेश और पंजाब का एरिया है, उनके साथ क्या होता है कि वह तिलहन जिसके ऊपर आपने टैक्स लगाया है वह बैलगाडी में भरकर दूसरे प्रान्त में ले जायेंगे। हमारे यहां तेल की घानियां हैं वे सफर करेंगी। यही नहीं इस पर कितने ही प्रकार के टैक्सेज की मुसीबत आयेगी। इसमें आपने एग्जेम्प्शन विथड्रा किया है और साथ में कहा है कि यदि तुम राजस्थान में बेचोगे तो तुमको एक परसेन्ट लगेगा, यदि राजस्थान के बाहर बेच दिया

Page No.69

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

यानी दूसर प्रान्तों में बेच दिया तो तुम्हें टैक्स ५ परसेन्ट देना पडेगा, साढे सात परसेन्ट देना पडेगा; this is he way you are taxing our industry.

इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान की इन्डस्ट्री का माल राजस्थान के बाहर खपे। तो आप किस प्रकार से एग्जेम्प्शन देते है? यह किस प्रकार का टैक्स लगाते हैं? दूसरी इन्डस्ट्रीज का भी आप नमूना देखें। बडी इन्डस्ट्रीज में सीमेन्ट इन्डस्ट्री है। जिसके ऊपर टेरिफ बोर्ड ने राजस्थान में एक प्राइस फिक्स की थी। उसकी कीमत ७५ रुपये रखी थी। यह गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने जयपुर उद्योग लिमिटेड की सीमेन्ट की कीमत ७५ रुपये फिक्स की है। जब गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के पास यह सवाल गया तो उन्होंने कहा कि युनिफार्म पॉलिसी होनी चाहिए तो उन्होंने ६९.५० न. पै. प्राइस फिक्स की। अब आप ही देखिये उसके ऊपर कितना टैक्स वढा है। यदि उसका आप अन्दाजा लगायें तो रॉ-मैटिरियल पर ७ परसेन्ट, जिप्सम पर १ परसेन्ट, लाइम-स्टोन पर और दूसरी चीजों पर टैक्स बढा दिया। एक तरफ तो आप कहते हैं कि डीजल पर एग्जेम्प्शन है और दूसरी तरफ आपने इसको सेल्स टैक्स से हटाकर मोटर स्प्रिट पर कर दिया। इसका मतलब 'नो रिलीफ'। इलैक्ट्रिसिटी के लिए मैं आपको बताऊं कि जो बल्क इन्डस्ट्रीज हैं जिनमें बिजली का बल्क कन्जम्प्शन होता है उनके ऊपर अब और टैक्स लगेगा, उसका कोई न कोई आधार होना चाहिए।

"20.61% is the power and fuel expenses, while raw material is only 12%." This is the Tariff Commission's report. This is average, while our Rajasthan expenditure on this item;

जयपुर उद्योग का पॉवर एण्ड फ्यूअल की कोस्ट २१.१२ है और जयपुर उद्योग रॉ-मेटिरियल का १५.६१ है, यानी जिस इन्डस्ट्री में लोड ज्यादा है और उसका कन्जम्प्शन किस प्रकार से ज्यादा हो इसमें क्या होता है कि उसका लोड आप लेते हैं वह सारा का सारा कन्ज्यूम हो जाता है और वेस्टेज कम होता है। तो ऐसी इन्डस्ट्री पर आप अधिक से अधिक टैक्स लगाते हैं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह डवलपमेन्ट का आधार है? इसकी प्राइस गवर्नमेन्ट ने फिक्स की है वह बढ नहीं सकती। यह १९६७ तक है। आप कॉस्ट ऑफ प्राडक्शन बढाते जा रहे हैं। यही नहीं कितने ही और आइटम्स पर सेन्टर ने टैक्स बढाया है। केरोसिन पर टैक्स लगाया है, कोयले की प्राइस बढी है, आने जाने के ट्रान्सपोर्टेशन के ऊपर चार्जेज बढे हैं, डीजल पर ६ आने से १२ आने तक प्राइज बढी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इन्डस्ट्रीज किस प्रकार से प्रोफिट में चल सकती हैं?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : श्रीमान को इससे फायदा होने वाला है, टैक्सेज से।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : आपकी इन्डस्ट्री बढी है या घटी है? आपका इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कहां हुआ है? आपका इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट पहले ही घटा है। आप कह रहे हैं कि इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट हुआ है। आपने जितनी इन्डस्ट्रीज को परमीशन दी राजस्थान के अन्दर वे पूरी हो गई हैं क्या? ३३ को एक्जेम्प्शन मिला हुआ था वह एक्जेम्प्शन विथड्रा कर लिया।

श्री बालकृष्ण कौल : तभी तो श्रीमान को फायदा होने वाला है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : फायदा नहीं होने वाला है। मैं कहता हूं कि यह आपका गलत प्रिजम्प्शन है। जब रा-मटेरियल पर टैक्स बढता है तो कास्ट आफ प्रोडक्शन बढता है और जब कास्ट आफ प्राडक्शन बढता है तो हमारा माल दूसरे प्रान्त या मार्केट में नहीं जा सकता है, क्योंकि यदि वह सस्ता नहीं होगा तो कोई उसको लेगा नहीं, तो फैक्ट्रियां बन्द होंगी। मैं यह साफ करके बताना चाहता हूं कि रेट आफ टैक्सेज जितने बढेंगे उस प्रपोर्शन में टैक्स की आमदनी नहीं बढी है। You reduce the tax and revenue will increase.

मैं एक्जाम्पल देकर बताना चाहूंगा कि यह किस प्रकार से होता है? उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में जो सेल्स टैक्स है उसमें जितना सेन्ट्रल टैक्स है, उसको माइनस करके राजस्थान में टैक्स लगायें और देखें कि राजस्थान में कितनी आय होती है। आज कई चीजों में, चाहे वेजीटेबिल आइल को ले लीजिये नीमच और भवानी मन्डी में सीधे किसान जाते हैं और वहां से वेजीटेबिल की गाडी भरकर चोरी से, किसी भी तरह से ले आते हैं और इस तरह से सारे का सारा टैक्स बचा लेते हैं क्योंकि वहां पर बोर्डर हमारा मध्यप्रदेश से मिलता है। यदि उसी आइटम पर हम वही रेट रखें तो वह मध्य प्रदेश से नहीं खरीदेगा। ४ पर्सेन्ट सेन्ट्रल टैक्स मिलाकर यह ४ पर्सेन्ट पर टैक्स रखें तो वहां ३ पर्सेन्ट टैक्स हमको मिलेगा। तो वित्त मन्त्री महोदय से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप घाटे में नहीं रहेंगे। ३ पर्सेन्ट जहां मिलता वहां १ पर्सेन्ट ही नहीं मिलता है। आज जितने बोर्डर एरियाज हैं उनमें टैक्स में डिस्पेरिटी होने की वजह से होता क्या है कि हमारा माल वहां जाकर विकता है। एक एक्जाम्पल मैं यह दूंगा कि काटन डस्ट पर ६ पर्सेन्ट टैक्स हो जाता है तो पिंजारे अहमदाबाद से माल मंगा लेते हैं और वहां लाकर बेचते हैं क्योंकि ५ हजार से कम वाले मंगाते हैं इसलिए वे टैक्स फ्री होंगे यदि उसकी रेट आफ इन्ट्रेस्ट सेन्ट्रल सेल्स टैक्स को माइनस करके उसी हिसाब से लगाते हैं तो पिंजारे यहां का माल यहीं पर खरीदेंगे और कम से कम आपको ३ पर्सेन्ट और २ पर्सेन्ट जो आप रखेंगे वह तो देंगे ही, तो उससे आपकी आमदनी बढेगी। घटेगी नहीं। मैं एक-दो और उदाहरण दे सकता हूं जिनमें टैक्स की रेट कम करेंगे तो आमदनी बढेगी। मैं आपको चेलेन्ज करूंगा डालडा के स्टेटिस्टिक्स को लेकर कि डालडा पर रेट आफ टैक्स बढा है लेकिन डालडा से जो टोटल टैक्स मिला है वह कम हुअ है। एक एक्जाम्पल और दूंगा कि चांदी और सोने के जेवरों पर आपने २ पर्सेन्ट टैक्स लगाया। हो सकता है कि सिद्धान्त की दृष्टि से आप वह आवश्यक समझते हों कि यह लक्जूरियस आइटम है, लेकिन क्या जो टैक्स आपने बढाया है तो आपकी रेवेन्यू बढी है? इसकी स्थिति दूसरी है। यह इकानामिक फैक्टर्स पर प्ले करता है। आप खाली आदर्शवादिता के नाम पर नहीं चल सकते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी चीजें हैं आप साइन्टिफिक वे में, फिस्कल वे में और इकानामिक फैक्टर्स के आधार पर सोचेंगे तो मैं गारन्टी करता हूं कि सारे राजस्थान में आपने जितने भी टैक्सेज लगाये हैं उनको विथड्रा करलें और जो टैक्स के

(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)
रेटस बढाये हैं वह कम कर दें तो दूसरे आइटम्स में फिर भी आमदनी बढेगी। I guarantee it.

यही नहीं, मैं और भी· · ·

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : क्या आप गारन्टी रेवेन्यू की कर देंगे? आपने गारन्टी लफ्ज इस्तेमाल किया है बडे जोर से, तो क्या जो रेवेन्यू ४।। करोड रुपये की है उसकी गारन्टी करते हैं?

श्री भैरों सिंह (किशनपोल, जयपुर) : टेक्सेज हमसे पूछकर लगायेंगे तो गारन्टी देंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : वह वक्त आयेगा तब देखेंगे।

श्री भैरोंसिंह: वक्त आयेगा तब तक हम कहेंगे।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपने कोई इन्स्टान्स भी दिया कि टेक्सेज बढे हैं तो आमदनी कम हुई है।

श्री भैरोंसिंह : वेजीटेबल आइल की बात कही है कि वेजीटेबिल ऑइल पर टैक्स लगने के बाद आमदनी कितनी हुई है।

श्री बालकृष्ण कौल: वेजीटेबिल आइल अगर फौत भी हो जाय तो कोई बुरी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अगर आप भी चले जांय तो कोई बुरी बात नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं एक एक्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। आपके स्टेटिस्टिक्स के ६ पेज पर लिखा है कि १९६०-६१ में ३६०.९६ करोड रुपये की आमदनी हुई है जब कि आपकी जनरल रेट ३ रु० २ आना थी और अब जब कि आपकी रेट ६ पर्सेन्ट है revenue should have been doubled. Where is the double revenue. ?

क्या आपकी इन्डस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई है, या एग्रीकल्चर प्राडक्शन बढा है जब कि इतनी नदियां और नहरें बनीं हैं? आखिर यह गया कहां? प्रोडक्शन सारी जगहों का गया कहां? इसका हिसाब लगाते हैं तो जितनी रेट ऑफ टैक्सेज बढी हैं· · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय अभी तो बहुत कुछ कहना है।

मैं और भी अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ टैक्सेज ऐसे लगाये हैं, फनी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एक बहन ने कल यहां अर्ज किया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमने अपनी गोद खाली करके बच्चे दिये और अपने सुहाग के जेवर दिये। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय उन्होंने अपनी गोदें सूनी कीं और अपने हाथ लम्बे कर अपने जेवर आप की गोद में डाले तो आपकी कुदृष्टि उनके हाथों पर लगी और आपने उनकी चूडिडों पर भी टैक्स लगा दिया। आपने उनको भी माफ नहीं किया। आपने कोकोनट की चूडियों पर भी टैक्स लगा दिया। उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया होगा क्योंकि उसको आपने इसी तरह की भाषा में लिखा है।

मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चोरी होती है। आपने खुले बिस्कुट पर टैक्स ६ पर्सेन्ट रखा है लेकिन बन्द डिब्बे पर १० पर्सेन्ट लगाया है तो वह एक ही डिब्बे के दो बिल बना देगा और ६ पर्सेन्ट से टैक्स लेगा

Page No.72

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

आप उनसे १० पर्सेन्ट वसूल करेंगे। यही आपने इसमें कहा ही है। कांटे और छुरी पर आपने ७ प्रतिशत ।

It is a luxury or necessity ? For you it may be necessity, for us it is a luxury, but hair oil and comb is taxed at 10%. It is to be seen by you, Sir. And now I want to say one thing. Pure silk you have taxed.

आपका नोटिफिकेशन १६ मार्च, १९६२ का है वह यह कहता है :--

"Government hereby exempt the sale of pure fabric manufactured in power looms from 1st March 1963."

यह प्योर सिल्क का हो गया है। कौनसे प्योर सिल्क पर टैक्स कर रहे हैं।

These are all absurd taxes which will not earn any revenue to you, Sir. I may humbly submit, this will not earn any revenue.

आप अन्दाजा लगाइये कि एक व्यक्ति पर कितना टैक्स पडता है। भारत सरकार के टैक्सेज का रेट देखिये और अपने यहां के रेटस देखिये कि पर कैपिटा कितना टैक्स पडेगा ?

आपने डीजल ऑइल पर टैक्स लगाया। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। आपने जब डीजल ऑइल पर टैक्स लगाया तो क्या आपने यह कन्सीडर किया है कि हमारी बसेज भी डीजल ऑइल से चलती है तो उन पर कितना टैक्स का भार बढेगा ? आमदनी घटेगी मगर you have not considered it, कि आमदनी पर उसका कितना भार पडेगा जो कि एक दूसरे से संबंधित हैं।

आपने होटल वाले को ५०००) रु० तक का एक्जेम्पशन दिया है, लेकिन टैक्सेज का रेट आपने रखा है १२०००) रु० से। तो ५०००) से १२०००) का क्या होगा ? क्या उसको जनरल रेट से टैक्स किया जायगा ?

आपने ३०,०००) तक के मामलों के कम्पाउन्ड के लिए लिखा है कि Commissioner can revise it. जब उसकी मर्जी होगी। or any officer may revise

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे बहुत कुछ कहना है। हमारी पार्टी को ढाई घंटा मिला है उसके अनुसार मुझे बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : १५ मिनट से अधिक बोलेंगे तो दूसरों को समय नहीं मिलेगा। इसका खयाल रखें।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : आप यह कहेंगे कि टैक्स नहीं लगायें तो कैसे होगा ? मैं कहता हूं कि इकानामी करके और बहुत सी बातों का कोऑर्डिनेशन करके हम बचत कर सकते हैं। पब्लिसिटी के लिए पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट में पी० आर० ओ० अलग हैं, सोशयल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट अलग है, और भी कितने ही डिपार्टमेन्ट्स हैं, जैसे मेडिकल डिपार्टमेन्ट है उसमें पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट अलग है। इन सब को कॉआर्डीनेट करके एक कर दिया जाय। इसी प्रकार से डाइरेक्टर आफ स्टेटिस्टिक्स का है कि कितने ही आदमी स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं।

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

डाइरेक्टर आफ इकोनोमी एण्ड स्टेटिस्टिक्स हैं वह स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करता है, दूसरा डाइरेक्टर आफ इवेल्युएशन करता है, तीसरा डाइरेक्टर आफ इकोनोमी एण्ड इन्डस्ट्रियल सर्वे करता है। ये सब के सब डिस्ट्रिक्टस से आंकड़े कलेक्ट करते हैं। क्या उनका सब का काम एक जगह नहीं कर सकते ?

(३.०० म० प०)

इसी तरह से आप २५० रुपये माहवार सेक्रेट्रीज को एक्स्ट्रा अलाउन्स देते हैं, क्या आप उसको बंद नहीं कर सकते ? इसी प्रकार से सोशयल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट, कोऑप-रेटिव डिपार्टमेन्ट और दूसरे डिपार्टमेन्ट्स के ऑफिसर्स हैं उनकी स्कुटिनि करके कमी नहीं कर सकते क्या ?

यही नहीं, यदि आप एक्सपेन्डिचर कम करना चाहते हैं तो इफेक्टिव स्टेप्स लीजिये मैं कहूंगा कि किस प्रकार इलेक्ट्रिकल स्टोर्स में से ६६,००० का माल उड गया। कहां पर माल उतारना था और मद्रास में उतार दिया और वहां से बम्बई भेजा, इसमें ३० हजार रुपये उड गये। एक जगह श्री विजयनगर के स्थान पर विजयनगरं लिख दिया तो ३३,४३७ रुपये रोंग डिस्पेच हो जाने से खर्च हो गये। यही नहीं कृषि मंत्रीजी आपको बताऊं कि जोबनेर में ट्यूबवेल खोदा उसमें १७००० रुपये लगे और उसके लिये मशीन आई तब तक कुआ allocate हो गया और उसमें खर्च के फर्क के १३,००० और लग गये इस तरह से ३०,००० रु० इसमें लग गये। मेडिकल डिपार्टमेन्ट में डी० डी० टी० वाश हो गई उसमें १,३४,९०० रुपये खर्च हो गये। इसके अलावा वूलन डाइंग एंड फिनिशिंग सेन्टर पर ५४,४२५ रु० वेस्ट गये। ये कुछ एक्सपेन्डिचर मैं ऐसे बता रहा हूं जो किस प्रकार असावधानी में व्यर्थ चले गये। ये एक्सपेन्डिचर मैं गबन के नहीं बता रहा हूं बल्कि वेस्ट के बता रहा हूं। जो लोग दो-डाई हजार रुपया माहवार तनख्वाह पाने वाले हैं वे किस प्रकार से वैस्ट करते हैं। क्या कोई बिजनेसमेन अपने यहां इस तरह का वैस्टेज होने देता ?

यही नहीं मैं बताना चाहता हूं कि नोन टैक्स रेवेन्यू कैसे बढाई जाय। आपके एक-एक प्राइवेट बस ओनर एक-एक बस पर कितनी आय पर इन्कम टैक्स पे करता है not less than 10,000 और आपका १००० से भी कम आता है। आपको छोटा सा उदाहरण अजमेर जयपुर रूट का देना चाहता हूं ? आपके बुकिंग का पर्सेन्टेज कितना आता है ? मिनिमम १०० रुपये रोज का भी रखें तो एक महीने का कितना होता है ? इसी तरह से आप यदि चेक अप करे तो सारे बजट की कमी पूरी हो जायगी। मैं आप के सामने और उदाहरण दूंगा आप उनको एग्जामिन करा सकते हैं। आप इंग्लिश शराब की दुकानों को आक्शन करिये आपको काफी फायदा होगा। आपको पॉलिटिकल आदमी ने ३० हजार रुपये रक्षा फण्ड में देने को कहा लेकिन आपने इसको दुकानदारी दी। आपकी माइन्स, फिशरीज, फोरेस्ट को आक्शन किया जाय तो उससे कितने पैसे आयेंगे।

आपकी कितनी रिक्वरीज हैं लोन्स की उनको सख्ती से वसूल किया जाय तो आराम से पैसा इकट्ठा हो सकता है। मैं और उदाहरण देना चाहता हूं। जितने लोन्स दिये हैं वे उनको दिये हैं जो रईस हैं, जो इन्कम टैक्स पे कर हैं जिनकी इन्कम ७-८ हजार रुपया सालाना से ज्यादा होती है। आप उनसे क्या यह नहीं कह सकते कि इन्स्टालमेन्ट्स रेगुलरली पे करो ? आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं।

(श्री सम्पतिलालबोहारा)

यही नहीं आपका डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्लानिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्लानिंग फॉर दि बैटरमेन्ट ओफ एग्रीकल्चर करना चाहिये, फोर दि बैटरमेन्ट ओफ इन्डस्ट्रीज करना चाहिये लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या कर रहा है ? वह टाउन इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लानिंग कर रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि टाउन इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। टाउन इलेक्ट्रिफिकेशन करने में आपका क्या सेन्स है और वहां पर इसका क्या यूज है। हमारा उद्देश्य एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्रीज को बढावा देने का है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उदयपुर में जो बिजली आई है उसको आप जयसमन्द तक ले जाइये और वहां पर जितना पानी है उससे लिफ्ट इरिगेशन के जरिये सिंचाई करिये। इसी तरह से राजसमन्द का तालाब पानी से भरा रहता है वहां भी लिफ्ट इरिगेशन करके उसका उपयोग करें तो कितनी आमदनी बढ सकती है। लेकिन आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्ट-मेन्ट ऐसा नहीं करेगा। वे कहेंगे गांवों में इलेक्ट्रिसिटी लग जाय, लाइट के बल्ब लग जायं तो हमारी योजना पूरी हो जायगी।

ये सारी बातें कहने के बाद मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं। यदि आप समझते हैं कि वास्तव में कुछ कर सकते हैं तो कमेटी बैठा दीजिये, वह इस बात को देखे कि वास्तव में हमारे यहां टैक्स कम करने से इन्कम बढ सकती है या घट सकती है। आस-पास की जो सराउन्डिंग स्टेटस हैं उनका स्ट्रैचर कम है तो वे फायदा उठायेंगे या नुक्सान। आप एक्सपेरिमेन्ट कर लीजिये। आपकी रेवेन्यू बढती है तब तो मानिये, कुछ तो करिये। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान की हालत इस प्रकार की है कि न तो रेन्ट और सेस को बरदाश्त किया जा सकता है और न सेल्स टैक्स में बढोतरी को बरदास्त किया जा सकता है और न टैक्स को डबल करना बर्दाश्त किया जा सकता है आपने जो एडवर्टाइजमेन्ट, पेट्रोल, डीजल ऑइल आदि पर टैक्स लगाया है उसके बजाय मिस मैनेजमेन्ट है उसको रोक सकते हैं तो आपका काम आराम से चल सकता है। और सब को सुखी कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, १९६३-६४ के आगामी वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तुत बजट पर पिछले दो दिनों से कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और कई तरह के महत्वपूर्ण सुझाव रखे और आलोचनाएं भी कीं। मैं भी इस प्रस्तुत बजट पर कुछ अपने विचार रखने के लिये खडा हुआ हूं।

इस बजट के रोज पेश होते समय ज्यों ज्यों बजट की प्रस्तावना की शब्दावली हम सुनते गये हमें बडा जोश महसूस होता गया और मुझे ऐसी उम्मीद थी वित्त मंत्रीजी से कि इस वर्ष कुछ ऐसे प्रपोजल्स वे रखने वाले हैं जिनसे राजस्थान को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उन्होंने पिछले महीनों में सुरक्षा कोष के लिये जिन लोगों ने धन दिया उनकी भी सराहना की। लेकिन उन्होंने इस रूप से विस्तृत जानकारी नहीं दी कि किन लोगों ने किस तरह से धन दिया। किस तरह के लोगों ने इस रूप में अपनी सहृदयता बताई और जिनके पास ज्यादा धन था उन्होंने अपनी भामाशाही पदवी ग्रहण करने की कोशिश की

Page No.75

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

या नहीं की इस रूप से यह तथ्य ह कि हिन्दुस्तान में भी और राजस्थान में भी, जो गरीब तबके के लोग हैं, खास करके काश्तकार जो ८० परसेन्ट गांवों में रहते हैं उन लोगों ने अपना योगदान ज्यादा दिया। यह आंकडों से प्रमाणित किया जा सकता है। उनके द्वारा दी गई सहायता का परिचय देते हुए बजट प्रपोजल्स के अंत में जाते हुए जब करों की घोषणा सुनी तो हमारा जोश बहुत कम हो गया और हमें जो आशा थी वह निराशा में परिणत हो गई। करों का बोझ किस तरह के लोगों पर पडना चाहिये था अमीरों पर या साधारण गरीब लोगों पर जो काश्त करके अपना पेट पालने वाले हैं या किस तरह के लोगों पर करों का बोझ पडना चाहिये था इसकी जो आशा थी वह नहीं दिखाई दी। गांवों में काश्तकार, आज मौजूदा स्थिति में जो उनको राजस्व देना पडता है उसका भी बहुत बडा बोझ महसूस करते हैं और इस बंदोबस्त विभाग द्वारा अपने खातेदारी हक हासिल करने में भी काश्तकारों को बहुत कीमत चुकानी पडी है और जो पहले जागीरदारी प्रथा थी उसके साथ संघर्ष करना पडा है, बीघोडी कायम कराने के अंदर उनको बडा संघर्ष करना पडा है और यहां तक भी हुआ है कि कुछ इलाकों में राजस्थान में बहुत ही ऊंची बीघोडी की दरें घोषित की गई थीं क्योंकि जागीरदारों को इसमें विशेष रूप से दिलचस्पी थी। वे यह सोचते थे कि यदि अमुक जमीन का रेन्ट ऊंचा चढ जायगा तो उनको कम्पेनसेशन ज्यादा मिलेगा। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से रेट ऊंची मंजूर करवाने के लिए भरसक प्रयत्न किये और सरकारी मशीनरी की मदद लेकर कुछ इलाकों में वास्तव में ऊंची रेट घोषित कराई गई है। उसके फलस्वरूप उनके खातेदारी के पर्चे लगान में आज सालाना उनको राजस्व देना पडता है, वह वास्तव में बोझ स्वरूप है। फिर उसके ऊपर कई तरह की और डिमाण्ड स्लिप वगैरह इस्यू करके और ब्याज उनके साथ जोड कर पटवारी लोग लेते हैं और उसका बोझ भी उनको सहन करना पडता है। परन्तु माननीय वित्त मंत्री को मेरे विचार से इस तरह का आभास पहले नहीं था, उनकी वास्तविक जानकारी से अनभिज्ञता मालूम पडती है।

माननीय वित्त मंत्री ने सब लोगों के आगे समस्याओं का समाधान करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए कुर्बानी करने की अपील की परन्तु करों की घोषणा को सुन कर वास्तव में हमारे दिलों में जोश उत्पन्न नहीं हुआ। जिस वक्त शुरू में जोश पैदा करके, बीन बजा करके दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की थी, परन्तु उसके साथ, बजट भाषण को पिटारे के रूप में लाये थे, उस पिटारे को खोला तो उसमें सांप दिखाई पडा और हमारा जोश ठण्डा पड गया। उससे सबको डर होना स्वाभाविक ही था क्योंकि काश्तकारों की मौजूदा हालत दयनीय है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां तीन तीन साल में एक फसल होती है। आज पिछले दस साल का हिसाब देखा जाय और राजस्थान की कृषि व्यवस्था है, उसमें पूरे लोगों की आमदनी के आंकडे इकट्ठे किये जायं तो आपको वास्तविक स्थिति मालूम होगी कि वास्तव में किन इलाकों के लोगों की माली हालत सुधरी है और किन इलाकों के लोगों की माली हालत गिरी है। अगर ऐसी स्थिति की सही जानकारी आपके पास होती तो इस तरह के भाव, इस तरह के शब्द आपके मुंह से नहीं निकलते। आपने समाजवादी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की उम्मीद की है

Page No.76

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

की है परन्तु साथ में अनाज कर, बिक्री कर, पशु बिक्री-कर और राजस्व उपकर-इन करों की घोषणा की है। ये बिलकुल सेल्फ कान्ट्रेडिक्शन है और मिसलीडिंग स्टेटमेन्ट मालूम पडता है। समाजवाद के मूल तथ्यों और मूल उद्देश्यों को उठा कर देखें तो ऐसा मालूम पडता है कि जिनके पास पैसा ज्यादा है, उनसे कर के रूप में पैसा लिया जाय। जिनके पास करोडों की सम्पत्ति है, उनसे ज्यादा से ज्यादा कर लेकर, अगर थोडे लोगों को तकलीफ भी हो तो उनकी परवाह न करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हालत सुधारने के साधन जुटायें तो कोई आपको बुरा भला नहीं कह सकता और वास्तव में कल्याणकारी, समाजवादी राज्य की स्थापना की कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु आपने तो भोले भाले किसानों की नादानी का फायदा उठा कर, कर-वसूली में आसानी का अनुभव करते हुए, शहरों में रहने वाले पढे-लिखे होशियार लोगों की पेचीदगियों से डर कर, और वसूली में दिक्कत होने की बात महसूस करते हुए करों की घोषणा बिना किसी डर के कर दी। आपने पहले यह जानने की कोशिश नहीं की कि पिछले दस वर्षों में खुशकिस्मती से किसान अपनी कमर उठा कर चलने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसकी कमर थोडे भार और पहले की ज्यादतियों से दबी हुई थी और राज्य का सहारा लेकर वह उठना चाहता था लेकिन उसके थोडे समय बाद ही आपने उस पर इतना भारी बोझ डाल दिया कि उसकी कमर झुक गई है। हमें ऐसा महसूस होता है, हृदय में ऐसा आभास होता है कि गांवों की हालत आज किसी से छिपी हुई नहीं है।

राजस्थान के काश्तकार आज किस हालत में रहते हैं, उनके ऊपर किस किस तरह की मुसीबतें आती हैं, वास्तव में उनके सामने क्या क्या कठिनाइयां हैं--आपके पास उसका लेखा जोखा नहीं है कि काश्तकार के ऊपर साल में किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं। वह अनपढ है, वह गांव का आदमी है, वह किसी तरह सरकार और राज्य कर्मचारियों के चक्करों से दूर रहना चाहता है। वह चौबीसों घंटे अपने बच्चों, अपने कुटुम्ब के समस्त छोटे और बडे व्यक्तियों के साथ मिल कर मेहनत करता है। उसके खून और पसीने की कमाई खेती-बाडी, घर के धन्धे के हिसाब-किताब को देखें, उसकी बैलेन्स शीट-फायदे और नुकसान का अध्ययन करें तो आपको मालूम होगा कि खेती एक घाटे की चीज है। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं बचता है। उसके बैलेन्सेज नहीं है, वह बैंक में अपना हिसाब नहीं रखता है। यहां तक कि उससे अल्प बचत योजना के सर्टीफिकेट के लिए पैसा मांगते हैं तो उसको मालूम पडता है कि दस रुपये के लिए उसे बीस रुपये खर्च करने पडेंगे और सर्टीफिकेट वापिस भुनाने के लिए उसे मेहनत करनी पडेगी इसलिए वह समझता है कि भले ही दस रुपये का चन्दा ले जायं लेकिन सर्टीफिकेट नहीं लेगा। आप सेविंग्ज के लिए उससे अपील करते हैं लेकिन उसके दिमाग में वह चीज नहीं जमती है। वास्तव में जिस जगह वह जाता है उसको खर्च करना पडता है। अगर आप कोशिश करें तो इन दिक्कतों की सही जानकारी खास तौर से सारी चीजों की आपके सामने आ सकती है। साल भर में आपने ऐसा सोचा कि किसान तो मेहमानदारी का प्रतीक है, वह पुरानी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और उसे आज तक प्रतीक माना जाता है। गांव में फौज लेकर पढे-लिखे आदमी कोट पेंट पहन कर उसके घर पर जायेंगे, भले ही उसकी फूस की झोंपडी है, तो भी वह शुद्ध घी में रोटी चूर कर चूरमा आपको खिलाता है। परन्तु आपको सह स्थिति मालूम होनी चाहिए, आपको गलत-

Page No.77

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

फहमी नहीं होनी चाहिए । आपको ऐसा आभास है कि उसकी माली हालत अच्छी है, लेकिन उसकी माली हालत अच्छी नहीं है । आप धोखे में आकर महसूस करते हैं कि ये लोग सुखी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है । आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त आप चूरमा खाते हैं तो उसके नन्हे नन्हे बच्चे आंखों में आंसू लिये, कुरूप शक्ल में नंगे घडंगे खडे हुए करुण दृष्टि से आपको देखते हैं कि किस तरह से आप खाते हैं । क्योंकि उनकी पुरानी संस्कृति है, वे मेहमानदारी का ऐसा स्वरूप अपने आप में रखते हैं कि खुद आधे पेट भूखा रह कर, अपने बच्चों को छाछ खिला कर, जमा बचा हुआ घी का कूडा करकट बच्चों को देकर संतोष करता है; परन्तु आने वालों के साथ मेहमानदारी के साथ, इज्जत का सलूक करता है . . .

एक माननीय सदस्य : इसीलिए टैक्स लगाते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस चीज का अन्दाज तो आप तब लगा सकते हैं जब किसी गांव में गये हों । आपको गांवों में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । अगर हुआ है तो मालूम हुआ होगा कि किस तरह वे लोग सहृदयता का परिचय देते हैं और पुरानी संस्कृति की याद दिलाते हैं । उसके साथ आपको ऐसा सलूक नहीं करना चाहिये । उनकी हालत को सुधारने के लिए शहरों में जो मोटी मोटी अट्टालिकाओं में बैठे धनी-मानी लोग जो नाजायज कमाई करते हैं, उनके पास से ज्यादा से ज्यादा अपने तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिये, आनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिये पैसा लेकर आपको अपने खजाने में रखना चाहिए और उस पैसे से अस्सी प्रतिशत गांवों में रहने वाले लोगों की हालत सुधारने की जिम्मेदारी सरकार पर है । इसलिए उस पर इस तरह ज्यादा टैक्स का बोझ लादना एक शर्मनाक बात है । आप लोग यह महसूस करें कि वे लोग बोले नहीं हैं, वे बोलेंगे नहीं । अभी बहुत थोडा समय हुआ है, उनको काफी समय तक इन्तजार करना आता है । वे अपने चारों तरफ जाते हैं और अनुभव करने की कोशिश करते हैं । इधर देखने की आवश्यकता है कि उनको साधन या जो फेसेलिटीज गांवों में दी जाती हैं, उनकी जानकारी रखनी चाहिए । गांवों के मास्टर, गांवों के पटवारी, ग्राम सेवक, जो वहां रहते हैं उनको यह अच्छी तरह मालूम है कि उनका किस तरह से शोषण किया जाता है । ग्रामीणों को . . .

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सिर्फ पांच मिनट ।

ग्रामीणों को बीज के लिए सूदखोर के पास जाना पडता है, बीज के लिये सूद देना होता है, वह कितना ज्यादा सूद मांगता है । लेकिन उसके बाद जब वह अनाज वापिस लेता है तो बीज बहुत सस्ते भाव में लेता है । तो इस तरह से उसकी आधी आमदनी सूद-खोर के पास चली जाती है । दूसरे ईश्वरीय प्रकोप भी उस पर साल में बारह महीने छाया रहता है; कभी अकाल पड जाता है, कभी कभी उसके आग लग जाती है और झोंपडी जल जाती है, और कभी खेत को टिड्डी खा जाती हैं कभी ज्यादा वर्षा हो जाती है तो उसकी फसल को नुकसान हो जाता है और कभी कुछ वर्षा कम होने से अकाल पड जाता है, तो कभी कुछ दूसरी ही समस्या किसानों के सामने उपस्थित हो जाती है । कहने का मतलब यह है कि उनके सामने एक न एक समस्या हर समय उपस्थित रहती है और जब

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

किसान इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार के पास जाता है तो उसको उसका कोई परिणाम नहीं निकलता और उसको निराश होकर वापिस लौटना पडता है। इसलिये भी मैं यह कहूंगा कि शासन व्यवस्था में भी कोई हेर-फेर होना चाहिये और आनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिये जिससे किसानों के दिल में यह भाव पैदा हो कि उनको सच्चा इन्साफ मिलेगा। इस बात को किसानों के दिलों में उतारने की आवश्यकता है। वह नहीं उतारी गई है।

हम लोग गांवों में रात-दिन जाते रहते हैं और रात-दिन उनकी हालत को देखते हैं। हम देखते हैं कि गांव वालों की क्य हालत है। गांव वाले हमेशा सरकारी अधिकारी से दूर रहना चाहते हैं और दूर रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सरकारी अधिकारियों को बगैर दिये-लिये कुछ कार्य नहीं हो सकता। उनको सबसे पहले कुछ न कुछ दिया जाना जरूरी है। समय की बचत के लिये वे उन्हें दे ले कर भी अपना काम निकाल लेते हैं। मगर क्या आपने कभी किसानों की वास्तविक हालत को देखा है? क्या आपने यह भी सोचा है कि उसके भी बाल बच्चे हैं खेती के लिये उसको जानवर भी रखने पडते हैं अपने खेत में ज्यादा अन्न उत्पादन करने के लिये खेती की तरक्की के लिये पूरे साधन करने पडते हैं और आपने यह भी देखा होगा कि बहुत से लोग अपने पेट के पट्टी बांध कर काम चलाते हैं। अगर खुश किस्मती से किसी साल किसान के अच्छी फसल हो जाती है तो उसको उस फसल को बेचने के लिये बाजार नहीं मिलता और भावों में गिरावट हो जाती है। जैसा कि किसान लोग महसूस करते हैं और कहते हैं कि जिस समय वे बेचने के लिये जाते हैं तो उस समय भाव सस्ते हो जाते हैं। मगर उनको अपने रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम तो ज्यादा ही देने पडते हैं। इसके लिये भला उनके पास पैसा कहां से आवे। उनकी आमदनी के दो ही जरिये हैं, या तो वे अपने मवेशी बेचें या अनाज बेचें। तभी उनको पैसे मिलेंगे। इसके अलावा किसानों को अपने मवेशियों को ठीक रखना और उनको खिलाने पिलाने व बच्चों को पढाने और वस्त्र आदि के लिये भी पैसे की आवश्यकता होती है मगर वे चीजें उनको सस्ती नहीं मिलती हैं।

यह तो मानना ही होगा कि सबसे अधिक राजस्व आसाम में है। और दूसरे नम्बर पर हमारा राजस्थान ४.३६ आता है। पंजाब जो कृषि प्रधान देश है और जहां सबसे ज्यादा सिंचाई के साधन हैं परन्तु वहां पर भी राजस्व कर २.१५ है। इतना राजस्व कर कम होने के बावजूद भी पंजाब में भूमि कर नहीं लगाए क्योंकि वे जानते हैं कि किसान तो हमारे देश की रीड की हड्डी हैं। किसान के बल पर आज हमारा देश जीवित है और जब हमारे प्रधान मंत्री ने चीन के हमले के मुकाबले के लिए आवाज उठाई कि हमारा देश हिन्दुस्तान कमजोर नहीं है तो सबसे ज्यादा जवाब किसानों ने दिया। किसानों ने सबसे ज्यादा योग दिया, किसानों ने गहने दिये, वस्त्र दिये, अनाज दिया और लडने के लिये सिपाही दिये। ऊनी वस्त्र भी दिये, इस तरह का जवाब दिया उनको आपने यह इनाम दिया। आपने उनको यह इनाम दिया कि इनकी भूमि पर टैक्स बढाये। इस तरह देश-प्रेमियों के साथ आपने जो बर्ताव किया और इन लोगों को इनाम दिया, इस प्रकार के इनाम की आशा मुझे नहीं थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
सिर्फ पांच मिनट

इसलिये जो बातें मैंने आपको बतलाई हैं अगर आप टैक्स लगावेंगे तो किसानों पर इसका बडा भारी असर पडने वाला है। इसलिये इस पर आपको पुनः विचार करना चाहिये और जरूर सोचना चाहिये। अन्यथा जो घोषणा आपने की है उससे उन पर बहुत बुरा असर पडेगा और उनकी उदरपूर्ति पूर्णतया नहीं हो सकेगी। क्योंकि जिन लोगों पर इसका असर होगा वे ज्यादा से ज्यादा ८० प्रतिशत लोग हैं जो किसान हैं और इनकी हालत को सुधारने का काम आपका है। अब आप यह कहें कि अगर कर नहीं लगायें तो घाटा होता है उसकी कैसे पूर्ति की जा सकेगी इसके लिये आपके सामने कुछ सुझाव आये हैं और मैं भी आपके सामने कुछ सुझाव रखता हूं।

शहरों में मोटे २ मकानों में बैठने वाले लोग तो आपको गालियां देते ही हैं और आप उनकी गालियां हमेशा खाने के आदि हो गये हैं इसलियां मैं यह चाहता हूं कि आप शहर वालों की गालियां भी खायें और गांव वालों की भी गालियें नहीं खावें। अतः आपको एक ही जगह की गाली खानी चाहिये और वह भी कम लोगों की गालियां खानी चाहियें। ज्यादा लोग आपसे खुश रहने चाहियें और वे ज्यादा लोग किसान ही हैं जो गांवों में रहते हैं। शहर वालों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है और बाहर प्रान्तों में पैसा कमा कर यहां पर बडे बडे भवन बनाये हैं, उनसे आप काफी पैसा वसूल कर सकते हैं जैसे बगडिया बिल्डिंग है। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि दूसरे प्रान्तों में और बडे बडे शहरों में बिल्डिंग पर टैक्स लगता है और यहां पर राजस्थान में कोई टैक्स नहीं लगता है, इसलिये उन लोगों ने अपने बडे बडे भवन यहां राजस्थान में बना कर अपना पैसा यहां लगाया और भवन बनाये। इसलिये उनसे इस विकट संकट के समय में आप राजस्थान को आगे बढाने के लिये धन ले सकते हैं और उनसे पर्याप्त मात्रा में आपको धन मिल भी सकता है। इसलिये आपको ऐसे लोगों से धन लेना चाहिये जिनके पास ज्यादा है न कि ऐसे लोगों से जो अपने आपको एक समय भूखे रखते हैं। वे तो शहरों में रहने वाले हैं वे आपको गालियां देते हैं, मगर फिर भी शहरों में रहने वाले होने से वे लोग योजना बना कर बहुत से प्रस्ताव पास करके आपके पास भेज देते हैं।

इसके अलावा दूसरे सूदखोर लोग हैं जो निर्धन लोगों की कमाई को चूस कर, उनके पसीने की गहरी कमाई पर मालोमाल हो रहे हैं उनसे आप काफी पैसा ले सकते हैं और किसानों की हालत उन पर टैक्स न लगा कर सुधार सकते हैं ताकि वे अपने खेतों में अच्छी तरक्की कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)
सिर्फ तीन मिनट

इसके अलावा शहरों में इन्कम टैक्स लगा सकते हैं और फालतू खर्चे तहसीलदारों के और सेक्रेटेरिएट के कम कर सकते हैं। सेक्रेटेरियेट में इन-एफिशियेन्ट लोगों की फौज कायम कर रखी है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कागजों को दबा कर बैठ जाते हैं और निकालते नहीं और कुछ क्लर्क लोग बगैर सोचे-समझे नोट कागजों पर लगा देते हैं और बाद में जिस समय एप्लीकेशन को देखते हैं और पढते हैं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तो मालूम होता है कि अर्जी किसलिये थी और उस पर नोट कुछ का कुछ लिखा जा रहा है। ऑर्डर भी उस नोट पर हो जाते हैं मगर जिस समय मालूम होता है कि गलत आर्डर हो गया है तो उसको फिर दुरुस्त करते हैं। इसके अलावा कई दफे किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता और उसमें देरी होती है व आपको इस प्रकार की योजना बनानी चाहिये कि जो कागज आज सीधा साहब के पास नहीं जाता है और घूम फिर कर जाता है वह सीधा साहब के पास जाये और उसका सही इन्टरप्रिटेशन करके साहब उस पर हुक्म भेज दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट में कमी करके पैसों को बचाया जा सकता ह और भी कई खर्चो को कम किया जा सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के सदस्यों से वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन बातों पर ठंडे दिल से सोचें। यदि वित्त मंत्री अभी नहीं सोचें तो सो जाने के बाद जरूर इस पर पर विचार करें।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर वाद-विवाद करने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए और निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हमारे राज्य का विकास करना है। दूसरे हमारे पडौसी राज्य जो प्रगति की दिशा में हमसे आगे निकल चुके हैं, दौड कर उनकी पंक्ति में खडे रहें या जिस हालत में यहां हम खडे हैं वहां खडे रहना है। इस दृष्टिकोण को लेकर इस सदन में वाद-विवाद हो चुका है। यहां पर हमारे एक-दो सदस्यों ने यह राय प्रकट की कि यदि टैक्स लगा कर हमें विकास करना है तो ऐसे विकास की हमें जरूरत नहीं। हम टैक्स लगाने के बजाय ऐसी बस्ती में वहीं खडे रहना पसन्द करेंगे। उनका मत है कि, 'cut your coat according to your cloth. इस लिये उन्होंने हमारे इस प्लान को over ambitious बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय में, मैं समझती हूं कि आज इस प्रगति के युग में कोई विचारशील मनुष्य या दूसरा यह पसन्द नहीं करेगा कि वह वहीं खडा रहे और आगे नहीं बढे और अपने देश का विकास नहीं करें।

हम और हमारी पार्टी का दृढ संकल्प है कि हम हमारे राज्य का विकास करेंगे और हम आगे बढेंगे। यह बात भी ठीक है कि विकास के लिये साधन की आवश्यकता होती है और साधन केवल दो ही हो सकते हैं या तो, टैक्स बढाये जावे या रेवेन्यू इनकम बढाई जावे। इसमें भी काई दो राय नहीं कि विकास करने के लिये टैक्स लगाने पडते हैं। टैक्स लगाए बगैर विकास करना मुमकिन नहीं है और संसार के सभी अर्थशास्त्री मानते हैं, उनका कहना है कि टैक्स लगाये जावें वे graded हों और वाजिब हों। इसलिये हमें यह देखना है कि हमारे मन्त्री महोदय ने टैक्स लगाये हैं वे कैसे हैं?

सारा सदन इन टैक्सों के ऊपर अपनी राय जाहिर कर चुका है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानता है कि मौजूदा टैक्स जो लगे हैं वे अनुचित हैं, नावाजिब हैं और बिना सोचे-समझे लगाये गये हैं। जो जमीन पर लगान बढाने का टैक्स लगाया गया है वह बहुत ही गैरवाजिब है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

सदन के सभी माननीय सदस्य, आप और हम जानते हैं कि सारे देश के मुकाबले में राजस्थान में सबसे ऊंचे लगान हैं। चाही जमीन का, कुओं से सिचाई जिस जमीन की होती है उस जमीन का लगान देश में और स्थानों पर ऊंचे से ऊंचा १२ रुपया है; पर दुर्भाग्य से हमारे राज्य में २२ रुपया है और यहां लगान इतने ऊंचे हैं, इसे राज्य सरकार स्वयं मंजूर कर चुकी है। कुछ ही महीनों पहले झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में लगानों के ज्यादा होने के कारण सरकार ने यह कहते हुए कि लगान बहुत ऊंचे हैं २ आना फी रुपया की छूट की थी और आज कुछ ही महीनों बाद वह फिर लगान बढाती जा रही है। यह बजट बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये था। फिर हमारे वित्त मंत्रीजी ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि केन्द्र की ओर से ५० प्रतिशत कम्पलसरी सेविंग भी सब पर लगाई है, साथ ही राजस्थान सरकार यह लगान और बढायेगी तो किसान को ७५ परसेंट, सेंट परसेंट लगान देना पडेगा। जब दो महीने पहले लगान अधिक होने के कारण छूट की बात सरकार कह रही है तो अब दो महीने बाद ही और लगान बढा रही है यह कहां तक न्यायसंगत है ?

आम चुनावों के दौरान में हम सब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने राजस्थान का दौरा किया था तो किसानों को आश्वासन दिया था और वायदे किये थे कि लगान नहीं बढेगा। अब साल भर बाद ही हम उनसे ज्यादा लगान लेने जा रहे हैं। क्याहमारे वायदों की यही कीमत है, हमारी जुबान की क्या पाबन्दी होगी ?

अनाज पर टैक्स लगाया है; जवार, बाजरा, मक्का पर टैक्स लगाया गया है। मैं इस संबंध में ज्यादा न कहकर यही कहूंगी कि इन पर कर लगाने की कल्पना ही दूषित है और यदि इन पर कर लग गये तो ऐसा कलंक का टीका लग जायगा जो कभी धोये भी नहीं धुलेगा।

इसी तरह सेल्स टैक्स बढाया गया है वह भी बडा अनुचित है इससे हमारे यहां ट्रेन्ड डाइवर्ट हो जायगा। जहां हमारे पास दिल्ली में ४ प्रतिशत है वहां हमारे ऊपर १० प्रतिशत लगेगा। इतना ऊंचा भारत में, बम्बई को छोड कर और कहीं नहीं है। हां, यह जरूर है कि वित्त मंत्री की कृपा से कम से कम एक मामले में तो राजस्थान बम्बई के बराबर पहुंच जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमें टैक्स लगाना ही था, टैक्स लगाना हमारे लिये यदि जरूरी हो गया था तो मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि आपको जो, बाजरा, जवार, मक्का पर टैक्स लगाना सूझ गया पर मनी-लैंडर्स पर टैक्स लगाना क्यों नहीं सूझा ? क्या इस समाजवादी समाज में मनी-लैंडर्स के लिये ज्यादा गुंजाइश है और पेट काट कर जीने वाले किसानों के लिये कोई गुंजाइश नहीं है ? हमारे यहां कम से कम ५० हजार भी मनी-लैंडर्स मान लें और उन पर १०० रुपया कर लगा दिया जाय तो हमें ५० लाख की आमदनी हो सकती है. . . . .

अनेक माननीय सदस्य : एक करोड़।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : एक करोड़ तक की आमदनी हो सकती है और साथ में यह नियम बना दिया जाय कि जिस

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत)

मनी-लेंडर के पास लाइसेंस नहीं होगा उसका दावा कोर्ट में मंजूर नहीं होगा, इससे सब लाइसेंस ले लेंगे ।

मैं फिर वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि यह टैक्स लगाते वक्त कन्ट्रेक्टर्स, जो बहुत मात्रा में कमाते हैं, उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाय, यह भी आपके ध्यान में क्यों नहीं आया ?

इसी प्रकार शहरों में बडी बडी प्रोपर्टीज हैं, जिनकी किराये की आमदनी होती है, उन पर भी टैक्स नहीं लगाया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न में आपके द्वारा वित्त मन्त्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि उन्होंने बजट बनाते समय टैक्स तो नाना प्रकार के सोच लिये पर यह क्यों नहीं सोचा कि नान-टैक्स रेवन्यू बढ़ जाय और उससे राज्य का विकास किया जाय। जब हम इस बजट को देखते हैं तो ऐसा कोई तत्व नजर नहीं आता कि कहीं नान-टैक्स रेवेन्यू बढाने की कोशिश की हो। हो सकता है उनका उत्तर हो कि नान-टैक्स रेवेन्यू बढाने के लिये इन्वेस्ट करने की जरूरत है, धन चाहिये, धन बिना टैक्स के नहीं आ सकता । मैं यह निवेदन कर देना चाहती हूं कि कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बिना इन्वेस्टमेंट के या थोडा सा इन्वेस्टमेंट करने से किये जा सकते हैं । मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि राजस्थान ऊन में सबसे बडा उत्पादक रहा है। यहां की ८० प्रतिशत उन फोरेन में जाती है। हमारे राजस्थान में कोई रिकोग्नाइज्ड इन्डस्ट्री वूल की नहीं है, बम्बई कलकत्ता जाती है और वहां से बड़े व्यापारी ऊन फोरेन में भेज देते हैं। क्यों नहीं सरकार इस को अपने हाथ में लेती ? इसके लिये कोई धन की जरूरत नहीं, करोड़ों रुपयों की ऊन फोरेन में जाती है, यदि ५ प्रतिशत भी मुनाफा मिले तो सरकार को लाखों की आमदनी हो सकती है ।

इसी तरह हैंडी क्राफ्ट्स से आमदनी की जा सकती है, राजस्थान में हेन्डी क्राफ्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं । दुर्भाग्य से मुश्किल तो यह है कि जो एम्पोरियम चल रहा है वह भी घाटे में चल रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह अगर राजस्थान रोडवेज का फैलाव करें तो करोड, डेढ करोड़ रुपया कमाना बहुत मामूली बात है। अभी हिसाब आया तो पिछले ६ महीनों में २० लाख का नेट प्राफिट किया है; बीआर. टीआर और व्याज निकाल देने के बाद २० लाख कमाया है । वह भी जब कि इसमें अव्यवस्था है और बहुत कम रूट्स लिये हुए हैं। तो ए. क्लास के जितने रूट्स राजस्थान में हैं सब पर रोडवेज शुरू कर दें तो आधे टैक्सेज का खर्चा तो इससे ही आ जायगा । हो सकता है अपने उत्तर में वे बसेज की खरीद का कहेंगे । जब हम १५ पर्सेंट का रिटर्न बसेज से ले रहे हैं तो ६ सात पर्सेंट पर पब्लिक लोन क्यों नहीं लेते ? बैंकों से, इन्श्योरेंस कम्पनीज से लोन लिये जा सकते हैं, इसके लिये एक नहीं अनेकों रास्ते हो सकते हैं । अगर उन पर ध्यान दिया जाता तो हम नान-टैक्स रेवेन्यू कमा सकते थे और विकास कर सकते थे और शायद टैक्स लगाने की इस समय जरूरत भी नहीं आती । बार-बार कहा जाता है कि हमारे पास साधनों की कमी है। मैं अर्ज करना चाहती हूं कि कौन से साधनों की कमी है ? श्रम में, सूझ में, शक्ति में कमी है, राजस्थान के पास और किसी साधन की कमी नहीं । हमारे राज्य की भूमि

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

रत्नगर्भा भूमि है। खेतडी में ताम्बे की खानें हैं, उदयपुर में जिंक की, बीकानेर में कोयले की, जैसलमेर में गैस और दूसरी जगह साधनों के अटूट खजाने हैं। इन खजानों को काम में लें तो हमारी ही भूख और गरीबी को नहीं अपितु हमारे पड़ोसी राज्यों की भूख और गरीबी को भी मिटा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आखिर में मैं अर्ज करना चाहती हूं कि इन टैक्सेज के आधार पर ही डवलपमेंट कब तक चलता रहेगा? जब तक नान-टैक्स रेवेन्यू नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं होगा। टैक्स पर टैक्स लगाये जा रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना तक ७६ करोड रुपया नये टैक्सेज के द्वारा ले लेंगे और वह भी उस हालत में कि आयन्दा दो सालों में नये टैक्स नहीं लगें तो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहती कि एमर्जेन्सी के लिये, देश की रक्षा के लिए डवलपमेंट के लिये जनता पैसा नहीं दे। वह देती रही है, दे रही है और देती रहेगी, पर वह जानना चाहती है कि उसके खून-पसीने की कमाई जो वह पेट काट कर दे रही है, उसका उपयोग किस तरह किया जाता है, उसको युटिलाइज किस तरह किया जाता है। वह यह बरदाश्त नहीं कर सकती कि उसकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो वह पेट काट कर देती है वह करोड़ों रुपया बेकार की फिजूल-खर्चियों में खर्च किया जाय। खून और पसीने की गाढ़ी कमाई को बेकार जाते हुए वह देख नहीं सकती। उसका हिसाब वह जरूर पूछेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो यह नान-प्लान बजट है वह दिनों-दिन बढता जा रहा है। पिछले साल बढा और ऐसा लगता है कि आगे भी बढता जावेगा।

किसी भी डिपार्टमेन्ट को ले लीजिये। फिजूल खर्चियां हैं। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की मिसाल देती हूं। पहले जहां राजस्थान में एक ही डाइरेक्टर थे वहां अब तीन-तीन डाइरेक्टर होते हुए भी वे ही शिकायतें हैं, वे ही गलतियां हैं, वे ही अनियमिततायें हैं और अव्यवस्था है। डिप्टी डाइरेक्टर ४ थे एक और पोस्ट बढा दी गई है। उनका डेजिग्नेशन है मिलक डिप्टी डाइरेक्टर।

एक माननीय सदस्य : अमेरिका का मिल्क है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह एजुकेशन का ही उदाहरण नहीं है, सब जगह यही हालत है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : यह आफिसर तो अमेरिका से ही मांग लिया होता।

श्री निरंजनाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : राजस्थान के दूध को काटना चाहते हैं!

श्री गिरधारीलाल व्यास : उसको देने का वक्त आ रहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इस प्रकार की फिजूल खर्चियां हमारे ऊपर आ रही हैं। मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगी कि वे मेरा नम्र निवेदन सुन लें। बजट बनाते समय फिजूल खर्चियां हो रही हैं उनको पहले हटाइये। एक-एक पैसे का सदुपयोग हो।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

नान टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिये। उसके बाद जरूरत हो तो टैक्स लगाइये। सबसे पहले आप फिजूल खर्चियों को बंद कीजिये। आगे हम बरदाश्त नहीं कर सकते कि फिजूल खर्चियों के लिये हम टैक्स दें।

कई माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष..........

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष........

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने सन् १९६३-६४ का बजट सदन में पेश किया और उस पर तीन रोज से बहस हो रही है। बजट भाषण में उन्होंने अपने नये ढंग की सर्व प्रथम यह बात बतायी, "यह बजट चीनी हमला आवरी के स्याह साये में पेश किया जा रहा है" और उस चीनी हमले की साया के साथ साथ हमारे यहां के वित्त मंत्री ने अपनी काली साया राजस्थान पर डाली। वह साया है जो राजस्थान के इतिहास में पहली साया होगी जो हमारे माननीय वित्त मंत्री ने राजस्थान पर डाली है।

दो बातें खास तौर पर बजट के सम्बन्ध में उन्होंने बतायीं और वे दो बातें हैं-एक संकट-कालीन स्थिति और दूसरा विकास। दो मुद्दे उन्होंने सदन के समक्ष रखे। मैं पहले मुद्दे पर अर्ज कर रहा हूं। जहां तक संकटकालीन स्थिति का सम्बन्ध है बजट में कोई खास रकम इस पर खर्च करने के लिये नहीं दिखाई गई है। जहां तक संकटकालीन स्थिति का प्रश्न है जनता एक होकर, सरकार का, देश का साथ देने के लिए तैयार है लेकिन हम इस संकटकालीन स्थिति के समय में कितने तैयार हैं, सरकार कितनी तैयार है जनता के सहयोग के लिये-यह इस बजट से स्पष्ट है। जनता ने संकटकाल की स्थिति को समझा और उस समय एक होकर एक आवाज से बिना किसी की प्रतीक्षा किये अपना सर्वस्व दिया। जितना हमारा मापदंड था उससे ज्यादा राजस्थान की जनता ने इस समय दिया, लेकिन सरकार ने इस संकटकालीन स्थिति का भी गलत उपयोग किया और जिस जनता ने सब भेदभाव भुला कर, पार्टीबाजी की भावना भुला कर जातीयता से ऊपर उठ कर हाथ बढ़ाया, सहयोग किया; सरकार ने उसके साथ वह हाथ नहीं बढ़ाया। सरकार की संकटकाल की स्थिति के समय भी वही दलगत नीति है, वही सरकार का दृष्टिकोण है। संकटकालीन स्थिति में भी वही दलगत आधार पर ट्रान्सफर होते हैं, दलगत आधार पर प्रमोशन मिलते हैं, दलगत आधार पर नियुक्तियां होती हैं और संकटकालीन स्थिति के समय भी वही दलगत नीति मौजूद है। तो क्या मैं सरकार से प्रश्न कर सकता हूं, पूछ सकता हूं कि सारी एमर्जेन्सी का, संकटकालीन स्थिति का जिम्मा पब्लिक पर है या सरकार पर भी इसका कोई असर हुआ है या सरकार को उससे कोई टच नहीं है? यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और वह भी इसलिये पूछना चाहता हूं कि सरकार की दलगत नीति की भावना को पब्लिक ने समझ लिया है। पब्लिक ने यह समझ लिया है कि एमर्जेन्सी कुछ नहीं है, पुराने ढर्रे पर ही सरकार चल रही है और दुहाई एमर्जेन्सी की दी जा रही है।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की इन हालतों के कारण यदि जनता का टैम्पो बदल गया तो मुश्किल हो जावेगी। इसलिये पहले यह बतायें कि यह बजट संकटकालीन स्थिति में है और देश पर संकट है? संकट है तो गरीबों पर ही है या थोड़ा सा आप पर भी है? थोडा आप भी तो अपने एशोआराम में कमी करें। जनता को बतायें कि देश में संकटकालीन स्थिति है, मंत्री लोग फटे-कपडे पहिनें और पेन्ट के पेबन्द लगा कर आयें तो कहें कि वही उनका सूट है ....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : तहमद लगाकर किसी मठ में सौंपना चाहते हैं?

श्री जयनारायण सालोदिया : फिर कहें कि संकटकालीन स्थिति है तो मैं मंत्रीगणों से और सरकार से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वाकई संकटकाल देश पर है तो आप भी तो उसका अनुभव कीजिये और संकटकालीन स्थिति देखते हुए जनता ने जैसा साथ दिया आप भी निष्पक्ष हो जाइये, सच्चा और सीधा जनता को न्याय दीजिये और डिपार्टमेन्ट्स के द्वारा जनता के उपयुक्त जो कार्य हो सकते हैं वह कीजिये। न कि दफ्तरों का और बोर्डों का गलत उपयोग करके जनता को एमर्जेन्सी के टाइम में परेशान करें, गलत तरीके से ट्रान्सफर करें, प्रमोशन दें और गलत आदमियों की नियुक्ति करें।

इस एमर्जेन्सी के टाइम में भी क्या क्या राजस्थान में किया गया है उसका एक ज्वलन्त उदाहरण में प्रस्तुत करना चाहता हूं। एमर्जेन्सी के नाम पर टोंक डिस्ट्रिक्ट के टोडारायसिंह के आदमियों को जिनके नाम हैं जगमोहनलालजी मोदी, भाई का लडका गोविन्दनारायणजी और घासीलालजी बसेड़ा वाले को, सुरक्षा के नाम पर जब कि पहले उन्होंने पैसा दे दिया था जिसकी रसीद मेरे पास है उनको एमर्जेन्सी में गिरफ्तार किया गया। टोंक डिस्ट्रिक्ट के टोडारायसिंह के ये दो सम्माननीय सेठ हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके हथकड़ियां लगवा कर गांव में फिरवाया ....

श्री बालकृष्ण कौल : क्यों?

श्री जयनारायण सालोदिया : क्यों? उनको बुलाया गया और कहा गया कि इतना रुपया दो। कहा कि ५००) रु० दो, आपसे ५००) रु० लेंगे। उन्होंने कहा कि ५००) देने की हमारी हैसियत नहीं है।

श्री ज्वाला प्रसाद (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, सम्माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसका प्रोसिजर और है। किसी को पकड़ने के लिये मजिस्ट्रेट वगैरह के आदेश होते हैं, उनको ऐसी बातों से कनेक्ट करना गलत होगा। ऐसी बातों को मान्यता नहीं दी जा सकती कि चन्दा नहीं दिया इसलिये गिरफ्तार कर लिया। अगर ऐसा होता तो भारत की जेलों में जगह ही नहीं होती। कोई रेकार्ड होगा। मेम्बर स्वयं मिल कर पता चला सकते हैं, उनको अधिकार है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह मैं फैक्ट्स रख रहा हूं। मैं खुद टोडारायसिंह गया था और मैंने इस की जांच की थी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऐसा हो सकता है किसी को तकलीफ हो, उसने कह दिया हो। अगर इस में सच्चाई है तो होम मिनिस्टर

Page No.86

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

साहब बतला देंगे । यह आप उनसे पूछ सकते हैं । सभी बातें सदन में कहने की नहीं होती हैं ।

श्री मानसिंह महार (आमेर): सच्चाई नहीं है तो होम मिनिस्टर साहब कह दें ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : गलत है तो होम मिनिस्टर साहब अभी कह दें ।

श्री जयनारायण सालोदिया : एमर्जेन्सी के नाम पर गवर्नमेन्ट ने क्या क्या काम किये, किस प्रकार से लोगों से जबरदस्ती चन्दा वसूल किया, वह मैंने आपके सामने रखा । इस प्रकार कई जगहों पर नाजायज बातें होती हैं ।

श्री गरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : दूसरे क्या काम हुए इस एमरजेन्सी के नाम से वह भी बता दीजिये ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब मैं विकास के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । राजस्थान के जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनसे हम विकास के नाम से पैसा लेते हैं वह पैसा ऐसी जेब में जाता है जो जेब फटी हुई है । जितना पैसा लेते हैं वह उस जेब में जाता है जो फटी हुई है इधर से डाला और उधर से निकल गया । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले अपनी जेब को सीयें टांका, लगवाइये । मैं वित्त मंत्री महोदय से नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी जेब को वे सीयें और टांकें लगायें । इसलिये आप पहले अपनी फटी जेब को संभालो ।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

आपने जो समय दिया अभी मैं उसी में बोल रहा हूं । अब मैं टैक्सेज जो आपने लगाये हैं उनके बारे में दो शब्दों में अर्ज करना चाहूंगा । हमारे यहां इस प्रकार से टैक्स लगाना आम रिवाज सा हो गया है । यह एक प्रकार से हमारी सरकार के लिये रामबाण चूर्ण सा बन गया है, जब भी नया बजट आये नये टैक्सेज का प्रावधान हम उसमें देखते हैं । आज यह कहा जाता है कि हमारे बजट में चार करोड रुपये की कमी है । पहले भी दो करोड़ की कमी थी । यह कमी क्यों हुई जब कि गत साल के बाद से बराबर टैक्स लग रहे हैं । आखिर आपकी कमी पूरी हुई या नहीं, इस पर भी आपने विचार किया या नहीं ? इस पर सरकार विचार करने के लिये तैयार नहीं । सरकार अपने पुराने तरीके अपने पुराने ढर्रे पर चलने की आदी हो गई है और उसने यही जरिया समझ लिया है पैसा कमाने का इसी तरह करती जा रही है । यह नहीं सोचा कि गत साल जो इतना रुपया लाये थे उसका उपयोग हुआ या नहीं उपयोग की तरफ सरकार कम ध्यान देती है । अगर हम उपयोग की तरफ ध्यान दें तो नये टैक्सेज के लगाने की जरूरत ही न पडे । सरकार को क्या; परवाह क्यों सरकार ऐसे पचडे में पडे ? जब उनको टैक्स लगाने का रामबाण चूर्ण मिल गया है, भरपट टैक्स लगाते जाओ । लेकिन टैक्स लगाते समय यह नहीं सोचते कि इन टैक्सेज का पब्लिक पर क्या असर पडेगा । जिनको हम लोगों ने वोट लेते समय आश्वासन दिया था उन सब को हम भूल गये । लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिये, जनता जागरूक है, आपकी हर बातों को जानती है-कौन हमारा प्रतिनिधि है और कौन सही प्रतिनिधित्व कर सकता है, वह सबका ध्यान रखती है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपना बजट पेश करते समय इस सदन को कुछ हकीकतों से परिचित कराया है उन्होंने अपने वित्तीय भाषण में हमारे विकासशील अर्थ व्यवस्था में टैक्स बढाने से "न बचा जा सकता है और न इसको टाला ही जा सकता है" कहा है । एमर्जेन्सी में मजबूरी इतनी आ गई कि उन्होंने यह भी कह दिया कि "चुनाचे नये टैक्स लगाने में उज्र की जरूरत नहीं होती" । लेकिन जो बातें इन तीन दिनों के दौरान में सुनने को मिली यदि वास्तव में वित्त मंत्री जी की बात सही होती तो उनको इतना ज्यादा सुनना नहीं पडता । आगे टैक्सेज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा "इनको मुन्सफाना ढंग से किस तरह से बांटा जाय," वह मुन्सफाना ढंग बताया है । उस मुन्सफाना ढंग की जो जलालत हुई है उससे वे शायद अब बेखबर नहीं होंगे ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह "जलालत" शब्द अन-पार्लियामेन्ट्री है ।

श्री नत्थीसिंह : जिस संदर्भ में मैंने कहा है उसमें नहीं है । मैंने आरग्युमेन्ट्स के लिये कहा है ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा: क्या लफ्ज दो तरह के होते हैं ?

श्री नत्थी सिंह: लफ्ज तो एक ही तरह का होता है, लेकिन उसका प्रयोग भिन्न भिन्न रूप में हो सकता है ।

दूसरी बात जो उन्होंने कही है उनका कहना है कि हम इस लिये टैक्स बढाना चाहते हैं, हमारे संविधान में कुछ निर्देशक सिद्धान्त दिये हुए हैं । उन सिद्धान्तों के आधार पर समाजवादी समाज की रचना के लिये देश की तरक्की साधन है उनको देखते हुए और तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं आपसे निवेदन करूं कि हमने ६१-६२ की साल में पिछले पांच वर्षों में विकास की किस मकसूद मंजिल हासिल की है वह बताना चाहता हूं :

"State income during the Se ond Plan period has increased by about 24./· and there by the per-.apita in ome has in reased from Rs. 262 in 1955-56 to Rs. 325 in 1960-61 at he current prices."

इस तरह से इन्होंने पिछले पांच सालों के अन्दर २६२ से ३२५ पर–केपिटा इन्कम बढायी है । दूसरे शब्दों में इन पांच सालों में ६३ रुपया पर–केपिटा इन्कम बढी है । इससे साल में १२ रुपया पर-केपिटा इन्कम बढाने में कामयाब हो गये । यह मन्जिले मकसूद हमने हासिल की है । उसके बजाय मौजूदा साल में रहन-सहन के दर्जे को बढाने के लिये हमने कितनी केपिसिटी छोडी है, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा ।

सात रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सेन्ट्रल टैक्स लेता है ।

दो और ढाई पर्सेन्ट आपका टैक्स, एक रुपया नेशनल डिफेन्स फण्ड, इसके अलावा पंचायत समिति और म्युनिसिपेलिटी के टैक्सेज अलग–इस तरह से सब मिलाकर १२ रुपये प्रति व्यक्ति हमने उनसे ले लिये । इसके बाद में जो ये टैक्स लगाये गये हैं उससे मार्केट प्राइस बढेगी । उसके अलावा मंत्री महोदय हमारे रहन सहन का दर्जा ऊंचा

(श्री नत्थीसिंह)
करने के करिश्मे और बतायेंगे जो बजट भाषण में दिखाये नहीं गये हैं ।

(४.०० म. पू.)

यही नहीं, आपने यह कहा है कि हम इसलिये टैक्स बढा रहे हैं कि हमारी खेती का उत्पादन बढे और इसके लिये उन्होंने संकेत दिया है उन्हीं हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का । इस लकीर को बहुत दिनों से वे पीटते चले आ रहे हैं । कोई नई बात नहीं कही गई ।

कहा गया सिंचाई के साधन बढावेंगे और इसके पैदावार में तरक्की होगी । यह भी कहा गया इनसे रिटर्न बाद में मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा । मैं कहता हूं आप ने इन पिछले दिनों में कहा हमने इसमें बडी तरक्की की। मैंने अभी थोडे दिन पहले इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि इस तरक्की का बटवारा कहां किस तरह से हुआ है। मैं बताऊं इसका बटवारा ८० प्रतिशत जनता पर टैक्स बढाने के बाद भी उस ८० प्रतिशत जनता के पास कुछ नहीं गया, उसकी तरक्की नहीं हुई । इससे ज्यादा फायदा उस बीस प्रतिशत को हुआ है, तरक्की उसकी हुई है जो एक तरह से शहरों में निवास करती है और बडी बडी जगहों में रहती है, इन पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ इनको मिला है । और इस बात को हमारे वित्तमंत्रीजी बिल्कुल भूल जाते हैं जब वे टैक्सों के मुन्सिफाना ढंग से वितरण की बात करते हैं । अपने मुंशियाना ढंग से टैक्सों का वितरण करते हुए वे इस तथ्य को भूल गये हैं ।

क्या आप भूल गये इन पिछले पांच सालों में जयपुर शहर की बडी तरक्की हुई है । बडी डामर की सडकें बनी हैं । चमचमाते हुए बिजली के गोल स्तम्भ यहां हैं, उदयपुर मैंने देखा नहीं, सुना है इन्द्रपुरी में वह नगरी परिणत होती जा रही है और यह सब हो रहा है किसानों के टैक्सों से वसूल की गई सम्पत्ति के बल पर । यह हालत इन शहरों की है । बात जरूर मुन्सिफाना ढंग से बांटने की कही पर उनके सारे बजट भाषण में यह कहीं इंगित नहीं कि किस तरह से वे अपने इस मुसिफाना ढंग को काम में लावेंगे । अगर उनके इस मुसिफाना शब्द को सही समझा हूं तो इसका मतलब है जुडीशयल ढंग से ।

बहुतों ने कहा है आपको समाजवादी समाज में चाहे विश्वास नहीं हो पर बात आप समाजवाद की आड में करते हैं । मैं यह नहीं कहता । मैं यह कहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री बहुत चतुर हैं । वे यह जानते हैं कि 'समाजवाद' शब्द हिन्दुस्तान में फैशनेबल हो गया है कि जो कुछ करना हो इसकी आड़ में करना चाहिये । इससे इधर उधर हटे तो बात नहीं सुनी जावेगी । समाजवाद के नाम पर आज मार्क्स का साम्यवाद यहां चलता है, समाजवाद के नाम पर लोहियाजी का समाजवाद अलग चलता है, अशोक मेहता का समाजवाद अलग चलता है और कांग्रेस में नेहरूजी का समाजवाद अपना ही है तो दूसरी तरफ मुरारजी भाई भी अपना समाजवाद चला रहे हैं । जब सेन्टर में नेहरू और मुरारजी का समाजवाद चल सकता है तो राजस्थान में कौल साहब का समाजवाद क्यों नहीं चल सकता । इसलिये उन्होंने अपना नया समाजवादी दर्शन दिया है । उनके समाजवाद का मोड़ गरीबी मिटाने के लिये नहीं है बल्कि समाजवाद का पूंजीवादीकरण-कर की तरफ है । पूंजीवादी समाजवाद की नई तैयारी इन

(श्री नत्थीसिंह)

टैक्सों के जरिये परफार्म की है। इसलिये आज जो जमीन पर काम करने वाला आदमी है उसकी जो अनइकानामिक होल्डिंग है उसको आप किसी तरह राहत देने को तैयार नहीं हैं। उन पर भी जरूर टैक्स बढावेंगे। पर दूसरे लोग जो हर तरह की आपकी योजनाओं से आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से फायदा उठाते हैं उन पर भार नहीं डालेंगे।

इस बजट भाषण के साथ साथ पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा यह भी कह रहे हैं कि जमीन पर कर तो बढायेंगे ही। इसके अलावा उनके पास चारा नहीं है। मैं पूछता हूं, आप जिस जमीन पर कर बढ़ा रहे हैं इस बात को तो आप हिम्मत से कह रहे हैं पर किसान की फसल जाड़े से पाले से मर जाती है तो उसको बचाने के लिये क्या सरकार ने अपने खर्चे पर सबसीडी देकर या और कुछ करके फसल-बीमा-योजना को क्रियान्वित करने की तैयार की है ? मैं समझता हूं जमीन पर टैक्स लेने की उनकी बात जस्टिफाइड होती अगर आप इस बात के लिये भी राजी होते। अगर साथ साथ यह कहते कि नहीं, किसान की फसल जब तैयार होती है और वह जब अपना माल लेकर बाजार में आता है तब भाव गिरते हैं, तो उन भावों को नहीं गिरने देने के लिये हम किसी भी प्रकार की योजना तैयार करेंगे और अमुक हद से नीचे भाव नहीं गिरने देंगे। अगर आप इस तरह की जिम्मेदारी लेते तो मैं समझता कि वित्त मंत्रीजी को गांवों में रहने वाले ८० प्रतिशत किसान जनता का ख्याल है। पर बजट भाषण में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है।

उनको तो रुपया चाहिये, और वह भी इसलिये चाहिये कि आंकड़े जो उनके बजट के हैं उन आंकड़ों के आधार पर कुछ घाटा पूरा करना और बाकी रह गया है और जैसा मैंने कहा उनकी यह योजना नगरोन्मुख है, ग्रामोन्मुख नहीं है। इसका अर्थ एक ही है कि मरे को मार और भरे को भर। यह पूंजीवाद को समाजवाद का चोला पहनाकर उन्होंने सदन में पेश किया है।

नहीं तो, मैं पूछना चाहता हूं कि जब कभी बात होती है, कहते हैं एक जगह नहर निकाल दी, छोटी सी फीडर निकाल दी तो यह दुहाई देकर कि किसानों के लिये फायदे की बात की है और उस पर बेटरमेन्ट लेवी लगा देते हैं। आप दूसरी तरफ कतई ध्यान नहीं देते कि नहरों से पानी किस तरह जाता है। कई गांवों में इतना पानी चला जाता है कि फसल सरसब्ज होने के बजाय बरबाद हो जाती है। सवाल पूछते हैं इसके बारे में तो आपके मन्त्रियों को पता ही नहीं, कहां क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछते हैं तो आपके सिचाई मन्त्री को पता नहीं। यह पता नहीं कि इनसे कितनी तहसीलों में खेतियां बरबाद हो गई हैं। एक तहसील के गांव का नाम बताकर रह गये। जहां ऐसी सरकार हो और वह गर्व समाजवादी होने का करे तो इससे ज्यादा अफसोस की बात और नहीं हो सकती।

अगर आपने गांवों में कुछ किया और उस पर बेटरमेन्ट लेवी की बात करते हैं तो जरा नगरों की तरफ भी चलते और इस लेवी के आधार पर नगरों में भी कुछ करते। मैं बताऊं, आपके कांग्रेसी दोस्त, जो दूसरे प्रान्तों में रहते हैं, उन्होंने हिम्मत की है इस तरफ। काम किया है उन्होंने। मैं अपनी बात नहीं कहता, इधर समाजवादी तरीकों से सोचने वालों की बात भी नहीं कहता। आपके

(श्री नत्थीसिंह)
कांग्रेसियों की बात कहता हूं जो अपने तरीकों से सोचते हैं। पर उनमें हिम्मत है। मैं केवल मैसूर के अरबन........

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं तीसरा व्यक्ति हूं जो निर्दलीय हूं। समय देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप ५ मिनट में समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री नत्थीसिंह : यह समय तो बहुत थोड़ा है, उपाध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : दस मिनिट दे दीजिये।

श्री नत्थीसिंह : उन्होंने अर्बन इम्प्रूवमेंट के बारे में बेटरमेन्ट लेवी का एक कानून पास किया है। आपने उस कानून के स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहा है : "A considerable amount of 'shy' money and sums saved by escapement of taxes is at present going into property deals in the cities and larger towns in the State. The value of buildings and sites in cities like Bangalore and even in places like Mangalore, Hubli, Belgaum and Devanagar has risen to unprecedented levels out of all proportion to their real worth. Speculative business in urban properties has developed into a regular trade, if not a racket, and those who make easy money out of it are also successfully escaping all taxes. Instead of the profiteering middlemen being allowed to enrich themselves at the cost of society and make fabulous incomes by speculation, the State should try and take a part of the caboodle through taxes."

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह कहां से लाये आप ?

श्री नत्थीसिंह : आप लाइब्रेरी में जाते तो आपको भी मिल जाती। मैं नम्बर बताऊं ? "While there can be no disagreement as to the desirability of taking this kind of unearned increment, the only question for consideration is how it may be tapped. All the States have Betterment Levy Acts on the Statute Books for the recovery of a part of the increased value of lands due to irrigation facilities.

(श्री वित्त मंत्री के अन्य सदस्य से वार्तालाप करने पर)

वित्त मंत्रीजी ध्यान से सुनें। आपके दोस्त कह रहे हैं :

'If a levy of contribution from agriculturist owing to irrigable lands is justified, there is greater justification to take away a share of speculative rises in the values of urban properties of social origin."

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : अक्ल की बात तो सुन लीजिये।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य :(उप मंत्री, शिक्षा) : सुन रखी है। On a point of order, Sir, प्रश्न यह है उपाध्यक्ष महोदय कि बिल के

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
आब्जेक्ट्स और रीजन्स आप ले आये हैं। It is a Bill. मैं मान सकता था, अगर यह इनेक्टमेन्ट एक्ट होता तो और तब आप सदन को भी गाइडेन्स दे सकते थे ; but it is in the process of enactment.

श्री नत्थीसिंह : It is an Act. ६२ में पास कर दिया है। आपकी सूचना के लिये बता देता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : If it is an Act then the extract cannot be read here. There must be original copy from which extract can be given. We have our own rulings and observations that nothing should be read from paper unless the original is produced.

श्री नत्थीसिंह : मैं ओरीजिनल की नजीर दे रहा हूं।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि उन्होंने सब पर टैक्स लगा दिया है, सिर्फ ६००) रु० साल की आमदनी वालों को मुक्त रखा है। आप भी अगर ऐसा बिल लाते तो इस तरह के लगान पर टैक्स लगाने करने की जरूरत नहीं पड़ती।

दूसरी बात जिस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है पशु-कर के सम्बन्ध में। हमने पहले बड़ी मुश्किल से कस्टम ड्यूटी से छुटकारा पाया और भरतपुर में तो एक स्वामी इसके आन्दोलन के सिलसिले में मारे गये। आपने फिर पशुओं के ऊपर टैक्स लगाया है। एक ओर तो आप संविधान की दुहाई देते हैं, पंजाब और यू. पी. के लोग यहां राजस्थान में बड़ी बड़ी जगह पाते है उनके ऊपर तो आप कोई पाबन्दी नहीं लगाते। उनके लिए आप कह देते हैं कि संविधान में छूट है और दूसरी तरफ आप राजस्थान के जानवर भी बाहर न जायें इसके लिए टैक्स लगाते हैं, उनके ऊपर आप जरूर प्रतिबन्ध लगा देंगे। यह कहां का रीजनिंग है?

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय के बजट भाषण में एक बात और कही गयी है कि जो डाइरेक्ट टैक्सेशन है वह तो सेन्टर के बजट में आ गया और हमारा काम है कि हम राजस्थान के लेवलिंग को अप करें। सेन्टर के फाइनेन्स मिनिस्टिर ने केरोसिन ऑइल पर, माचिस पर टैक्स लगाया इनसे तो राजस्थान का लेवलिंग डाउन हुआ है और आप जवार, मक्का और बाजरे के ऊपर टैक्स लगाकर राजस्थान के लेवलिंग को अप कर रहे हैं। इस तरह से आप करना क्या चाहते हैं? इन सब के बावजूद आप लोगों को देन क्या चाहते हैं? सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं की बात आप कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भरतपुर के मामले में कहूं कि गुडगांव कैनाल का दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान था और उसके लिए २ करोड रुपये का प्रावधान था और इस योजना में इसके लिए ९५ लाख रुपये का था और इस साल वह ७ लाख का है; लेकिन एक पैसा उसमें खर्च नहीं होता। दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि गांवों को बहुत बड़ी मदद के तौर पर हर एक ग्राम पंचायत को एक एक ग्राम सेवक दे रहे हैं, इससे काया पलट हो जायेगी। अभी दो हजार ग्राम सेवक हैं और उनको आप साढे पांच हजार लाना चाहते हैं जिसके

Page No.92

(श्री नत्थीसिंह)

ऊपर खर्चा ७५ लाख रुपया सालाना आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपमें हिम्मत क्यों नहीं है? विकेन्द्रीकरण की योजना को शुद्ध बनाया जाना चाहिए, वह अभी तक अशुद्ध पड़ी है। आप पंचायतों की आमदनी के साधन उनको क्यों नहीं देते हैं? एक तरफ कहते हैं, हम विकेन्द्रीकरण की पालिसी पर चलना चाहते हैं तो मेरा यह कहना है कि आप पंचायतों को लैण्ड रेवेन्यू दे दें और उनके ऊपर ही आप छोड दें कि वह किस तरह से अपनी योजनायें बनाती हैं और अपना काम चलाती हैं।

आपने इतने सेक्रेट्री ट्रेण्ड किये ग्राम पंचायतों के, वह संख्या सैंकडों की है और उनको आपने ग्राम पंचायतों में लगाया और उनको कन्फर्म ग्राम पंचायतों ने किया और अब आपको नयी बात सूझ गयी कि ग्रामसेवक ही अच्छे हैं उनको हटाओ। मैं समझता हूं कि इसका यह मतलब साफ होता है कि गांव के लेवल पर जनप्रतिनिधित्व के हाथों से ताकत जा रही है, आप एक तरह से अपना एजेन्ट बैठा देना चाहते हैं और वह इसलिए कि उनके हाथों में ताकत न जाये। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप यह चाहते हैं कि आपकी अर्थ व्यवस्था बढे और गांव के आदमियों के रहन-सहन के मापदण्ड को उठाना चाहते हैं तो वह तभी हो सकता है जब कि आप उनको तरक्की करने के साधन दें।

आप कहेंगे कि हमने कॉपरेटिव सोसाइटीज के जरिये उनको सहायता दी है। यह बैंक ऑफ इन्डिया की रिपोर्ट है और १९६० का बुलेटिन लाया हूं उसमें यह कहा गया है कि राजस्थान में तमाम गवर्नमेन्ट एजेन्सीज के जरिये जिनमें कॉपरेटिव सोसाइटीज हैं, पंचायत समितियां भी शामिल हैं, केवल जो उत्पादन के लिए ऋण चाहिए और कामों के लिए नहीं उसका ८ पर्सेन्ट आप देते हैं। ९२ पर्सेन्ट लोग पैसा मनी-लैण्डर्स के पास लेने के लिए जाते हैं, जिनके ऊपर टैक्स लगाने की बात एक माननीय सदस्य ने कही थी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आपका ध्यान इन बातों की तरफ नहीं जायेगा, आपका ध्यान तो इस तरह की बातों पर जायेगा कि ग्राम सेवक दे दें उसको कॉपरेटिव सोसाइटीज का भी मालिक बना दें ताकि गांव वाले न पनप सकें।

आपने अपने बजट भाषण में यह इशारा किया है कि आप जल प्रदाय योजनाओं के लिए ६० लाख में से २० लाख गांव को देंगे और ४० पर्सेन्ट शहर को देंगे। यानी जो ७२ प्रतिशत जनता है उसको तो कुल राशि का १।३ और जो १८ प्रतिशत है उनको २।३-इसके जरिये आप तरक्की करना चाहते हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

यही नहीं आज राजस्थान का व्यापारी है उसको भी आप तरजीह नहीं देना चाहते हैं, उसको भी नीचे गिराना चाहते हैं। कई सज्जनों ने तिलहन के विषय में कहा। भरतपुर में जो आइल का ट्रेड है वह बढ रहा है लेकिन आपने जो उसके ऊपर टैक्स लगाया है १ पर्सेन्ट सरसों पर की पैदावार पर लगा दिया और व्यापारियों के ऊपर २ पर्सेन्ट लगा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि बाहर का आदमी २ पर्सेन्ट के ऊपर खरीद कर ले जायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहां के तेल की खपत कलकत्ता में नहीं होगी

(श्री नत्थीसिंह)
और वहां का व्यापारी यहां से खरीद ले आयेगा २ पर्सेन्ट के टैक्स से। आपकी नीतियों से उद्योग-धंधे नहीं पनप सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (घेचट) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रपोजल्स पर पिछले ३ दिनों से सदन के विचार हमारे सामने आ रहे हैं। बजट की प्रतिक्रिया है वह सदन के सामने है और बजट का स्कोप इतना वाइड और डीप है कि इसकी जो प्रक्रिया सदन के बाहर है वह इससे भी ज्यादा गम्भीर है। वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में जो कर लगाये हैं और उनके जो कारण दिये हैं उनमें पहला कारण एमर्जेन्सी का बताया है। इस एमर्जेन्सी के सिलसिले में जो बातें नेसेसरी होती हैं उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एमर्जेन्सी में जो सबसे नेसेसरी बात उन्होंने समझी है वह डिफेन्स के बारे में कही है और दूसरी बात एमर्जेन्सी को सक्सेसफुली मीट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी की बात कही है। जहां तक डिफेन्स का ताल्लुक है और सिविल डिफेन्स है उसके सिलसिले में हमारी सरकार ने आर०ए०सी० के ऊपर और जो दूसरे डिफेन्स के साधन हैं उनके ऊपर पहले से ज्यादा खर्च करने का प्रावधान किया है। यह सौभाग्य की बात है, लेकिन आर०ए०सी० क्या है और सिविल डिफेन्स के ऊपर किस तरह से खर्च कर रहे हैं इसके बारे में और जो उनकी एफीशियेन्सी है, ट्रेनिंग है और दूसरी बातें हैं इसके बारे में भी खर्च करने के साथ साथ और बातें देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं पहले आर०ए०सी० की ट्रेनिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि जिस चीज के लिए पैसा मांगा जा रहा है क्या उसका काम अप टू दि मार्क है या नहीं है और हम किसके मुकाबिले में इन फोर्सेज को ट्रेन्ड कर रहे हैं। जो हमारे सामने हैं और एक्रॉसदि बोर्डर जो आदमी हैं उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनके ऑफिसर्स क्या हैं और जिनके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं १ करोड़ से ज्यादा, वह क्या वर्थ-व्हाइल है? क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज के ऊपर खर्च करने से पहले इन चीजों पर ध्यान नहीं देते कि उनकी एफीशियेन्सी बढ रही है या नहीं तो वह खर्चा १ करोड़ से २ करोड़ भी कर दिया जाये तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हमारे एक्रॉसदी बोर्डर जो पाकिस्तान की बोर्डर पुलिस है उसके ऑफिसर्स मोस्टली आर्मी ऑफिसर्स हैं और ब्रिगेडियर की रैन्क के हैं। हमारे यहां की इन्टलीजेन्स और दूसरी बातें हैं वह बहुत कम है इस लिए जो बोर्डर पर पुलिस रखी जाती है उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसमें हमको यह देखना है कि क्या खर्चे के लिए वे डिजर्व करते हैं जो राजस्थान सरकार उनके लिए भुगत रही है? और क्या उन पर जो ऑफिसर्स रखे जाते हैं वे भी प्रापर्ली ट्रेन्ड हैं या नहीं? आजकल हमारी सरकार का रवैया यह है कि जो आदमी सिविल पुलिस में किसी तरह से फिट नहीं किया जा सकता उसको बोर्डर पुलिस पर, जिनकी उम्र करीब करीब ५५ साल पहुंच गई है और जो लगभग रिटायरिंग एज के नजदीक पहुंच गये हैं, जिन्हें आर्मी का अनुभव नहीं है, और जो आर्मी को प्रापर्ली कमाण्ड नहीं कर सकते हैं, उनके नीचे रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स को रखा जाता है जो कि उनका मजाक बनाते

(श्री जुझारसिंह)

हैं। ऐसे आदमियों पर करीब १ करोड रुपया खर्च कर रहे हैं और किसी तरह से अगर एमर्जेन्सी का पीरियड खडा हो गया और कोई इवेन्चुएलिटी देश के सामने आ जायगी वह उसको मीट कर सकेंगे, यह एक विडम्बना है। इसके लिए राजस्थान को यदि काम करना है तो सीरियसली in the right earnest and in the interest of the country. करना चाहिए, केवल कागज का पेटा भरने से काम नहीं चलता है। इसी तरह की प्रिप्रेशन नेफा और लद्दाख में थी। वे इक्विपमेन्ट के लिहाज से अनप्रिपेयर्ड थे····

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री शिक्षा): On a point of order. यह एक कन्वेन्शन था पहले कि जहां तक आर्मी का प्रश्न जब कभी सदन में आया उस वक्त यह व्यवस्था दी गई है कि इस प्रश्न को नहीं लिया जाय। इसकी कई परिस्थितियां हैं, कई कम्प्लीकेशन्स हैं।····

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): You are very fond of points of order.

श्री निरन्जननाथ आचार्य: Sir, he has no right,

श्री विजयसिंह झाला You are Deputy Minister not the Deputy Speaker.

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोर्डर इन्सीडेन्ट्स के बारे में····

श्री जुझार सिंह: बोर्डर इन्सीडेन्ट के बारे में ही मेरा पोइन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष: एक पासिंग रेफरेन्स करें और अधिक डिस्कस नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर):— on a point of order, Sir. यह कौन सी व्यवस्था है कि बोर्डर के विषय में चर्चा नहीं करेंगे? कौन से रूल्स में आता है? क्या यह हमारा प्रिविलेज नहीं है कि हम बोर्डर प्राटेक्शन के बारे में यहां चर्चा कर सकें? माननीय अध्यक्ष ने जो रूलिंग दी थी उसका मतलब यह नहीं था कि चर्चा नहीं करेंगे। माननीय गृह मन्त्रीजी से जब चर्चा हुई थी तो इस बात का चेयर से प्राटेक्शन सीक किया था कि कुछ इस प्रकार की बातें नेशनल इन्ट्रेस्ट की हैं कि उनको सदन के सामने कहने के लिये मजबूर नहीं किया जाय, लेकिन बोर्डर प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में जितनी बात कहना चाहते हैं उतनी बात कहने का अधिकार है। लोक सभा में चाइनीज एग्रेशन के बारे में मेम्बर्स ने क्या क्या नहीं कहा। सरकार ने जो उचित समझा वह बताया, लेकिन जो हमारा राइट है, जो हमारा प्रिविलेज है हम उसको किसी भी प्रकार से छोडने को तैयार नहीं हैं। सरकारी दृष्टिकोण से जो जवाब वे देना चाहें वह दें।

श्री उपाध्यक्ष: इस सम्बन्ध में मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। मैं ने केवल माननीय सदस्य को संकेत किया है क्योंकि समय थोडा है और बजट के फाइनेन्स बिल पर ज्यादा प्रकाश डालना है, इसलिए उसके विषय में सरसरे से ही जिक्र कर दें और ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं बनायें।

श्री जुझारसिंह: श्रीमान, मेरा निवेदन यह है कि····

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) जो प्रश्न है वह····

श्री भैरोंसिंह : आप कैसे बोल रहे हैं? Point of order raise किया है क्या?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं पोइन्ट ऑफ आर्डर जो हाउस में रेज हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कौन से पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का कौन से सेक्शन में जवाब दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: The point of has been explained already.

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना था कि जो खर्चा हम कर रहे हैं, जिसकी मन्जूरी सदन से होती है उसका पूरा उपयोग हो। हम से जो खर्चा करवाया जाय वह सिर्फ खर्च ही नहीं करवाया जाय, उसकी यूटिलिटी नहीं होती है तो वह खेद की बात होती है। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जितना पैसा जनता से रेज करके राजस्थान सरकार बोर्डर पर खर्च कर रही है। उसके लिए ट्रेनिंग, इन्टेलिजेन्स, इक्विपमेन्ट और उनकी लीगल नालेज कम से कम आफिसर्स की लीगल नालेज एबाउट दी कन्ट्री बोर्डर उसी तरह की होनी चाहिए। अगर वह प्रापर्ली नहीं होती है तो उसका नतीजा अल्टीमेटली हमारे प्रान्त पर और हमारे देश पर पड़ने वाला है। इसलिए इस दिशा में जो सतर्कता बरती जानी चाहिए थी वह नहीं बरती जाती है तो मेरा निवेदन इतना है कि सरकार की तरफ से सतर्कता बरती जानी चाहिए।

दूसरा सिविल डिफेन्स और विलेज वालन्टियर्स कोर के बारे में यह है कि यह सब मखौल है। जो दलपति वगैरह आज सरकार द्वारा ट्रेन्ड किये जा रहे हैं, जिन पर इतना खर्चा किया जा रहा है तो दलपति क्या एक महीने में इतनी ट्रेनिंग ले पायेंगे कि वापिस गांव में जाकर लोगों को कुछ सिखा सकें और जो कुछ उन पर खर्चा किया जा रहा है उसको जस्टीफाई कर सकें। इस लिए जो कोई भी काम एमर्जेन्सी के पीरियड में पूरा करना है उसको सीरियसली करें और केवल प्रोपेगन्डा वैल्यू के पोइन्ट ऑफ व्यू से नहीं किया जाय। अगर आप नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से आपके फाइनेन्स परमिट नहीं करते हैं या और किसी तरह की दिक्कत है तो इससे बेटर है कि आप उस काम को नहीं करें और इतने बड़े आडम्बर को नहीं बढायें। लाखों आदमी तैयार नहीं करें और हजारों ही तैयार करें। जो कुछ किया जाय वह एफिशियन्टली किया जाय और ऐसे आदमियों के द्वारा किया जाय जो उस काम को करने के लिए उपयुक्त हों। यह मेरा निवेदन है और यह मेरा सुझाव है कि इन दलपतियों के स्थान पर रिटायर्ड आफिसर्स जो गावों में रहते हैं और जिनकी गांवों में प्रतिष्ठा भी है उनको गांवों में सिविल डिफेन्स और विलेज वालन्टियर्स का जो स्टील फेम क्रियेट किया जा रहा है उसमें उनका उपयोग किया जाना चाहिए। आर. ए. सी. विलेज वॉलन्टियर्स फोर्स और होमगार्डस की जो बातें की जाती हैं उन पर खर्च करने के लिए मैं मना नहीं करता हूं, खर्च होना चाहिए, They are essential things लेकिन जिस तरह से होना चाहिए, वह जिन आदमियों के पोइन्ट आफ व्यू से होना चाहिए वे आदमी कम्पीटेन्ट हैं कि नहीं यह देखना चाहिए।

(श्री झुझारसिंह)

इसी दिशा में विलेज वालन्टियर्स फोर्स के बारे में एक विद्वान् का कोटेशन देना चाहता हूं जो मेरे इस पोइन्ट को सपोर्ट करता है। अगर इस पर गौर करेंगे तो यह यूजफूल होगी। यह पोइन्ट है जो कि श्री के. एम. पन्निकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनकी एक किताब मे जो इंडिया के सिविल डिफेन्स के बारे में जिक्र किया गया है उसमें उन्होंने लिखा है –

"No less important for the purpose of building up civilian discipline is the utilisation of the retired army men. In a country like India, trained service-men carry in the country side a prestige and authority which are inestimable assets for the nation. If this prestige is carefully build up and civilian discipline in rural areas is organised around retired officers and men of the armed force, they would provide a steel-frame which could be of great use specially in times of crisis."

अभी टाइम्स ऑफ क्राइसिस ही नहीं। इसमें इन आदमियों की जो युटिलिटी होनी चाहिए और जो कन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और हमारी जो आर्गनाइजेशन हैं मैं समझता हूं कि....

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

अभी मैंने शुरुआत की है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्वाइन्ट यह है जिसके ऊपर मे बडी सूक्ष्मता से अर्ज करना चाहता हूं कि यह जनरल फीलिग है और बडी ही जेनूइन फीलिंग है सारी स्टेट में और इंडियावाइड कि हमारे यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव वेस्ट बहुत है और उस फीलिग को एक साधारण नागरिक, आप किसी से भी बाजार में बात कीजिये, आप पायेंगे और उसका भी यही फीलिंग है कि हमारे यहा पर एडमिनिस्ट्रेटिव वेस्ट है, मै उस चीज को पिन प्वाइन्ट तो नही कर सकता लेकिन कामन आदमी की फीलिंग है, उसकी जो भावना है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वह बिल्कुल [illegible] है। चुकी है कि इसमें क्रिमिनल वेस्ट है। इसमें मै निवेदन करूंगा इस बजट के संदर्भ मे कि जहा पर वेस्टफुल आइटम्स है उनको कम किया जाना चाहिए और कम किया जा सकता है और उनमें ओवरलेपिग आफ डिपार्टमेंट्स है उनको अगर कम से कम कट कर दिया जाय तो एफिशियन्सी मे नुकसान नही आयेगा। थोडी सी मै एक दो डिपार्टमेंट की मिसाल देता हूं जिनका थोडा बहुत भी मुझे तजुर्बा है। एक है स्वाइल कन्जरवेशन डिपार्टमेंट। स्वाइल-कन्जवेशन डिपार्टमेंट पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फारेस्ट डिपार्टमेंट दोनों का ही कन्ट्रोल होता है। कभी फारेस्ट डिपार्टमेंट उनके किसी आदमी की सर्विसेज को यूटिलाइज करना चाहते है तो कभी फा[illegible] डिपार्टमेंट की ओर आ जाता है और [illegible] एग्रीकलचर डिपार्टमेंट की ओर दोनों [illegible] कॉर्डीनेशन नही हो पाता है। [illegible] डिपार्टमेंट की यूटिलिटी नही रहती [illegible] उस पर जो लाखो रुपयों का फण्ड [illegible] that becomes a [illegible] यह सुपरफीशियल है कि दो दो जगह [illegible] एक ही जगह उसका कॉर्डिनेशन [illegible] चाहिए।

उसी तरह से सेटलमेन्ट और [illegible] सेटलमेन्ट और कन्सालिडेशन [illegible] हैं। कन्सोलीडेशन का काम सेट[illegible]

(श्री जुझार सिंह)

साथ साथ होना चाहिए। इस डिपार्टमेन्ट की सेपरेट आइडेन्टिटी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसी तरह से डाइरेक्टर आफ कालेज एज्यूकेशन का दफ्तर है। जब यूनिवर्सिटी के अन्दर में कॉलेजेज हो गये हैं तो सेपरेटली डॉइरेटर ऑफ हायर एज्यूकेशन और डाइरेक्टर आफ कालेज एज्यूकेशन क्यों रखे जाय? यह दूसरा पाइन्ट है जो ओवरलेपिंग और वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर है, डिपार्टमेन्ट का डुप्लीकेशन होता है। इसमें कमी करने की जरूरत है।

तीसरा मेरा पोइन्ट यह है कि जो एग्रीकल्चर सेस लगाया गया है, २ पर्सेन्ट टैक्स लगाया गया है और जो जानवरों पर टैक्स लगाया है यह मोस्टली कल्टीवेटर्स पर इफैक्ट करने वाला है और इस संदर्भ में कल ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया श्री एस. के. पाटिल ने अपने भाषण में जो विचार व्यक्त किये थे, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी वहां पर उपस्थित थे, इस बडी समस्या को बहुत शोर्ट में बता देता हूं....

श्री बालकृष्णकौल : You are quoting scriptures.

श्री जुझारसिंह : They are very valid in the context of the taxes that you are levying.

तो वह जो हमारी इकानोमी है उन्होंने कहा कि इन्डियन इकॉनोमी में कन्ज्यूमर्स के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, काश्तकारों पर कम ध्यान दिया जाता है। इस सिलसिले में उन्होंने जो बातें बडे मुद्दे की कही थीं वह यह कही थीं कि इन्डिया जिन कन्डीशन्स में आज गुजर रहा है उसमें ५० या १०० वर्षों तक एग्रीकल्चर इकॉनोमिक रहेगी और इसलिये एग्रीकल्चर इकॉनोमी को प्रोत्साहन देना हमारा प्राईमरी एम हो जाता है। उनको प्रॉटैक्शन देने की हमारी इकॉनोमी होनी चाहिये न कि उनको बरबाद करने की। जो हमारे बजट में किया है वह एग्रीकल्चर को एफेक्ट करने वाला है। इसलिये इन कर-प्रस्तावों को सदन को मन्जूर नहीं करना चाहिए और वित्त मन्त्रीजी को भी इन्हें विथड्रा करना चाहिए।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member on the extreme.

श्री जोरावरसिंह (करणपुर) : पंजाबी में भाषण प्रारम्भ किया)।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य या तो हिन्दी में बोलें या मारवाडी में बोलें। पंजाबी में यहां कोई समझ नहीं पायेगा।

श्री ज्वाला प्रशाद शर्मा (नसीराबाद): मादरी जबान में बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए क्योंकि बजट स्पीच भी मादरी जबान में लिखी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please इसमें ऐतराज नहीं है कि कोई भारतीय भाषा में बोलें, लेकिन वही भाषा बोली जानी चाहिए जिसको ज्यादा लोग समझ सकें।

श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव (बयाना) : फिर अंग्रेजी में नहीं बोलने की घोषणा कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : It shall be difficult for the Reporters to record it.

मैं माननीय सदस्य से और निवेदन कर दूं कि यदि वे दूसरी भाषा में नहीं बोल सकते तो जो कुछ भाषण वे यहां दे रहे हैं उसका अनुवाद हिन्दी में अवश्य लिख कर भेजने की कोशिश करें।

श्री जोरावरसिंह (पंजाबी भाषण का हिन्दी अनुवाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट का असर गरीब किसान, मजदूर व मध्यम वर्ग पर बहुत बुरा पड़ा है। इस संकट के समय किसानों ने बहुत उत्साह के साथ तन, मन व धन के साथ सरकार का साथ दिया है। उसका क्या फल मिला? उसका फल यह मिला कि किसानों पर करों का बोझा और डाला जावे। आज किसान की क्या हालत है उसको नजर अन्दाज किया है।

गंगानगर के नहरी इलाके के काश्तकारों को बहुत नुकसान पहुंचा इसके अलावा किसान की पैदावार क्या है? सरकारी खेतीबाडी के फार्म जो हर तहसील में सही बयान करते हैं। सरहद पर रहने वाले लगभग सभी लोग गरीब हैं। उन लोगों ने अपने गाढे पसीने की कमाई की बचत से हथियार खरीदे हुए हैं और पुलिस के रजिस्टरों में दर्ज हैं। सरकार ने आज तक उनका लाइसेन्स नहीं बनाया उनको हर समय पुलिस परेशान करती है इसलिये सरकार को लाइसेन्स जल्दी से जल्दी बना देने चाहिए। मैं इसके साथ और भी निवेदन करता हूं कि हमारी पड़ोसी पंजाब सरकार ने सरहद के लोगों को हथियार लाने की पूरी छूट दी है और सबके लाइसेन्स बनाती है। काश्तकारों पर तरह तरह की पाबन्दियाँ लगी हुई हैं। सरकार ने १९५९ की गिरदावरी का झगडा पैदा कर दिया है जिससे हरएक काश्तकार परेशान है। उसके अदालत में गिरदावरी के बारे में इन्कार करने पर भी एस. डी. ओ. व तहसीलदार गिरदावरी दुरुस्त नहीं करते हैं। सरकार ने भूमिहीन काश्तकारों को जमीन देने में काफी ढिलाई बरती है। सरकार से निवेदन है कि इस माह में जमीन का एलाटमेन्ट हो जाय तो अच्छा होगा।

अपने खेत में जो पेड खेती की पैदावार को नुकसान देता है उसको काटने की इजाजत लेने के लिए बडी परेशानी का व खर्चीला रास्ता है। ट्रेक्टर पर टैक्स लगाना भी ठीक नहीं। यह किसान का हथियार है। इस पर कानूनी पाबंदियां बहुत हैं जिससे कि पुलिस काश्तकारों को बहुत परेशान करती है।

इसलिये निवेदन है कि जो भी इस पर टैक्स लगाया जावे, लैन्ड रेवेन्यू के साथ वसूल किया जावे।

सरकार गरीबों को ऊंचा उठाने की दुहाई देती है। मेरी समझ में तो यह है कि इनके गले में रस्सा बांध कर लटकाया जावे तो ऊंचे हो सकते हैं।

गरीब काश्तकारों के पास टैक्स देने की शक्ति समाप्त हो गई और जो दे सकते हैं उनसे सरकार लेना नहीं चाहती।

सरकार इस सत्य को जानती है कि कौन लोग टैक्स दे सकते हैं। मगर सरकार उनसे

(श्री जावन्द सिंह)
भय खाती है। इसलिये उनके बजाय गरीब किसानों पर लगाया जाता है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस स्थिति में देश है, एक संक्रान्ति काल से देश गुजर रहा है, उसके अन्दर हम इस सदन में विशेष महत्व के साथ इस बजट के ऊपर दो रोज से मुतवातिर और आज पूरे दिन से बहस कर रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि बहुत सदस्यों ने अपने जो विचार रखे हैं, वे बड़े महत्वपूर्ण हैं लेकिन उन्हें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि वे कई मतबा अपने महत्वपूर्ण विचार यहां पर रख चुके हैं और उनका हश्र जो कुछ होता है वह आपको और मुझे मालूम है। मैं यह भी कहूंगा कि इसके साथ की कुछ तकरीरे कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े भावपूर्ण ढंग से देश की वर्तमान स्थिति के बारे में कीं और जिन शहीदों के नाम लेकर हमारे सामने अपने विचार रखे, उन्हें सुन कर हमको राजस्थान का गौरव हुआ और हमारा दिल ऊंचा हुआ। बल्कि जिस स्थिति में राजस्थान ने इस काल के अन्दर धन से, तन से, और मन से राष्ट्र की सेवा की है और उसे जिन भावपूर्ण शब्दों में एक बहिन ने रखा, उसे सुन कर गौरव से छाती फूल गई ?

इसके साथ-साथ मैं आपसे कहूं कि कॉंग्रेस एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है और उसकी कुछ भी स्थिति रही हो, उसके सिर पर जो जिम्मेदारी आई है उसको निभाने की बात उसके अन्दर रही है। यही वक्त नहीं, बल्कि कांग्रेस के सामने कितने ही वक्त आये, कितने ही वक्त आकर चले गये। कई बार ऐसे वक्त आये और अंग्रेजों ने समझा कि कांग्रेस खत्म हो गई है। अंग्रेजों ने कांग्रेस के लोगों को पकड कर बन्द कर दिया और लोग यह समझ कर मुस्कराने लगे कि कांग्रेस खत्म हो गई है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस ने वक्त को अच्छी तरह से समझा है, बल्कि मुल्क का, देशभक्ति का तकाजा है, उसको वह करके रहती है। उससे पीछे नहीं रहती है।

श्रीमन् मैं इन शब्दों के साथ, यह बजट जो सरकार का है, उसका समर्थन करने के लिये आपके सामने खडा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं आपके सामने यह रखूं कि मैं इस बात से वाकिफ हूं कि इस सदन के अन्दर एक सदस्य ने भी इस टैक्सेज के जो जो मीजान हैं उनका समर्थन नहीं किया है। मैं इस बात से वाकिफ हूं लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जब मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा तो आप सब किसी हद तक मेरी बात का समर्थन करेंगे। इसका कारण यह है कि इस बजट की तकरीर देना जब वित्त मंत्रीजी के सिर पडी, उससे उधर वाले ज्यादा समझते है, वे विशेष योग्यता रखते हैं— यह मुझे नहीं मालूम लेकिन हमारे तो वह तकरीर पूरी तरह से समझ में नहीं आई। हमारी भाषा तो वह है जो भाषा राजस्थान के सब लोगों के समझ में आती है। उनकी कौनसी भाषा थी, यह आप, हम—जो जनता के रिप्रेजण्टेटिव हैं, अन्दाज लगा सकते हैं। मैं सरकार से पहली मांग करता हूं कि हमको सरल भाषा की आवश्यकता है और किसी बात की नहीं। पर एक मुंशियाना, क्या कहा था आपने, एक मुंशियाना तकरीर थी। उसके अन्दर यह कहते हैं कि मुंशियाना ढंग बहुत अच्छा है लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना पडेगा, वित्त मंत्री साहिब,

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, आपकी मार्फत, कि आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह सदस्यगण जिस तरह के हैं, इनमें इस तरह के राजस्थान के लोग आये हैं, जिसके लिये राजस्थान की सरल भाषा के अन्दर आपकी बजट स्पीच होनी चाहिये, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने उसको घर जाकर पढा, तो मुझे यह लगा कि मैं आपको यह कह सकता हूं कि बजट बनाया है या बना है वह एक बात है लेकिन आपके वित्त मंत्री इस बजट को रखने के एक कारण मात्र हैं और मैं आगे यह कहूं कि इसके ऊपर पहले तो मैं इस बात की दाद देता हूं, वित्त मंत्री को कि इन्होंने बहुत ही पुरफरेब तख्खयुल से इसमें काम लिया है········

कई माननीय सदस्य: यह कौनसी भाषा है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: साफ है। 'पुर फरेब तख्खयुल' शब्द आपके लिये कठिन है और तकरीर की भाषा साफ थी। आप मुझसे बदला लेते हैं, जिस दिन वह तकरीर हो रही थी, किसी को उठने की हिम्मत नहीं पडी थी। आप इस बात से इन्कार नही कर सकते कि आप इसे समझते हैं। मेरी मान्यता है कि पुरफरेब तख्खयुल से काम लिया है और अपनी इस बात को कहने में······

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप इन्सिस्ट कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि आपके वह तकरीर समझ में आ सकती है और पुरफरेब तख्खयुल समझ में नहीं आता है तो फिर आपने तकरीर क्या समझी थी ?

श्रीमान्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस सिलसिले में कि आज तो जितना वक्त है उस वक्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक पहेली ही आपको दे देना चाहता हूं। उसके बाद कल कृपापूर्वक आप जब मुझे मौका देंगे, तो मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा और इस बात से रखूंगा कि जो कुछ हमने किया है, वह अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर किया है। यह बजट बनने के पहले की बात है, बात यह हुई थी कि तीन लोग, यह सर्किट हाउस की बात होगी, सोने गये। जब वे सो गये और उनको नीद आगई। क्योंकि उनको परेशानी बहुत थी, इसलिये उस परेशानी के अन्दर क्या हुआ कि आंख खुल गई। आंख खुल गई तो देखा कि दिन निकल आया है। उन्होंने सोचा कि दिन निकल आया है। वैसे थोडा आवागमन था। दूसरा सो रहा था। उसको कहा, सुबह हो गई, तुम सब घोडे बेच कर सो रहे हो। जब दूसरा उठा, उसने उठने के बाद कहा अबे, क्यों उठाता है। यह तो चांद निकला हुआ है। आज कोई अमावस्या नही है। उन दोनों मे यह झगडा चला—एक कहता था कि चांद है, दूसरा कहता था कि सूरज है तीसरा जो सो रहा था, उसको भी उठाया। उसने कहा—उठो भाई, तुम बतलाओ, हममें यह झगडा हो गया है कि यह कहता है कि यह सूरज है, और मैं कहता हूं, चांद है····

एक माननीय सदस्य: यह लोग कौन थे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं कह रहा हूं, अभी पूछने की बात कहां से आई। आप

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

बीच में मत बोलिये, मेहरबानी रखिये। मैं भी समझ रहा हूं, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्रीमान्, पहले ने कहा, सूरज है। दूसरा उठा, उसने कहा--सूरज नहीं, चांद है। क्यों नींद खराब करते हो। तीसरा बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। उसको उठा दिया। वाकई वह चांद था, लेकिन उसको सूरज समझ कर उठा दिया। सूरज समझने वाले ने कहा चांद नहीं है सूरज है। तो उन दोनों में झगड़ा बढ़ा। तीसरा उठा, वह गहरी नींद में था। उससे कहा, यह बतला दो, हमारा थोड़ा फैसला करदो, नहीं तो झगड़ा होता है। उसने कहा, भाई, मैं तो परदेशी हूं, न मैं चांद को जानता हूं और न सूरज को जानता हूं।

तो श्रीमन् मैंने कहा, पुरफरेब तखय्युल··

श्री भेरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): आप यह तो बतादें कि यह पुरफरेब तखय्युल कोई गाली तो नहीं है? यह पार्लियामेन्ट्री शब्द तो है न?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: पुरफरेब तखय्युल पर बहुत अच्छी बहस यहां हो चुकी है। यह कोई गाली नहीं है, यह पार्लियामेन्टरी शब्द है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसके साथ साथ·······

एक माननीय सदस्य: तो आप चांद बताने वालों में से हैं या नहीं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैंने आपसे कहा कि उसने कहा कि मैं तो दोनों को नहीं जानता। मैं तो परदेशी हूं। बजट कहां बनता है उसके बाद कहां कहां जाता है और कौन पेश करता है यह सभी जानते हैं। इसमें काम जो करते हैं वह बेसिकली ठीक है लेकिन यहां जो कहा गया है वह ठीक नहीं है। लेकिन उसको सत्य बनाने के लिये जो समझाया गया है वह मैं समझता हूं कि वह गलत है और जिस समय इस बजट को लाने के सही बात और सही कारण सदन के माननीय सदस्यों के सामने आ जावेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इस कांग्रेस को जिस तरह से चलाना है उसे चलाने में समाजवादी समाज की व्यवस्था को कायम रखना है तो उसकी डिटेल में नहीं जावें और मैं भी सरकार से निवेदन करूंगा कि जो बातें आपकी तरफ से हुई हैं उस पर भी सरकार गौर करे और मैं साबित करूंगा कि ये सारी चीजें जो आपके सामने रखी गई हैं वे एक ढंग से रखी गई है और उसको आपको पूरी तरह मानना पड़ेगा कि कांग्रेस अपने विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहती है और वह उन्हें आगे बढ़ा कर ही रहेगी और ऐसे संकट में और भी कोई संकट आवे उसके लिये कांग्रेस जितना आगे बढ़ कर चली है उतनी कोई दूसरी पार्टी आगे नहीं चल सकती। अगर यह मान लिया जावे कि कांग्रेस ने रुपये में १२ आना या १० आना या ८ आना या चार आना या दो आना या कुछ भी काम किया है, कुछ तो किया ही है। मैं कहता हूं कि इस देश के अन्दर अगर रुपये में दो आने भी काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। किसी दूसरी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। वे यह कह सकते हैं कि उनको अवसर नहीं मिला। चाहे जनता ने किसी दूसरी पार्टी को मौका

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

नहीं दिया हो, मगर जितना काम कांग्रेस पार्टी ने किया, दूसरों ने नहीं किया है। इसलिये जो कुछ कार्य किया गया है देश के लिये, उस सबका श्रेय कांग्रेस सरकार को है और इस पर सबको गौरव होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : चेयर्स (Chairs) की ताकत भी तो रहती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चेयर्स (Chairs) की ताकत रहती है वह तो ठीक है मगर फिर भी जिस तरह से उससे हुआ है कार्य किया ही है।

अब इसकी सफाई में नहीं जावें तो अच्छा है कि किसने क्या किया?

तो मैं आपके सामने कुछ पहलू रखूं। मैंने सोचा था कि इस देश राजस्थान में प्रत्येक सामान्य सदस्य को कहूंगा तो व्यक्तिगत ढंग से वे मेरी बात को सुनेंगे। हमारे राजस्थान में कई दिक्कतें हैं और आप और हम आए। दिन, दिन-रात दिक्कतों की चर्चा यहां सदन में करते रहते हैं और उसके बाद हम अपने कर्तव्य को पूरा हुआ समझ कर चले जाते हैं। उसके बाद हमारी बात का कोई पता नहीं चलता कि उसका क्या हुआ? मैं यह कहूंगा कि हम जब एक लाख व्यक्तियों की तरफ से चुन कर आते हैं तो जिस समय दो आदमी बोलते हैं तो हमें यह समझना चाहिये कि ये दो लाख आदमियों की आवाज है। जब कोई भी आदमी यहां बोलता है तो मैं यह कहूंगा कि वह एक ही आदमी की जुबान से नहीं बोलता है बल्कि एक लाख आदमियों की जुबान बोलती है। इसलिये मैं समझता हूं कि राजस्थान में जब हम दूसरों की बातें करते हैं कि उन्होंने यह नहीं किया तो हमें समझना है कि एक लाख व्यक्ति कह रहे हैं। आज एमर्जेन्सी के नाम पर अगर वह यह समझें कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या करता हूं और मुझे क्या करना चाहिये इन पर ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि हम एमर्जेन्सी में देश के दुश्मनों के साथ लडने में ज्यादा मदद करेंगे।

मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं उपाध्यक्ष महोदय, और मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा और पहली बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जिस समय यहां पर कुछ कहते हैं तो उनका दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। अगर कोई बुरी बात होती है और आप उसको बुरा बतलाते हैं तो मैं भी आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हम कोई भी बुरी बात है उसे उतनी ही बुरी मानते हैं जितनी आप मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो यहां की प्रोप्राइटी को देखते हुए नहीं कर सकते। हम सारी बातों से ऊपर नहीं उठ सकते। हम आखिर इन्सान हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिये और इन्सानियत के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को इफेक्टिव बनाइये और जितने प्रयत्न हम इसके लिये कर सकते हैं, करें और इस सदन को इफक्टिव बनावें। हम लोग यहां हमेशा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की बातें करते हैं लेकिन इस तरह की बातें करने से यह भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं। भ्रष्टाचार के लिये माननीय सदस्य जिम्मदारी से बात करते हैं उनसे मैं यह अपील करूंगा कि वे भ्रष्टाचार के मामले में जब पकडा जावे उस समय ऐसा पकडें कि जैसे किसी ने किसी का गला पकड लिया हो। उसको छोडें नहीं और जब तक वह बात निकल न जावे।

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

हवा में चलने से उल्टा लोगों को बच कर निकलने का मौका मिलता है। हम जब अपील करते हैं तो प्रोप्राइटरी की बात कहते हैं मगर हमारे पास पूरे साधन नहीं होते जितने गवर्नमेन्ट के पास होते हैं, उससे गलत बात भी निकल सकती है लेकिन यह जवाब का तरीका क्या है कि सही बात का जवाब भी ठीक नहीं आ पाता। हमको यह तय करना है कि हम सही चीज का जवाब लेने की कोशिश करें और जो बात हम यहां सही रखते हैं उसका सही जवाब लें।

इसके बाद मैं तीन इन्सटेंन्सेज में आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला इन्सटेंन्स है, मुझे आश्चर्य होता है, जिस समय ऐसी बात कही जाती है, हमारे नेता महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं, वे भी उस समय यहां पर थे अगर कोई गलत बात कही जावे तो उसका समाधान करना चाहिये। हमारे सर्वोपरि राधाकृष्णन जो पहले राज्य सभा के चेयरमैन थे और आज हमारे सम्माननीय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने राज्य सभा में एक समय रूलिंग दिया उसका हवाला देते हुए मैं कहूंगा कि ट्रेजरी बेंचेज के खिलाफ यदि कोई एलिगेशन आवे तो उनको हमेशा डिनाई करना चाहिये, नहीं तो वह चीज सारी जगह हवा में घूम जावेगी। जो बातें हमारे यहां पर होती हैं वे रेकार्ड होती हैं और जिस समय पचास या सौ साल बाद हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी इस रेकार्ड को पढ़ेगी तो वह समझेगी कि यह बात सही थी तभी तो इसका कोन्ट्राडिक्शन नहीं किया गया। ५० या १०० साल के बाद कौन जानता है कि क्या होगा? कोई किसी का ठेका नहीं है, किसी पार्टी ने कोई ठेका नहीं लिखाया है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आने वाली संतानें जब आपकी इन प्रोसीडिंग्स को पढ़ेंगी तो वे हमारे पर क्या लांछन लगावेंगी, इसके लिये हमें पहले से ही एलर्ट रहना चाहिये। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके जरिये ही हमारे अधिकारों की रक्षा होती है, हमारे अधिकारों की रक्षा करना आपका अधिकार है और आपसे जितनी हमारे अधिकारों की रक्षा होती है, आप करते हैं, फिर भी आपके जरिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस है उसकी जानकारी रखते हुए और सदन में जो होता है उसको देखते हुए कहूंगा कि आज पचासों एलीगेशन ऐसे ही सुनते रहते हैं और हंसते रहते हैं। (हंसी) हंसते हैं, इसमें हंसने की क्या बात है।

एक माननीय सदस्य ने कुछ समय पहले कहा और आप माफ करेंगे वे माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, उन्होंने फरमाया कि हमारी, प्रो इटी के खिलाफ कहा, उन्होंने कहा कि हमारे वित्त मंत्री पेराशूट से यहां उतरे हैं। मुझे खेद है कि उस समय हमारे नेता और वित्त मंत्री भी यहीं थे और सुनते रहे। कॉन्स्टीट्यूशन प्रोप्राइटी यह है कि वे पेराशूट से नहीं आ सकते। हम लोग किसी एक को अपना नेता (लीडर) चुन लेते हैं और लीडर अपनी पार्टी बनाता है। लेकिन इस बात को किसी ने समझा नहीं कि यह बात क्या है। जब यह बात सदन में कही गई है तो सदन की प्रोसीडिंग्स में होने से लोग यह समझ लेंगे कि कोई पेराशूट से ही उतरे होंगे। यह बात सही होगी। हमने इसके लिये कहने की कोशिष की। मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि इस

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)
तरह से कोई गलत बात कही जाए तो उसका फौरन डिनायल करना चाहिये।

मैं दूसरा इंसटेंन्स इसी प्रकार का आपके सामने रखूंगा, जिससे हम अपनी बात को..

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय पूरा हो चुका है। अगर सदन का समय बढाना चाहें तो बढा दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सदन का समय आध घण्टे के लिये बढा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय समाप्त हुआ।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म. पू. ११ बजे दिनांक १६ मार्च, १९६३ के ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

संक्षिप्त विवरण

गुरुवार, १४ मार्च, १९६३

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक २३९१

केरिया के बीरावा क्षेत्र, तहसील सांचोर के काश्तकारों पर किया गया जुर्माना।

कोयले का आवण्टन।

फालना व रानी उद्योग बस्तियों को पतरे।

तालाब और एनीकट से लघु सिंचाई के लिए ऋण।

लघु औद्योगिक सहकारी समितियां-नीम का थाना।

भाखरा क्षेत्र की भूमि नीलामी तथा अलाटमेंट से प्राप्त धनराशि।

सुकेत से सलावद (तहसील रामगंज मन्डी) तक लिंक रोड एवं पुलिया का निर्माण।

राजस्थान में सेल्स टैक्स से सन् १९६२-६३ से अनुमानित आय।

बागात में कार्य करने वाले हालियों की तनख्वाहें—अलवर।

अलवर कोआपरेटिव बैंक में डायरेक्टरों का चुनाव।

नीम-का-थाना पंचायत समिति द्वारा ग्राम सिरोही में शिविर।

पंचायत समिति नोखा द्वारा लगाये गये भूमि-कर।

स्तम्भ

विन्ध्यिन लाईम-स्टोन की लीजेज।

राजस्थान सेवा (सेवा सम्बंधी शर्तों का संरक्षण) नियमावली, १९५७।

आबकारी स्क्वाड द्वारा अनियमितताएं—नीम-का-थाना।

राजस्थान में जानवरों पर टैक्स

भोपालसागर शुगर मिल्स द्वारा गन्ने की खरीद।

सांभर साल्ट का कोटा—भरतपुर।

नीम-का-थाना में कालेज।

स्टोन पाउडर फैक्ट्री को ऋण—नीम-का-थाना।

लुहारों की सहकारी समितियां—जिला टोंक।

खादी उत्पादन सहकारी समिति लि० हिण्डौन द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र एवं बुनकरों तथा कतवारियों को दी गई रकमें।

माध्यमिक पाठशाला कूकडा में चपरासी।

राजस्थानमें मोंटेसरी किन्डरगार्टन शिक्षण संस्थाओं को सहायता।

राज्य में खुलने वाली सीमेन्ट फैक्टरियां।

सरकारी भूमी पर नाजायज कब्जे—जिला अलवर।

स्कम्भ

नॉन-गजेटेड तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर्स–जिला गंगानगर।

गांव बदरासर, तहसील बीकानेर के भूतपूर्व जागीरदारों के नाम खातेदारी भूमि।

कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का होम डिस्ट्रिक्ट में स्थानान्तरण।

पंपिंग सेट्स के लिये ऋण––सीवाना पंचायत समिति।

सज्जी खार के ठेके अनुपगढ़।

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, दिनांक १४ मार्च, १९६३)

आयव्ययक, १९६३–६४ २४५३

प्रथम अवस्था सामान्य वाद-विवाद

आय-व्ययक, १९६३–६४ पर सामान्य वाद-विवाद आज भी जारी रहा जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:––

१. श्री मोहनलाल सारस्वत
२. श्री जगनसिंह
३. श्री गंगासिंह

स्कम्भ

४. श्री बृजसुन्दर शर्मा
५. श्री अमरसिंह जासोल
६. श्री रविशंकर याज्ञनिक
७. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
८. श्री रघुनाथ विश्नोई
९. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
१०. श्री जयनारायण सालोदिया
११. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
१२. श्री जुझारसिंह
१३. श्री जावन्दसिंह

श्री ज्वालाप्रसाद बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे शुक्रवार, दिनांक १५ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शनिवार, दिनांक १६ मार्च, १९६३ की

कार्य-सूची

१. भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री जयनारायण व्यास के निधन पर श्रद्धांजलियां।

२. आय-व्ययक, १९६३–६४ पर अग्रेतर वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ का उत्तर देखिये)

प्रपत्र "अ"

निर्धारित माहवारी कोटे की तालिका

जनवरी, ६२ दिसम्बर, ६२

रेक सिस्टम द्वारा						परमिट सिस्टम द्वारा	
माह	जेड. आई. एस. वी. आर. के.।			बी. एम. एफ.			
	सिविल	जी. एम. एफ.	पी. डब्ल्यू.	केनाल	एस. एफ. आई.		
जनवरी	७५	७५	०	७५	१५०	७५	२८४ वैगन प्रति माह जनवरी से अप्रेल ।
फरवरी	७५	७५	०	७५	१५०	०	
मार्च	१५०	००	०	७५	१५०	७५	
अप्रेल	७५	७५	०	७५	१५०	००	
मई	७५	७५	०	७५	७५	७५	२४१ वैगन प्रति
जून	७५	७५	७२	६३	१२६	३५	माह, मई व जून
जुलाई से दिसम्बर	७५	६३	७२	७०	१४०	३०	३२६ वैगन प्रति माह, जुलाई से दिसम्बर, ६२

प्रपत्र "ब"

सन् १९६२ की माहवारी अलाटमेन्टकी तालिका, जनवरी से दिसम्बर, ६२

रेक सिस्टम द्वारा मासिक अलॉटमेन्ट								परमिट सिस्टम द्वारा	
माह	जेड. आई. एस. वी. आर. के। जी. एन. एफ.								कुल योग
	सिविल।	जी. एम. एफ.	पी. डब्ल्यू. डी.	केनाल	एस. एस. आई।		योग		
१	२	३	४	५	६	[illegible]	८	९	१०
जनवरी	७५	७५	००	७५	१५०	७५	४५०	जनवरी अलॉटमेन्ट सन् ६१ में ही नवम्बर, माह में तिमाही कोटे के साथ किया जा चुका था	४५०
फरवरी	७५	७५	००	७५	१५०	००	३७५	२८४	६५६
मार्च	१५०	००	००	७५	१५०	७५	४५०	२८४	७३४

कृ०प०उ०

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
अप्रेल	७५	७५	००	७५	१५०	००	३७५	२८४	६५६
मई	७५	७५	००	७५	७५	७५	३७५	२४१	६१६
जून	७५	७५	७२	६३	१२६	३५	४४६	२४१	६८७
जुलाई	७५	६३	७२	७०	१४०	३०	४५०	३२६	७७६
अगस्त	७५	६३	७२	७०	१४०	३०	४५०	३२६	७७६
सितम्बर	७५	६३	७२	७०	१४०	३०	४५०	३२६	७७६
अक्टूबर	७५	६३	७२	७०	१४०	३०	४५०	३२६	७७६
नवम्बर	७५	६३	७२	७०	१४०	३०	४५०	३२६	७७६
दिसम्बर का अलॉटमेन्ट नवम्बर माह के अनुसार ही अलॉट करना है।								३२६	३२६
योग	६००	६६०	४३२	७८८	१५०१	४१०	४७२१	३३०८	८,०२६

प्रपत्र "स"

सन् ६२ की जिलेवार अलॉटमेन्ट की तालिका

जनवरी दिसम्बर

रेक सिस्टम द्वारा जनवरी से नवम्बर, ६२ तक परमिट सिस्टम द्वारा फरवरी से दिसम्बर तक

जिले का नाम		जी. आर. के. जेड. आई. एस.	बी.एन.एस.	एम.एस.आई.	इन्डस्ट्रीयल क्लासेज	योग
१		२	३	४	५	६
१.	अजमेर	२३०	१७	५२	२४०	५३६
२.	जयपुर	२५४	१७६	१३४	७३२	१२९६
३.	अलवर	३०	२५	४१	३२८	४२४
४.	भरतपुर	२३	३४५	२४	१६४	५५६
५.	टोंक	१०	००	००	२२	३२
६.	सवाई माधोपुर	१४	२२	५	११	५२
७.	सीकर	१२	००	७	४६	६५
८.	झुंझुनू	१५	१०	२	७२	९९

१		२	३	४	५	६
९.	कोटा	२९	००	२०	३५५	४०४
१०.	झालावाड	३	००	००	००	३
११.	बूंदी	५	००	००	००	५
१२.	बीकानेर	३३	००	००	१०५	१३८
१३.	गंगानगर	१३	५१५	५	२१०	७५३
१४.	चूरू	१४	००	००	५	१९
१५.	उदयपुर	५०	१०	२५	२३५	३२०
१६.	भीलवाडा	२१	२	२५	७७	१२५
१७.	चित्तौड	८	००	२	४	१४
१८.	डूंगरपुर	००	००	००	००	००
१९.	बांसवाडा	४	००	००	००	४
२०.	जोधपुर	९०	००	३७	२८०	४०७
२१.	जालोर	०	००	००	३	३
२२.	नागोर	६	००	२६	२६०	२९२
२३.	पाली	१०	००	५	१५४	१६९
२४.	सिरोही	१४	००	००	३	१७
२५.	जैसलमेर	००	००	००	००	००
२६.	बाडमेर	२	००	००	२	४
राजस्थान नहर		००	१५०१	००	००	१५०१
सार्वजनिक निर्माण		००	७८८	००	००	७८८
जोड ..		६००	३४११	४१०	३३०८	८०२९

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

No. F. 9 (8)/*SU*/(*C*)/52/7538 (*A*), *Jaipur, February* 23, 1954.

In pursuance of the power delegated under section 4 of the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, the Government of Rajasthan is pleased to make the following order under section 3 of the said Act, namely:—

1. (*i*) This order may be called the Rajasthan Coal (Control of Distribution) Order, 1952.

(*ii*) It extends to the whole of Rajasthan.

(*iii*) It shall come into force atonce.

2. In this order, unless there is anything, repugnant in the subject or context:—

(*a*) 'Coal' includes coke.

(*b*) "Controller" means the Commissioner, Civil Supplies, Rajasthan and include any persons authorised by him to exercise all or any of the powers of the Controller under this Order;

(*c*) "Dealer" means a person carrying on business in the purchase sale or distribution of coal, whether wholesale or retail.

3. Every dealer shall comply in the such directions regarding the sale, storage or distribution of coal as may from time to time be given by the Controller.

4. (*i*) The Controller, may, from time to time, fix the price at which coal may be sold.

(*ii*) No person shall sale or purchase, or agree to sale or purchase, coal of any kind at a price other than that fixed under sub-clause (1).

5. (I) The Controller may from time to time:—

(*i*) allot quotas of coal for the requirements of any specified area, market or purpose;

(*ii*) issue directions to any dealer to supply coal to such persons, in such quantities, of such kind at such times, at such prices, and in such manner as may be specified by the Controller; and

(*iii*) require any dealer to keep in reserve stocks of coal in such quantities as he may direct from time to time;

Provided that where the price of any coal has been fixed under sub-clause (*i*) of clause 4, the Controller, shall, in respect of such coal specify the same price for the purpose of paragraph (*ii*) of this sub-clause:

Provided further that the Controller may allow to be added to such price, such amounts by any of charges, in respect of transport the or in specified areas and other incidental charges, as he may deem proper.

(II) Every dealer shall, notwithstanding any existing agreement with any other person, give priority to and comply, with any directions issued to him under sub-clause (I).

6. (I) No person shall transport or cause to be transported coal from any district in Rajasthan to place outside that District by Railway or any other means of communication except under and in accordance with a permit issued by the Controller:

Provided that this clause shall not apply to the transport of coal:—

(*a*) Under and in accordance with Military Credit Notes,

(*b*) Under and in accordance with Railway Notes, or

(*c*) Under the authority of the Coal Commissioner, Government of India.

(II) Notwithstanding anything to the contrary contained in this order, the Government or the Controller may by a Notification in the Rajasthan Gazette, direct or allow the movement of coal to or from any particular place with or without restrictions and may also prohibit the movement of coal from, to or within any particular place or may impose restrictions and conditions on such movement.

7. (I) The Controller, a Deputy Commissioner, Civil Supplies, a Controller and any officer of the Enforcement Branch not below the rank of an Enforcement Inspector or any Officer authorised by the Controller in this behalf may at all reasonable times inspect any stocks of coal or any document or books of account pertaining to coal and may for the purpose of such inspection:—

(*a*) enter any premises,

(*b*) ask any questions,

(*c*) require the production of any documents, and

(*d*) seize any quantity of coal.

(II) Every person, when so required by such Officer under sub-clause (*i*), shall allowances to any premises, answer all questions to the best of his knowledge and belief and produce the documents in his possession or power.

8. A court trying any contravention of this order may without prejudice to any other sentence which it may pass direct that coal in respect of which it is satisfied that such contravention has been committed shall be forfeited to the Government.

9. The coal (Central of Distribution) Order, 1947 and all Notifications issued thereunder by former Jaipur unit are hereby repeated:

Provided that any prosecution or legal proceeding in respect of a contravention of any of the said orders or notifications hereby repeated may be instituted or continued and any penalty, forfeiture or punishment in respect thereof may be imposed as if the said orders or notification had not been repealed:

Provided further that permits issued, orders made or anything done under the said orders of notifications shall, so far as they are not inconsistent with this orders, be deemed to have been issued, made or done under the corresponding provisions of this order.

By Order of
His Highness the Rajpramukh,

Sd/-
Secretary to the Government,
Civil Supplies & Commerce and Industries Department.

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३३८ का उत्तर देखिये)

ANNEXURE 'KA'

List of Goods on which Rate of Tax was enhanced after 1st April, 1962.

Name of Commodity	Rate of tax before 1-4-62	Enhanced Rate	
		Rate	Effective from
1	2	3	4
(1) Stationerey including paper and news print	4%	5%	11-5-1962
(2) Readymade cloth	4%	5%	11-5-1962
(3) Footwear	4%	5%	11-5-1962
(4) Spectacles, spectacle frames and lenses	4%	5%	11-5-1962
(5) Gur	4%	5%	11-5-1962
(6) Kerosene Oil	4%	5%	11-5-1962
(7) Raw Wool		7%	10-12-1962

The fee for obtaining exemption certificate was enhanced w. e. f. 7-8-1962 as shown below:

Turn over	*Fee before* 1-4-1962	*Enhanced Fee*
(a) Below Rs. 25,000/- or Rs. 25,000/- ..	Rs. 40/-per annum	Rs. 60/- per annum.
(b) Below Rs. 50,000/- or Rs. 50,000/- ..	Rs. 80/- per annum	Rs. 120/-per annum.
(c) Below Rs. 1,00,000/-	Rs. 160/- per annum	Rs. 240/-per annum.
(d) Rs. 1,00,000/- or above ..	subject to a maximum of Rs. 1,600/- per annum Rs. 40/- per annum for every Rupees 25,000/- or part thereof	Rs. 60/- per annum for every Rs. 25,000/- or part thereof, subject to a maximum of Rs. 2400/- per annum.

1	2	3	4
(8) Goods sold to Government Departments.	1%	Rates applicable to the goods in their normal course.	1-12-1962
(9) All kinds of furniture including upholstered and metal furniture, cabinet wares such as sofas and almirahs made of iron and steel ..	5%	7%	10-12-62
(10) All types of crokery and goods made of glass and glass wares ..	5%	7%	10-12-62
(11) All kinds of electrical goods including torch, cells, casing, microphone, electric fans, lighting bulbs, electrical earthenware, porcelain and all other accessories.	5%	7%	10-12-62
(12) Perfumary, cosmetics and all toilet articles including toilet soaps, tooth paste including manjan, combs, brushes, perfumed hair oils etc.	5%	7%	10-12-62
(13) All types of sanitory goods and fittings and all types of pipes and pipe fittings	5%	7%	10-12-62
(14) Dry Fruits excluding coconut ..	5%	7%	10-12-62
(15) Articles and wares made of stainless steel	5%	7%	10-12-62
(16) Pile carpets	5%	7%	10-12-62
(17) All kinds of eatables and non-alcoholic potable liquids packed in tins or bottles such as syrups, distilled juices (ark), jams (chatni, murabbas), fruit juices, essences, gulkand etc.	5%	7%	10-12-62
(18) Matches	5%	7%	10-12-62
(19) Kerosene Oil	4%	5% 7%	11-5-62 & 10-12-62
(20) Industrial Lubricants	5%	7%	10-12-62

1	2	3	4
(21) Tea, coffee, chicory and cocoa ..	5%	7%	10-12-62
(22) Paints and varnishes, glue, polish, paint, brush, sandpaper, turpentine oil, enamels and white oil ..	5%	7%	10-12-62

ANNEXURE 'KHA'

List of Goods on which Rate of Tax was reduced after 1-4-1962.

Name of Commodity	Rate of Tax before 1-4-62	Enhanced rate	
		Rate	Effective from
1	2	3	
Nil	Nil	Nil	

ANNEXURE 'G.A'

List of Goods which were Exempted from Levy of Tax after 1-4-62.

Name of Commodity.	Rate of tax before 1-4-62	Exemption granted	
		Nature of exemption	Effective from
1	2	3	
1. Live stock excluding Sheep, Camel and Goat	5%	Un-conditionally	20-3-62

ANNEXURE 'GHA'

List showing Taxability of Goods after 1-4-62.

S. No.	Commodities	Nature of taxability	Effective from
1	2	3	4
1.	Utensils	These goods were specified for the purposes of section 2 (cc) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954, i. e. the casual traders dealing in these goods were made liable to tax.	24-7-62
2.	Automobiles, parts & accessories		
3.	Watches and Clocks		
4.	Cycle, parts and accessories		
5.	Goat, Sheep and Camel		
6.	Gypsum		
7.	Hides and Skins (including Leather)	-do-	21-11-62
8.	Gitty (Ballast) & Bajri		
9.	Vegetable Ghee		
10.	Gur		
11.	Building Stone		
12.	Soap Stone		
13.	Cereals and Pulses		
14.	Oil Seeds		
15.	Zeera	These goods were specified for the purposes of section 5 (A) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954, i. e. they were declared to be taxable to Purchase Tax	9-3-61
16.	Dharia		
17.	Chillies		
18.	Ajwain		
19.	Oil seeds		
20.	Raw wool		
21.	Mica		
22.	Cereals and pulses in all forms including atta, maida suji and Bran		
23.	Gwar		
24.	Cotton	-do-	26-3-62
25.	Live stock including goat		
26.	Katha		
27.	Khas-khas		
28.	Methidana	-do-	22-11-62
29.	Building stone		
30.	Marble including marble chips and powder		
31.	Ayurvedic medicines & Unani medicines	Exemption withdrawn and made taxable @ 2% w. e. f.	17-12-62

परिशिष्ट २११३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४३ का उत्तर देखिए)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

INDUSTRIES AND MINES (B) DEPARTMENT

No. F. 3(*ii*) (24) *Ind.*(*B*)62. *Jaipur, March* 15, 1962.

ORDER

Whereas M/s Keshav Singh Shivjisingh, Sojat Road along with other applied for Mining lease of Limestone at Athara, Distt. Pali under Rule 20 of M.M.C.R., 1959 and whereas Government is satisfied that M/s Keshav Singh Shivjisingh have the highest priority and is suitable party for the grant of the said concession under the relevant rules inforce in the state;

And whereas the area for which the concession is desired by the applicant is free for grant;

Now, therefore, the Governor is pleased to accord sanction to the grant of Mining lease to the applicant on the following terms and conditions besides those mentioned in M.M.C.R., 1959 as amended from time to time.

1.	Name of the contractor ..	M/s Keshav Singh Shivjisingh of Sojat Road.
2.	Name of the contractor ..	Mining lease.
3.	Name of the mineral ..	Limestone.
4.	Area	10 sq. Miles.
5.	Period	5 years.
6.	Dead rent	Rs. 1,19,000/- P.A. (Rs. one lac ninteen thousand only).
7.	Royalty	As per M.M.C.R., 1959.
8.	Surface rent	As per settlement by Revenue Authorities.
9.	Security	As per Rules of M.M.C.R., 1959.
10.	Taxes	As per Government Rules.
11.	Other conditions ..	As per M.M.C.R., 1959 amended from time to time.

NOTE :—1. This order shall stand revoked without notice if the grantee do not execute a proper agreement within one month from the date of issue of this order.

NOTE :—2. The grantee shall not start working with the area unless he has already executed the agreement save when he is permitted to do so by a specific order of the Government issued in this behalf.

This issues with the concurrence of Finance Department *Vide* their U.O. No. ID/1162/FD/EI/62 dated 13-3-62.

Sd/.

Secretary to the Government.

No. F. 3 (*ii*) (24) *Ind.* (*B*)/62/1245 *Dated* 15 *March*, 1962.

Copy forwarded to :—

1. Director of Mines & Geology, Rajasthan, Udaipur for information and necessary action with reference to Directorate Memo No. DMG/JO/LC/62/59/11/Camp/62 dated 12-2-62 with the remarks that :—

(*a*) The area granted under this order should be got demarcated atonce and in any case before the expiry of 15 days from the date of this order to facilitate execution of the agreement by the grantee within the prescribed limit of time.

(*b*) An intimation of the date of completing demarcation of the area and the execution of the lease agreement must be sent to this Deptt., as soon as possible but not later than one month of the date of order.

(*c*) This grant is subject to the decision of the High Court on the review application of Shri Gulab Singh. The Law Deptt. is being consulted for actual legal term of this condition. Director of Mines & Geology may please keep in view that the party is to be specifically told of the fact and a condition in this regard is to be incorporated in the agreement.

2. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur for information, and necessary action.

3. The Mining Engineer, Jodhpur for information and necessary action.

4. M/s Keshavsingh Shivjisingh, Sojat Road, for information.

5. The Collector, Jodhpur for information and necessary action.

Sd/-

Assistant Secretary to Government.

परिशिष्ट

२६१५

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

INDUSTRIES 'B' DEPARTMENT

No. F. 3 (*ii*) (43) *Ind.* (*B*)/62. *Jaipur May* 10, 1962.

ORDER

Whereas Shri Govind Lal S/o Hansrajji of Sardarpura has applied for mining lease for Limestone over an area of 10 Sq. miles in four plots near village Basavi Gantia Gagrana and Goorawat Distt. Nagour under rule 53 of M.M.C.R. 1959 and whereas Government is satisfied that the applicant is a suitable party for the grant of the said concession under the relevant rules in force in the state;

And whereas the area for which the concession is desired by the applicant is free for regrant.

Now, therefore, the Governor is hereby pleased to accord sanction to the grant of Mining lease for Limestone for 10 Sq. miles in four plots to the applicant on the following terms and conditions besides those mentioned in M.M.C.R. 1959 as amended from time to time.

1. Name of the party	..	Shri Govindlal Sardarpura, Jodhpur.
2. Name of the Mineral	..	Limestone.
3. Area ...	..	10 Sq. miles in four plots as shown in the plan subject to the actual demarcation on the ground.
4. Period ..	..	5 years from the date of execution of the agreement.
5. Royalty ..	..	Limestone 00.06 nP. Lime 00.09 nP. Kachara Lime 00.03 nP.
6. Dead rent ..	..	Rs. 64,014/- per annum (Rs. Sixty four thousand and fourteen only).
7. Security ..	..	As per M.M.C.R., 1959.
8. Surface rent ..	..	Equal to land revenue for the surface area used for mining purposes as per Revenue Rules.
9. Other terms and conditions.		As per M.M.C.R., 1959.
10. Other taxes ..	..	As per Rules and Acts.

NOTE :—1. This order shall stand revoked without notice if the grantee did not execute a proper agreement within one month from the date of issue of this order.

NOTE :—2. The grantee shall not start working in the area unless he has already executed the agreement save when he is permitted to do so by a specific order of the Government issued in this behalf.

By Order.

Sd/-

Secretary to the Government.

No. F. 3(*ii*) (43) *Ind.* (*B*)/62/2266 *Dated Jaipur* 10 *May,* 1962.

Copy forwarded to the :—

1. Director of Mines & Geology, Raj. Udaipur for information and favour of necessary action with reference to Directorate memo No. DMG/JO/LC/55/61/49/62 dated 3-1-62 with the remark that :—

(*a*) the area granted under this order should be got demarcated at once and in any case before the expiry of 15 days from the date of this order to facilitate execution of the agreement by the grantee within the prescribed limit of time.

(*b*) An intimation of the date of completing demarcation of the area and execution of the lease agreement must be sent to this Deptt. as soon as possible but not later than one month of the date of order.

2. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.

3. Mining Engineer, Jodhpur.

4. Collector, Jodhpur with one spare copy.

5. Shri Govind Lal S/o Hansrajji, Sardarpura, Jodhpur.

for information and necessary action.

Sd/-

Assistant Secretary to Government.

परिशिष्ट [illegible]

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

INDUSTRIES & MINES (B) DEPARTMENT

ORDER

No. F. 3(*ii*) (8) *Ind.* (*B*)/62.— *Dated Jaipur May* 1962.

Whereas M/s Chowhan Industrial Corporation of Jodhpur has applied for Mining lease for Limestone at Basni District Nagour under rule 53 of M.M.C.R. 1959 and whereas Government is satisfied that the applicant is a suitable party for the grant of the said concession under the relevant rules inforce in the state:

And whereas the area for which the concession is desired by the applicant is free for grant;

Now, therefore, the Government is hereby pleased to grant Mining lease for Limestone at Basni to the applicant on the following terms and conditions besides those mentioned in M.M.C.R. 1959 as amended from time to time.

1. Name of the Party .. M/s Chowhan Industrial Corporation of Jodhpur.

2. Mineral .. .. Limestone.

3. Area .. .. .. 10 Sq. Miles in one plot near Basni Distt. Nagour as shown in the plan subject to demarcation on the ground.

4. Period .. .. Five years from the date of execution of the agreement.

5. Royalty .. .. Limestone 00.06 nP.
   Lime 00.09 nP.
   Kachara Lime 00.03 nP.

6. Dead rent .. .. Rs. 64,014/- p.a. (Rs. Sixty four thousand and fourteen only).
   1. For first 32 acres Rs. 2/8/- per acre =Rs. 34848/-.
   2. Over 32 acres up to 2 Sq. Miles @ Rs. 11/1/- per acre=Rs. 13806/-.
   3. Over 2 Sq. miles up to 10 Sq. Miles @ Rs. 3/- per acre.=Rs. 15360/-.

   Rs. 64,014/-

7. Security .. .. As per M.M.C.R. 1959.

8. Surface rent .. .. Equal to land revenue for the surface area used for Mining purposes as per Revenue Rules.

9. Other terms and conditions	As per M.M.C.R. 1959.
10. Other taxes	As per Rules & Act.

NOTE :—1. This order shall stand revoked without notice if the grantee did not execute a proper agreement within one month from the date of issue of this order.

NOTE :—2. The grantee shall not start working in the area unless he has already executed the agreement save when he is permitted to do so by a specific order of the Government issued in this behalf.

This issues with the concurrence of Finance Department (EI) *vide* their No. ID/1592/FD/EI/62 dated 24-5-62.

By Order,

Sd/-

Secretary to Government.

No. F. 3(*ii*) (8) *Ind.* (*B*)/62/2644 *Dated Jaipur* 1-6-62.

Copy forwarded to the :—

1. Director of Mines & Geology, Raj. Udaipur for information and favour of necessary action with reference to Directorate Memo No. DMG/JO/LC-1/62/106/62 dated 10-1-62 with the remarks that :—

(*a*) the area granted under this order should be got demarcated atonce and in any case before the expiry of 30 days from the date of this order to facilitate execution of the agreement by the grantee within the prescribed limit of time.

(*b*) An intimation of the date of completing demarcation of the area and execution of the lease agreement must be sent to this deptt. as soon as possible but not later than 2 months of the date of order.

2. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.

3. Finance Department (Exp.) in duplicate.

4. Mining Engineer, Jodhpur.

5. Collector, Jodhpur.

6. M/s Chowhan Industrial Corporation, Jodhpur for information.

Sd/-

Assistant Secretary to Government.

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ का उत्तर देखिये)

Station	Quantity of cane purchased during the season.		
	1959-60	1960-61	1961-62
	Srs.		
Udaipur	49,033-10	1,92,778-00	1,63,647-20
Barisadri	10,248-20	42,611-00	29,452-10
Mavli	33,210-15	83,944-20	77,766-10
Kapasan	22,346-05	78,769-00	29,054-00
Bhilwara-Mandal.. ..	90,459-30	1,69,572-30	2,13,667-10
Chanderia	19,443-00	64,007-10	49,772-10
Chittorgarh	82,041-25	1,16,922-20	1,13,957-10
Gangrar	41,164-35	58,621-00	59,784-00

*The cane of Bhilwara is weighed at Mandal Station, as the Railway does not supply wagons for loading of sugarcane at Bhilwara Station.

परिशिष्ट ५

(प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले प्रश्नोत्तर)

लुहारों की सहकारी समितियां-जिला टौंक

३५२. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा) :—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) टौंक में कितनी सहकारी समितियां हैं ?

(२) लुहारों की सहकारी समितियां कितनी हैं ?

(३) लुहारों की सहकारी समितियों द्वारा लोहे का कौन कौन सा सामान बनाया जाता है और इस प्रोडक्शन के लिये राजस्थान उद्योग विभाग द्वारा कितना-कितना लोहे का कोटा दिया जाता है ?

(४) टौंक में कुल कितना लोहा हर वर्ष दिया जाता है और उसका आथोराइज्ड डीलर कौन है ?

उत्तर

१. टौंक में लगभग ४८१ सहकारी समितियां हैं ।

२. लुहारों की कुल ३ सहकारी समितियां हैं जिसमें एक टौंक में हैं ।

३. लुहारों द्वारा कृषि, घरेलू एवं उद्योग सम्बन्धी माल बनाये जाते हैं । मोटर के ढांचे बनाने के लिये राष्ट्रीय फर्नीचर उत्पादक सहकारी समिति को ८ टन लोहे का कोटा दिया गया । जो उद्योग विभाग द्वारा प्रथम अर्ध वार्षिक अवधि १९६०-६१ म दिया गया तथा कृषि विभाग द्वारा समय समय पर इन समितियों को कोटा दिया जाता है ।

४. टौंक में लोहे के आथोराइज्ड डिलर मेसर्स शिवरतन जी मोहता है । टौंक जिले के लिये इनको निम्न कोटा दिया गया :

अवधि	माल की तादाद टन में
तृतीय पिरियड १९५८	६ टन
प्रथम तिमाही १९५९-६०	२० टन
द्वितीय तिमाही १९५९-६०	३१॥ टन
प्रथम अर्धवार्षिक १९६०-६१	८६ टन
योग	१४३॥ टन

उपरोक्त कोटा में नालीदार चादर, ऐंगल आईरन तथा काली सपाट चादर बी. पी. सीटस् दी गई ।

गत तीन परीयिडों में निम्न कोटा दिया गया :—

(१) **उद्योग कोटा** :—

(१)	सेकिन्ड हाफ ईयर १९६१-६२	काली चद्दर	४० टन
		सफेद ,,	४० टन
(२)	फर्स्ट हाफ ईयर १९६२-६३	काली ,,	४० टन
(३)	सेकिन्ड हाफ ईयर १९६२-६३	काली ,,	४० टन

(२) सिविल कोटा :—

सेकिन्ड हाफ ईयर

१६६१-६२ नालीदार चद्दर ६५ टन

३५३. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हिन्डौन खादी उत्पादन सहकारी समिति लि० हिंडौन के द्वारा कितने बुनकर व कतवारी प्रशिक्षण केन्द्र चलाये गये हैं तथा कितनी कितनी रकमें प्रशिक्षण में व बुनकर तथा कतवारी छात्रवृत्ति के रूप में दी गई हैं ?

(२) यह छात्रवृत्ति कब दी गई और कितनी कितनी किस समय में दी गई ?

(३) सरकार से हिन्डौन खादी उत्पादन सहकारी समिति लि० हिन्डौन को अब तक बुनकरों के लिये एवं कतवारियों के लिये कितनी कितनी रकमें सरंजाम के रूप में दी गई हैं तथा कितनी कितनी रकम बुनकर व कतवारियों को दे चुके हैं और कितनी बकाया है ?

उत्तर

(१) हिन्डौन खादी उत्पादन सहकारी समिति लि० द्वारा कतवारी प्रशिक्षण केन्द्र ५८-५६ तक १० व ५६-६० तक ५ केन्द्र चले तथा बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र १ चलाया गया ।

(२) समिति द्वारा कतवारी बुनकरों को निम्न प्रकार छात्रवृत्ति दी गई ।

बुनकर छात्रवृत्ति	३३७५) रु०
कतवारी	१३७००) रु०

५६-६० में बुनकरों को उक्त अंकित राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई ।

५८-५६ तक कतवारियों को	१०८००) रु०
५६-६०	२६००) रु०
इस प्रकार कुल दी गई राशि	१३७००)

(३) राज्य सरकार से समिति को कोई धनराशि नहीं दी गई है ।

कूकडा माध्यमिक पाठशाला में चपरासी

३५४. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीम तहसील में कूकडा की माध्यमिक पाठशाला जब से खुली है उसमें चपरासी नहीं आया है और वहां के छात्र पानी भरते हैं ?

(२) यदि हां, तो क्यों और कब तक चपरासी दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) नये व्यक्तियों के लिये रोक लगी हुई है और जिलाधीश उदयपुर से कोई सरप्लस चपरासी प्राप्त नहीं हुआ । अब एडजस्टमेन्ट करने के बाद कूकडा मिडिल स्कूल में चपरासी की व्यवस्था कर दी गई है ।

राजस्थान में मोन्टेसेरी किन्डरगार्टन शिक्षण संस्थाओं को सहायता

३५५. **श्री भीम सेन,** (लूणकरणसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कहां कहां कौन कौन सी (मोन्टेसरी) अथवा (किन्डर गार्टन) पद्धति से शिक्षा देने वाली शैक्षणिक संस्थाऐं हैं तथा उनमें से अधिक से अधिक प्रतिशत कौन २ सी संस्थाओं को किस आधार पर सहायता दी जाती है ?

उत्तर

राजस्थान में निम्न लिखित संस्थाएं montessori पद्धति के अनुसार कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड रूल्स के अनुसार ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक सहायता दी जाती है। जिस जिस संस्था को जितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है वह उनके आगे अंकित है :—

संस्था का नाम	सहायता प्रतिशत
(१) बाल मन्दिर, जोधपुर	६०प्र.श.
(२) बाल निकेतन, जोधपुर	६० ,,
(३) बाल मंदिर मदनपोल, उदयपुर	६० ,,
(४) बाल मंदिर हैप्पी स्कूल, मोती डूंगरी, जयपुर	६० ,,
(५) हैप्पी स्कूल, अलवर	६० ,,
(६) बाल भारती, बीकानेर	७५ ,,
(७) राजस्थान बाल भारती, बीकानेर	७५ ,,
(८) रामपुरिया विद्या निकेतन, गंगाशहर	७५ ,,
(९) राष्ट्र उन्नति विद्यालय, बीकानेर	७० ,,
(१०) बाल मंदिर, सरदार शहर	६०प्र.श.
(११) शिशु मंगल गांधी बालिका विद्यालय, सरदार शहर	५० ,,
(१२) बाग्याडिया बाल विद्यालय, लक्ष्मणगढ	५० ,,
(१३) बाल मंदिर, भीमगंज, मंडी कोटा	६५ ,,
(१४) बनस्थली विद्यापीठ, प्रा० शा०, वनस्थली	६० ,,

राज्य में खुलने वाली सीमेन्ट फैक्ट्रियां

३५६. **श्री विजयसिंह झाला** : (नाथद्वारा) : क्या उद्योग व व्यवसाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में कुल कितनी सीमेंट फैक्ट्रियां खुलने वाली हैं, तथा कहां कहां ?

(२) उक्त फैक्ट्रियों को मकान बनाने के लिये अलग-अलग कितनी कितनी भूमि अभी तक दी जा चुकी है व कहां कहां ?

(३) चित्तौड़गढ जिले में जो भूमि सीमेन्ट फैक्ट्री के लिये दी गई है उसमें किसानों से कितनी भूमि ली गई तथा उनको हर्जाना दिया गया या नहीं ?

(४) यदि हर्जाना दिया गया है तो किस रेट से दिया गया ?

उत्तर

१. राज्य में ३ सीमेन्ट फैक्ट्री खुलने वाली हैं :

(१) माउन्ट आबू
(२) चित्तोडगढ और
(३) नीम-का-थाना।

(२) चित्तौडगढ़ फैक्ट्री को मकान बनवाने के लिये कुल ४०६ एकड ७६१ बीघा १६ बिस्वा जमीन, चित्तोडगढ़ में लीज पर दी गई है । आबू रोड और नीम का थाना फैक्ट्रियों के लिये, क्योंकि अभी तक औपचारिक लाइसेन्स भारत सरकार ने जारी नहीं किया है । अतः इन्हें अभी कोई जमीन नहीं दी गई है ।

(३) जो भूमि सीमेन्ट फैक्ट्री को दी गई है उसमें मकबूजा आसामियान की २२७ बीघा १७ बिस्वा जमीन थी जो काश्तकारों व खातेदारों की सम्मति से ली गई है, जिनका मुआवजा उनको दिया जा चुका है ।

४. इन जमीनों का मुआवजा पीवल ६५० रुपये, बारानी खाकी १३५ रुपये व बीड परत १२५ रुपये फी बीघा के हिसाब से चुकाया गया है ।

सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जे-जिला अलवर

३५७. **कुमारी उमा माथुर** (रामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले में बहुत बडी तादाद में गोचर, बंजड व सिवायचक सरकारी भूमि नाजायज तरीके से लोगों द्वारा तोडी व काश्त की जा रही है ?

(२) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं व उसके परिणामस्वरूप कितनी भूमि इस प्रकार के नाजायज कब्जे से वापिस ली जा चुकी है ?

उत्तर

१. जी हां ।

२. नियमानुसार अतिक्रमियों को बेदखल करने की आवश्यक कार्यवाही की जाती रही है । जिसके फलस्वरूप अब तक २८१६ बीघा १५ बिस्वा भूमि अतिक्रमियों से वापस ली जा चुकी है ।

नान-गजेटेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स--जिला गंगानगर ।

३५८. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) जिला गंगानगर में कितने नान-गजेटेड कर्मचारी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारी कार्य करते हैं ?

(२) क्या इन कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टर्स की उचित व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

(३) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि गंगानगर जिले में मंहगाई का स्तर राजस्थान में सबसे अधिक है तथा मकानों के किराये बहुत अधिक हैं और ऐसी दशा में नान-गजेटेड कर्मचारी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारी आवास के अभाव में भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होते हैं ?

उत्तर

१. नान-गजेटेड ४६६
चतुर्थ श्रेणी ६७६

२. उपरोक्त कर्मचारियों के लिये एफ टाईप के ११ क्वार्टर, जी टाईप के १७० क्वार्टर तथा एच टाईप के १२० क्वार्टर जिला गंगानगर में बने हुये हैं ।

भारत सरकार से ज्यों ज्यों एल. आई. सी. ऋण प्राप्त होता है त्यों त्यों विभिन्न जिलों को रकम क्वार्टर-बनाने हेतु दी जाती है ।

३. गंगानगर में महंगाई का स्तर काफी ऊंचा है तथा मकानों के किराये भी बहुत अधिक हैं। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि नान-गजेटेड कर्मचारी आवास के अभाव में भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होते हैं।

गांव बदरासर, तहसील बीकानेर के भूतपूर्व जागीरदारों के नाम खातेदारी भूमि

३५६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गांव बदरासर, तहसील बीकानेर के भूतपूर्व जागीरदार के नाम से कुल कितनी खातेदार भूमि है ?

(२) उक्त खातेदार भूमि में से कितनी भूमि पर कौन २ काश्तकार कब से काबिज है ?

(३) उक्त काश्तकारों में से कितने काश्तकारों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, १९५५ की धारा १९ के अन्तर्गत खातेदारी हक दिये जा चुके हैं ?

उत्तर

१. कुल ५४६।।।)१ बीघा खातेदारी भूमि है।

२. इस संबंध की सूचि संलग्न है।

३. केवल ४ काश्तकारों को ऐसे अधिकार दिये गये हैं किन्तु तहसील बीकानेर का समस्त क्षेत्रफल राजस्थान केनाल एरिया में आने के कारण स्थिति में परिवर्तन आ गया है और इनके संबंध में क्या कार्यवाही की जाये इस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

लिस्ट सालवार कब्जा काश्तकारान

नम्बर खसरा	तादाद रकबा बीघों में	नाम कब्जा काश्तकार	कब से कब तक
१०.	७३।।।)४	पूरा वल्द हीरा जाट बदरासर	२०१२ से २०१६ तक
	६३।।)४	पूरा वल्द हीरा जाट बदरासर	२०१७
	१०)	जागीर वल्द हर दयाल कौम सिख	
	७३।।)४	जागीर सिंह वल्द हरदाससिंह कौम जाट सिख साकिन गोमदगढ़	२०१८
१३.	६०।।।)३	रावत वल्द लख जाट	२०११ से २०१६ तक
		जागीर सिंह सिख	२०१७ व २०१८
१९.	५१।।।)	रूपा वल्द अमरा सुथार	२०१०
	५१।।।)	रुगजी वल्द रतनसिंह राजपूत	२०१० से २०१६
		जागीर सिंह सिख	२०१७ व २०१८
२०.	५२।।।)४	जीवण वल्द धवडा ढोली	२०१० ता. २०१८ तक
२३.	८८।)३	जागीरदार के नाम	२०१० से २०१५ तक
		कर्णसिंह	२०१६ व २०१७
		भवरसिंह वल्द आसूसिंह १।२	२०१८
		जगमाल सिंह वल्द करणीसिंह १।२.	
४५.	१७१।।)१	वख्ता वल्द अन्दा जाट	२०१० से २०१८
४६.	४७।।)१	रेखा वल्द सरदारा जाट	२०१० से २०१८ तक
किता ७	५४६।।।)१		

कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का होम डिस्ट्रिक्ट में स्थानान्तरण

३६०. **श्री रामस्वरूपनारायण पुरोहित** (सीकर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने यह नियम बनाया है कि कम वेतन पाने वाले सरकारी मुलाजिमों को यथासंभव उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही रखा जावे ? यदि हां, तो इस नियम पर कहां तक अमल किया गया है ? क्या यह सही है कि यदि इस नियम का कडाई के साथ प्रयोग करें तो तबादले की प्रार्थनाओं में पूर्णतया कमी हो जाने की संभावना है ?

(२) क्या सरकार वर्तमान में अपने जिले से अत्यधिक दूर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें तत्काल अपने घर–जिले में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, यथासम्भव इस आज्ञा का पालन किया जा रहा है । प्रशासनिक कारणों से यदि किसी कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी का तबादला आवश्यक होता है तो किया जाता है । इसमें अधिक कडाई बरतने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

(२) उपरोक्त आज्ञा के होते हुए ऐसा और कोई आदेश प्रसारित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

पंपिंग सैट्स के लिए ऋण–सिवाना पंचायत समिति

३६१. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाडा) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सिवाना पंचायत समिति (जिला बाडमेर) में विकास खंड के प्रारम्भ से अब तक कितने कृषकों को पम्पिग सैट्स खरीदने एवं लगाने हेतु कितना कितना ऋण दिया गया और किस किस ने अब तक पंपिंग सैट्स लगा दिये हैं तथा विकास अधिकारी द्वारा ऋण उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं ? कृपा कर सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

पंचायत समिति सिवाना द्वारा पंपिंग सेट लगाने के लिए दिये गये ऋण की सूची

क्र० सं०	नाम व्यक्ति मय पता		ऋण देने की तारीख	ऋण की राशि
१	२		३	४
१.	श्री मान मल वल्द पुनम चन्द ओसवाल, सिवाना	..	१९-२-६०	३०००) रु०
२.	,, गफूर खां वल्द मेराब खां मुसलमान, सिवाना	..	२०-२-६०	३०००) ,,
३.	,, परबत सिंह वल्द इन्द्र सिंह, राजपूत मवड़ी	..	२६-४-६०	३५००) ,,
४.	,, सांवलराम वल्द श्री खीमराज आचार्य, सिवाना	..	२६-४-६०	३५००) ,,

१	२	३	४
५.	श्री भंवर सिंह वल्द श्री रावत सिंह, राजपूत मवड़ी ..	२६-७-६०	५०००) रु०
६.	,, खेतसिह वल्द श्री जेठू सिंह, राजपूत मवड़ी ..	२६-७-६०	५०००) ,,
७.	,, मग सिंह वल्द श्री बीठसिह, राजपूत मवड़ी ..	२६-७-६०	४०००) ,,
८.	,, जसवंतसिंह वल्द श्री बलवंतसिह, देवदी ..	१६-१२-६०	३५००) ,,
९.	,, राणमल वल्द प्रभुजी सांघी, मोकलसर ..	१८-१-६१	३०००) ,,
१०.	,, पालम सिंह वल्द श्री सरदारसिंह, राजपूत मजल	२४-१-६१	४०००) ,,
११.	,, जोरसिंह वल्द रावतसिंह, राजपूत काठाड़ी ..	२६-१-६१	४०००) ,,
१२.	,, मगराज वल्द श्री रूपजी पुरोहित, सिलोर ..	६-२-६१	३०००) ,,
१३.	,, चैन सिंह वल्द जोरावरसिंह, राजपूत अजीत ..	१४-२-६१	४०००) ,,
१४.	,, गुलाब सिंह वल्द श्री शिवनाथ सिंह, राजपूत राखी	१८-२-६१	४०००) ,,
१५.	,, भूपत सिंह वल्द श्री दानसिंह, राजपूत, बिजलीया ..	१-४-६१	४०००) ,,
१६.	,, अर्जुन सिंह वल्द श्री दलपत सिंह, राजपूत डीडस ..	५-७-६२	३५००) ,,

नोट:—इन सभी व्यक्तियों के कुओं पर पम्पिग सैट्स कार्य कर रहे हैं। ऋण उपयोगिता-पत्र विकास अधिकारी द्वारा अब दिए जायेंगे।

सज्जीखार के ठेके अनूपगढ

३६२. **श्री मुरलीधर व्यास**, (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अनूपगढ तहसील के ५८-५६ व ५६-६० व ६०-६१ के सज्जीखार के ठेके कब कब किस किस को किस शर्त पर दिये गये ?

(२) क्या इन लोगों को ठेका देते समय १।३ धन राशि जमा कराई गई थी ?

(३) क्या उनकी पूरी रकम मिल गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) इस खान में प्रति वर्ष कितना खार निकलता है तथा इन तीन वर्षों में कितना निकला ?

उत्तर

(१) ५८-५६ का ठेका ६३८११ रु० में १३ पार्टी को दिया गया। शर्त व लिस्ट पार्टीज जिन जिन को ठेका हुआ साथ में संलग्न है।

५६-६० व ६०-६१ में कोई ठेका नहीं दिया गया।

(२) जी नहीं, चौथाई धनराशि जमा करवाई गई थी।

(३) जी नहीं, पूरी रकम वसूल नहीं हुई।

५८-५६ की बकाया रकम की वसूली के लिए पी. डी. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही हो रही है।

(४) सूचना उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान सरकार

उद्योग एवं रसद विभाग

संख्या एफ.७ (केमिकल) (२०)।६१ जयपुर, दिनांक २६ सितम्बर, १६६१.

निम्नलिखित क्षेत्रों का सज्जी बनाने का ठेके का नीलाम

क्षेत्र	दिनांक	समय	स्थान
१. पूगल ..	१३-११-६१	११ बजे	कार्यालय जिला उद्योग अधिकारी, बीकानेर
२. अनूपगढ़ ..	१५-११-६१	११ बजे	तहसील हैडक्वार्टर्स, अनूपगढ़
३. सूरतगढ़ ..	१६-११-६१	११ बजे	तहसील हैडक्वार्टर्स, सूरतगढ़

(१) इन क्षेत्रों में सज्जी के पौधे से सज्जी बनाने का ठेका दिया जायगा।

(२) इन ठेकों की अवधि नीलाम की तारीख से ३० जून १६६२ तक समझी जायगी।

(३) इनका क्षेत्रफल वहां तक समझा जायगा जहां तक ऐसे गैर काश्त क्षेत्र में सज्जी के पौधे पैदा होते हैं और इस विषय में निम्नलिखित जगह पर यह लागू नहीं होगा:—

(क) वह क्षेत्र जो किसी की निजी सम्पति में है।

(ख) वह क्षेत्र जो राष्ट्रीय महत्व रखते हैं।

(ग) वह क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा रिजर्व घोषित कर दिया जाय।

(४) बोली बोलने वालों को क्षेत्र नं० १ व २ के लिए ५०० रु० व क्षेत्र ३ के लिए १०० रु० अर्नेस्ट मनी जमा करानी होगी। जिन व्यक्तियों की बोली स्वीकृत नहीं होगी उनकी अर्नेस्ट मनी लौटा दी जायगी और जिनकी स्वीकृत होगी उनकी जमानत के तौर पर जमा रहेगी और ठेका सफलतापूर्वक समाप्त होने पर लौटा दी जायगी। ठेका उन व्यक्तियों को दिया जायगा जिनकी रायल्टी के रूप में देने की रकम सबसे अधिक होगी।

(५) जिनका ठेका स्वीकृत योग्य होगा उनको चौथान रुपया उसी समय जमा कराना पड़ेगा। बाकी का रुपया बोली समाप्त होने के दो माह में जमा कराना होगा। बची हुई तीन चौथाई रकम की अदायगी की स्योरीटि भी देनी पड़ेगी। अगर रुपया ३ माह के अन्दर न जमा कराया गया तो जमानत व चौथान रुपया जब्त कर लिया जावेगा और ठेका रद्द कर दिया जायेगा।

(६) संचालक उद्योग व रसद विभाग व उसक नुमाइन्दों को अधिकार है कि वह कोई भी बोली बिना कारण बताये स्वीकृत या रद्द कर सकता है ।

(७) ठेकेदार के सब्जी बनाने का हिसाब प्रति मास के पहले सप्ताह में संचालक या उनके अधिकृत अन्य अधिकारियों को देना पड़ेगा जिसके न देने पर जो जुर्माना निश्चित किया जायगा देना पड़ेगा ।

(८) एसोसियेशन या कोआपरेटिव सोसाइटी को बोली बोलते समय अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश करना होगा ।

(९) ठेकेदार को राज्य सरकार के भी नियम समय समय पर लागू किये जायेंगे मान्य होंगे ।

(१०) ठेकेदार की बोली समाप्त होने पर निर्धारित एग्रीमेन्ट तुरन्त भरना पड़ेगा ।

(११) संचालक उद्योग व रसद विभाग का निर्णय इस सम्बन्ध में वाद-विवाद पर सर्वमान्य होगा ।

Sajji Auction for 1958-59 of Tehsil Anupgarh Distt. Ganganagar.

S.No.	Name of party with address.	Name of village for which Sajji auction.	Highest Bid Amount	Total Amount	25% Share	Deposit.
					25% Amount	Challan No. and Date.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Shri Phosa Ram Berahman of Anupgarh.	82 G·B.83 G.B.84 G.B. Bir Sarkari	710.00	710.00	178.00	16 / 18-10
2.	Shri Raju S/o Dogar Bawari of Chak 682G.B. Tehsil Anupgarh	92 G.B. 94 G.B. Rajasar Nomewala	1500.00	24725.00	6182.00	12 / 18-10
3.	-do-	Karanpura Panpaliya Nahrawali	1400.00	..	..	..
4.	-do-	Anupgarh Bhora	12000.00	..	..	..
5.	-do-	Amarpura	2200.00	..	..	..
6.	-do-	Khaniwali	6400.00	..	..	..
	-do-	Chak 1 Khanu wali				
7.	-do-	Chak 2 Khebar	1225.00	..	..	..
8.	Shri Hans Raj S/o Prem Singh Chhabra of Anupgarh.	Hisanki (Hisarki) Sutrana Gharsana	3405.00	5635.00	1409.00	11 / 18-10
9.	-do-	Chak Shora Dasli	1675.00	..	..	..
10.	-do-	4. Kalakera	305.00	..	..	..

1	2	3	4	5	6	7
11.	Shri Hans Raj S/o Prem Singh Chhabra of Anupgarh.	Sukh Chainpura Sheopura Jandawali Kishansar.	205.00	..	..	..
12.	-do-	Red Baggi	45.00	..	..	..
13.	Shri Lakha Singh S/o Malasingh of Anupgarh	Sardarpura Chak Kanranna Anandka-Bera Jeewandesar Lunia	2010.00	3960.00	990.00	5 18-10
14.	-do-	Karanisar Jatan Salampura Karanisar Rathor Anupgarh Baggi Sirjasar Chak No. 5 Khanisa Chainpura.	450.00	..	..	..
15.	-do-	Gangasinghpura	1500.00	..	..	..
16.	-do-	Khamisa Chak 2 Khamisa	11.00	11.00	11.00	6 18-10
17.	Shri Moti Ram S/o Jalla Ram Bawari Haryan of 67 G.B. Tehsil Anupgarh	8 Saki 9 Hadiwala 3 Gurri Sakhi Chak No. 6 Tejula	3000.00	5520.00	1380.00	8 18-10
18.	-do-	Baror Rajpura	2520.00	..	..	..
19.	Shri Lalu S/o Teja Bawari of 13 G.B. Tehsil Anupgarh	Rawal Nergarh Phooksagar Tajrasar	1600.00	1600·00	400.00	17 18-10
20.	Shri Lalu S/o Teja Bawari of 13 G.B.Tehsil Anupgarh.	Khal Kumpli Bhagsar Motasar	1130.00	1130.00	283.00	18 23-10

21.	Shri Shiv Lal S/o B[illegible] Ram Bishnoi of Nagrana Tehsil Hanumangarh.	Anandgarh Chak 1 Anandgarh	1350.00	4925.00	1232.00	18-10
22.	-do-	Singlawala	3075.00	..	..	..
23.	-do-	Sujjasar	500.00	..	..	..
24.	Shri Khamchand S/o Machhi Ram Arora of Bijay Nagar Tehsil Anupgarh.	Chak 2 Kodiband Ghanni	1610.00	1610.00	403.00	15 / 18-10
25.	Shri Narayan Singh S/o Bhani Ram Arora of Anupgarh.	Ratanpura Udaisur Red Dhora	50.00	50.00	50.00	3 / 18-10
26.	Shri Hari Ram S/o Sajjan Ram Bisnoi of Anupgarh.	Binjore	8525.00	8525.00	3131.20	7 / 18-10
27.	Shri Budh Ram S/o Pola Ram Bishnoi of Chak 57 N.P. Tehsil Raisinghnagar.	Sherpura Sivani	3600.00	3600.00	900.00	4 / 18-10
28.	Shri Sardara Ram S/o Bawaria of Bilochiya Tehsil Anupgarh and Bhaironsingh of Bilochiya	Dabjal	300.00	1405.06	352.00	2 / 18-10
29.	-do-	Lalgarh Jatan Lalgarh Bhomuwala Chak No.2 Dalyal	905.00	..	..	..
30.	-do-	12 Keshwali Dhani 10 Sarkari	200.00	..	..	..
31.	Shri Chunnilal S/o Kishna Ram Jat of Jetsar Tehsil Anupgarh and Shri Hans Raj Shhara of Anupgarh.	Engia 3 Mashniwala (Mashniwala) Sansiawala Chak/ 4 Kikarwala Chak 1 Magwali Dhani	405.00	405.00	101.00	1 / 18-10

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक १४ मार्च, १९६३)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२३९९	शीर्षक	रास्जथान	राजस्थान
,,	,,	वृतात	वृत्तान्त
२४००	१०	Fgures	Figures
,,	,,	Slould	Should
२४०३	१	चूडावत	चूंडावत
२४०४	८	सुखाढ़िया	सुखाड़िया
,,	२३	थना	थाना
२४०७	३	जुझरसिंह	जुझारसिंह
२४१४	१५	अग्रवाले	अग्रवाल
२४१६	२३	सहकारी उपमंत्री	उपमंत्री, सहकारी
२४१८	२४	श्री भीमसहि	श्री भीमसिंह
२४२१	शीर्षक	अग्रवाव	अग्रवाल
२४२२	अन्तिम से ७	श्री हरीराम	श्री हरिराम
२४३६	१७	रासानन्द	रामानन्द
२४४२	६	(१२:०० मध्याह्न)	(१२.०० मध्यान्ह)
,,	११	मोपाल	भोपाल
२४५४	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	आय-व्ययक पर वाद-विवाद
२४६१-६२	,,	माच	मार्च
२४७७	अन्तिम व अंतिम से २	Governm nt is more t rrible han trgers	Government is more terrible than tigers.
२४६५-६६, २४६७-६८	शीर्षक	१८ मार्च	१४ मार्च
२५१६	१५–१६	H S S ill	He is still
२५२०	६	या निक	याज्ञनिक
२५३१	१६	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
२५३७	शीर्ष	(श्री सम्पतिलल बोहरा)	(श्री सम्पतिलाल बोहरा)
२५४६	२४	लक्ष्मीकुमरी	लक्ष्मीकुमारी
२५५६	२२	श्री निरंजनाथ	श्री निरंजननाथ
२५६०	११	बालकृण	बालकृष्ण
२५६४	१०	Seond	Second
,,	१२	per-apita in ome has in reased	per-capita income has increased
२५७१	२१	निवदन	निवेदन
२५७६	६	of has	of order has
२५८५	१	लाल भार्गव	लाल गोयल
२५६८	७	वज दिनांक	बजे दिनांक
२६०२	१२	१५ मार्च	१६ मार्च
२६१३	शीर्षक	परिशिष्ट	परिशिष्ट ३
२६१६	,,	,,	परिशिष्ट ४
२६२८	१	उसक	उसके